Par. S. 17. I. 23 52
285

अंक १
संख्या २३

बुधवार
१८ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—— :o:——

भाग १--प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १४४७—१५२०]

(मूल्य ४ आने)

399 PSD

लोक सभा

बुधवार, १८ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के लिखित उतर

डालर अर्जन करने वाली फसलें

*९५०. **श्री वैलायुधन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने काली मिर्च, अदरक, इलायची, नींबू घास तथा काजू जैसी डालर अर्जन करने वाली फसलों की स्थिति की जांच करने तथा उनके विकास करने के उपाय बतलाने के सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की है; तथा

(ख) इस समिति के कृत्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति के कृत्य इन फ़सलों के उत्पादन तथा उनके बेचने से सम्बन्ध रखने वाले अनेक पहलुओं की जांच करना तथा इस बात पर विचार करना है कि इस क्षेत्र में केन्द्रीय निदेश देना आवश्यक है अथवा नहीं और यदि है तो किस रूप में।

रेलवे कर्मचारियों के वेतन का प्रमापीकरण

*९५१. **श्री वैलायुधन** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत की समस्त रेलों के कर्मचारियों के वेतन का प्रमापीकरण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; तथा

(ख) यदि की है तो योजना किस प्रकार की है तथा उसमें कितनी राशि शामिल है ?

रेलवे तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) वेतनों का प्रमापीकरण मुख्यतः केन्द्रीय वेतन अयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस योजना के लिए रेलवे को प्रति वर्ष ३४ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ता है।

"अधिक मछलियां उत्पन्न करो" योजना

*९५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) "अधिक अन्न उपजाओं" आन्दोलन के लिए जो धन राशि नियत की गई थी क्या उसको वर्ष १९५१-५२ में खाद्य के लिए अधिक मछलियां उत्पन्न करने में भी प्रयोग किया गया था; तथा

(ख) यदि किया गया था तो इस प्रकार कितनी राशि प्रयोग में लाई गई तथा वर्ष १९५१-५२ में उपलब्ध होने वाली मछलियों की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कुल १२·८६ लाख रुपये के ऋण तथा ९·५१ लाख रुपये के अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों को दिये जाने के लिए स्वीकृत हुए ताकि वे इस धन को ऐसी योजनाओं में लगा सकें जिनके अन्तर्गत १,०६,००० टन अधिक मछली उत्पन्न किये जाने का अनुमान था। जहां तक वास्तव में खर्च की गई राशि तथा मछलियों की कुल पैदावार का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कुछ समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

रेलवे निरीक्षणालय

*९५३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७-४८ से अब तक रेलवे निरीक्षणालय ने कितनी रेलवे की दुर्घटनाओं की जांच की;

(ख) रेलवे में होने वाले नये वर्गीकरण के फलस्वरूप क्या रेलवे निरीक्षणालय के कृत्यों में तथा प्रशासन में कोई परिवर्तन होने की सम्भावना है; तथा

(ग) यदि सम्भावना है तो किस प्रकार की ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ख) तथा (ग). रेलों में वर्गीकरण किये जाने के फलस्वरूप रेलवे निरीक्षणालय के कृत्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरीक्षणालय में प्रशासनिक पुनर्संगठन के सम्बन्ध में कुछ सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

नजरबन्दों की रिहाई

*९५४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५१ से अप्रैल १९५२ के दौरान में (महीनेवार तथा राज्यवार) रिहा किये गये नजरबन्दों में से भारत के विधान मंडलों, केन्द्रीय तथा राज्य दोनों में कितने सदस्य चुने गये ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक ब्योरेवार विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६**]

रेल के डब्बे बनाने के लिए पैराम्बूर की नई फैक्टरी।

*९५५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे इंजन तथा रेल के डब्बों को बनाने के लिए पैराम्बूर, मद्रास में एक नई फैक्टरी स्थापित की गई है; तथा

(ख) यदि स्थापित की गई है, तो क्या उस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत भारतीय रेलों के लिए डब्बे बनाने का काम आरम्भ होना था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) (क) तथा (ख). केवल रेल के डब्बे बनाने के लिए पैराम्बूर, मद्रास में जो नई फैक्टरी स्थापित की जाने वाली थी उसके सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ

*९५६. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग ने राष्ट्रीय

राजपथ बनाने की क्या कोई निश्चित योजना तैयार की है ?

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रमाप रखे हैं ?

(ग) यदि रखे हैं तो वे क्या हैं ?

(घ) आगामी ५ वर्षों में जिन प्रस्तावित राजपथों को बनाने का विचार है उनकी लम्बाई क्या है तथा १९५२-५३ के दौरान में उन में से कितना बन कर हो जायगा ?

(ङ) इन में से कितना मध्य प्रदेश राज्य में आवेगा ?

(च) प्रत्येक मामले में लागत क्या आयेगी तथा कुल लागत तथा प्रति मील लागत क्या होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) (क) योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजपथों सम्बन्धी कार्य की योजना को स्वीकार कर लिया है जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है।

(ख) तथा (ग). आयोग का प्रमाप निर्धारित करने से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था किन्तु माना हुआ मान यह है कि प्रत्येक सड़क को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिये तथा उसकी देखभाल इस प्रकार से होनी चाहिये कि इन कामों का खर्च उनके लिए रखी गई निधि में से पूरा हो जाये तथा उसका प्रयोग वह यातायात कर सके जो आजकल है या जिस की निकट भविष्य में हो जाने की सम्भावना है।

(घ) वर्ष १९५५-५६ में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि में यह अनुमान किया जाता है कि लगभग ४०० मील लम्बी "टूटी फूटी" सड़कें बना कर तैयार कर दी जायेंगी तथा ३५० मील लम्बी और सड़कों पर भी काम जारी रहेगा। वर्ष १९५२-५३ में अनुमान किया जाता है कि १२५ मील लम्बी सड़कें बन कर तैयार हो जायेंगी।

(ङ) इन टूटी फूटी सड़कों में से ४७ मील लम्बी सड़कें मध्य प्रदेश में आती हैं तथा चालू पंचवर्षीय अवधि में इन सड़कों पर काम करना आरम्भ कर दिया जायगा। इस अवधि में लगभग दो तिहाई काम पूरा हो जायेगा

(च) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रति मील लागत घटती बढ़ती रहती है। कुल लागत २३ करोड़ रुपये है तथा अनुमानित नियतन के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए १·४ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

पटसन का उत्पादन

* ९५७. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **वर्ष** १९५१ के लिए पटसन उत्पादन के अन्तिम आगणन तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि तैयार हो गये हैं तो विभिन्न राज्यों में इसका उत्पादन क्या रहा है ; तथा

(ग) इस वर्ष के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गए थे क्या वे पूरे हो गए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अनुमानतः माननीय सदस्य वर्ष १९५१-५२ का निदेश कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में अन्तिम आगणन तैयार हो चुके हैं ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) जी हां । वर्ष १९५१-५२ में पटसन का जो अखिल भारतीय उत्पादन हुआ वह अखिल भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य से १·६ लाख गठिं अधिक था ।

विवरण

१९५१-५२ में पटसन का उत्पादन

राज्य	लाखों में गांठें
आसाम	८·४
बिहार	९·६
उड़ीसा	३·९
उत्तर प्रदेश	१·०
पश्चिमी बंगाल	२३·३
त्रिपुरा	०·६
योग	४६·८

खाद्यान्नों का उत्पादन

*९५८. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५१-५२ के लिए खाद्यान्न सम्बन्धी अन्तिम आगणन तैयार हो गया है ?

(ख) यदि तैयार हो गया है, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ है ?

(ग) इन राज्यों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गये थे क्या वे पूरे हो गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते ।

भूमि विकास पर्षद्

*९५९. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए भूमि विकास बोर्ड ने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

(ख) यदि आरम्भ कर दिया है तो वे क्षेत्र कौन से हैं जहां इसने काम आरम्भ किया है ?

(ग) इस योजना में अनावर्ती व्यय क्या होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आरम्भ करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि विंध्य प्रदेश में एक हज़ार एकड़ वाला एक फार्म अग्रिम परियोजना के रूप में स्थापित किया जाय ।

(ग) अब योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

भीड़-भाड़ के आंकड़े

*९६०. **डा० पी० एस० देशमुख :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कहीं पर भीड़-भाड़ के सम्बन्ध में भी आंकड़े रखे जाते हैं जिस से यह ज्ञात हो सके कि वह बढ़ गई है अथवा घट गई है ?

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात करने की क्या कोई और कसौटी भी है?

(ग) यदि है तो वह क्या है और वर्ष १९४९ तथा १९५० की तुलना में वर्ष १९५१ में क्या स्थिति थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जो सीटें उपलब्ध होती हैं उन पर बैठने के अनुपात के आंकड़े रखे जाते हैं जो प्रति दिन मुसाफ़िर मीलों की सीट मीलों से होने वाले प्रतिशत अनुपात से ज्ञात होता है ।

(ख) तथा (ग). जी हां। एक और भी तरीका प्रयोग में लाया जाता है। समय समय पर ऐसा विशेष रेलगाड़ियों के मुसाफिरों को वास्तव में गिन कर भी किया जा सकता है ।

बड़ी लाइनों के सम्बन्ध में सीटों पर बैठने के जो आंकड़े रखे जाते हैं उन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन् १९४९ तथा १९५० के मुकाबले १९५१ में भीड़-भाड़ कुछ कम थी । फिर भी, छोटी लाइनों के सम्बन्ध में यह कहना पड़ता है कि १९४९ तथा १९५० के मुकाबले १९५१ में भीड़-भाड़ की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही थी ।

विशेष पदाधिकारी

*९६१. **श्री बर्मन :** (क) क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत विशेष पदाधिकारी कब नियुक्त किया गया था ?

(ख) पदाधिकारी ने क्या कोई रिपोर्ट दी है ?

(ग) जांच करने के सम्बन्ध में पदाधिकारी किस प्रक्रिया का पालन करता है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १८ नवम्बर, १९५०।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान श्री मूर्ति के तारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के सम्बन्ध में ५ जून १९५२ को दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) वह दूर दूर के क्षेत्रों में दौरा करता है तथा राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाये रखता है ।

राज्यों को नियत की गई राशि

*९६२. **श्री बर्मन :** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में राज्यों को वास्तव में कितनी राशियां दी गई हैं ?

(ख) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये सम्बन्धित राज्यों ने कितनी राशियां व्यय कीं

(ग) कल्याण के मुख्य उद्देश्य क्या थे जिनके लिये उपरोक्त राशियां व्यय की गई थीं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सन् १९५१-५२ में

राज्यों को जिन राशियों का नियतन किया गया उस का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७].

चालू वर्ष के लिये बजट में १८० लाख रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में इस राशि को किस हिसाब से बांटा जाये इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यथा समय उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) (१) कृषि विकास, जिस में सिंचाई के छोटे कार्य भी सम्मिलित हैं।

(२) शिक्षा विकास, (जिस में होस्टल यथा छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं)।

(३) लोक स्वास्थ्य, जिसमे मलेरिया-नाशक कार्यवाहियां भी शामिल हैं।

(४) गांव की सड़कें।

(५) कुटीर उद्योगों का विकास।

उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी महाखण्डों के प्रधान कार्यलयों के लिये इमारतें

*९६३. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली तथा गोरखपुर में उत्तरी तथा पूर्वी रेलवे महाखण्डों के प्रधान कार्यालयों के लिये क्या कोई इमारतें बनाई जायेंगी ;

तथा

(ख) यदि बनाई जायेंगी तो उनकी अनुमानित लागत क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सरकार का विचार उत्तर पूर्वी रेलवे के प्रधान कार्यालय के लिये गोरखपुर में कोई नई ईमारत बनाने का नहीं है। जहां तक दिल्ली में उत्तरी रेलवे के कार्यालय का सम्बन्ध है, बम्बई सरकार से बड़ौदा हाउस ले लिया गया है।

(ख) बड़ौदा हाउस का मूल्य अब तक तय नहीं किया गया है।

ब्रह्मा से चावल का आयात

*९६४. **श्री बी० आर० भगत** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में ब्रह्मा सरकार ने भारत के लिये चावल की कितनी मात्रा नियत की है ;

(ख) चालू वर्ष में ग़ैर-सरकारी सूत्रों द्वारा कितनी मात्रा बेची जायेगी ; तथा

(ग) सरकारी एजेन्सी तथा ग़ैर-सरकारी सूत्रों द्वारा बेचे जाने वाले चावल के मूल्यों में क्या कोई अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई):

(क) ३,५०,००० लम्बे टन।

(ख) १,२०,००० लम्बे टन।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी

*९६५. **पंडित एम० बी० भार्गव**: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी—छोटी तथा बड़ी लाइन—दोनों के इंजन तैयार करती थी और यदि हां, तो अन्तिम इंजन वहां कब बनाया गया था ?

(ख) अजमेर की इंजन फैक्टरी में बने इंजन विदेशों से आयात किये गये इंजनों से गुणप्रकार तथा लागत में कैसे रहे ?

(ग) अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी में इंजनों का बनाना कब से बन्द कर दिया गया तथा ऐसा करने के क्या कारण थे ?

(घ) क्या सरकार का विचार उस उद्योग को पुनः वहां जारी करने का है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ङ.) चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के बनने से पहले क्या कोई और भी फ़ैक्टरी ऐसी थी जहां इंजन बनाये जाते थे ?

(च) यदि बनाये जाते थे तो उन फ़ैक्टरियों के नाम क्या हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन क्या था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हाँ। अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी में अन्तिम इंजन दिसम्बर १९५० में बना कर तैयार किया गया था।

(ख) आयात किये गए इंजनों के गुण-प्रकार तथा लागत की तुलना में अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी में बने इंजन कम नहीं थे।

(ग) चितरंजन लोकोमोटिव तथा टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग वर्कशापों के बनने तथा अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी की मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के लिये आवश्यकता होने के कारण अजमेर की इंजन फ़ैक्टरी को लक्ष्य दिसम्बर १९५० में इंजनों का बनाना बन्द कर दिया गया था।

(घ) जी नहीं, (ग) में बताये गये कारणों की वजह से।

(ङ) तथा (च)। जी हां, भूतपूर्व ई० आई० रेलवे के जमालपुर वाली फ़ैक्टरी में भी वर्ष १९२३ तक प्रति वर्ष औस्तन ६ इंजन तैयार किये जाते थे।

चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी

***९६६. पंडित एम० बी० भार्गव** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चितरंजन लोकोमोटिव फ़ैक्टरी द्वारा सबसे पहला इंजन कब तैयार किया गया था ?

(ख) अब तक यह फ़ैक्टरी कितने इंजन बना चुकी है ?

(ग) प्रति वर्ष औस्तन कितने इंजनों की आवश्यकता होती है ?

(घ) प्रति वर्ष कितने इंजनों के बनाये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) पहला इंजन नवम्बर १९५० में जोड़ कर तैयार किया गया था।

(ख) मई, १९५२ के अन्त तक २९ इंजन।

(ग) प्रति वर्ष पुराने इंजनों के स्थान पर औस्तन १९० इंजनों की आवश्यकता होती है।

(घ) जो इंजन बनाये जा चुके हैं या वर्ष १९५५ तक जिनके बनाये जाने की सम्भावना है—जब कि फ़ैक्टरी को प्रतिवर्ष के लिये निर्धारित १२० इंजन का

पूरा कर लेना है—वह इस प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन	
१९५०	३	वास्तव में बनाये जा चुके।
१९५१	१३	
१९५२	३८	
१९५३	५२	
१९५४	९०	
१९५५	१२०	

आई० ए० एस० में अनुसूचित जातियां

*९६७. **श्री पी० एन० राजभोज :** (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुसार विशेष भर्ती पर्षद् को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने के सम्बन्ध में क्या हिदायतें दी गई थीं ?

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये विशेष भर्ती पर्षद् ने अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों को चुना था ?

(ग) पर्षद् ने अनुसूचित जातियों के जितने उम्मीदवारों को चुना था क्या वे कुल रिक्त स्थानों के १२$\frac{1}{2}$ प्रतिशत थे ?

(घ) यदि नहीं थे, तो सरकार ने उनकी संख्या बढ़ा कर १२$\frac{1}{2}$ प्रतिशत करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जब कि समस्त अन्य मामलों में द्वितीय श्रेणी की डिगरी होने पर जोर दिया गया था तब अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में शिक्षा सम्बन्धी प्रमाप तक न आने की कमी को परिमर्ष करने का अधिकार बोर्ड को दे दिया गया था। प्रारम्भिक छानबीन के कड़े प्रमाप पर जोर दिये बिना ही, जो समस्त अन्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में लागू किया गया था, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भेंट के लिये बुला लिया गया था। जिनसे भेंट की गई थी उनमें से उन सब को जिन को १५५ नम्बर या उससे अधिक प्राप्त हो गये थे भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। अन्य उम्मीदवारों को १८० नम्बर प्राप्त न करने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये जाने के अयोग्य घोषित कर दिया गया था तथा इनमें से भी कुछ को रिक्त स्थान न होने के कारण नियुक्त न किया जा सका था।

(ख) दस, जिनमें से ८ को भारतीय प्रशासनिक सेवा में तथा २ को भारतीय पोलिस सेवा में नियुक्त कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रत्येक संभव कार्यवाही की गई है यहां तक कि कार्यक्षमता के लिये उपयुक्तता का जो प्रमाप है उसे भी अनुसूचित जातियों के लिये न्यूनतम कर दिया गया तथा जो भी उम्मीदवार उस प्रमाप तक पहुंचा उसे नियुक्त कर दिया गया था।

ट्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय

*९६८. **श्री ए० एम० टामस :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ट्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय में क्या जितने न्यायाधीश होने चाहिये उतने हैं ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद २१६ के अन्तर्गत न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्धारित हो जाने के पश्चात् क्या उक्त उच्च न्यायलाय में मुकदमों की विचाराधीनता बढ़ती जा रही है; तथा

(ग) यदि बढ़ती जा रही है, तो किस सीमा तक ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) संविधान के अनुच्छेद २१६ के परादिक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ट्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीशों (जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं) की अधिकतम संख्या ८ निर्धारित की की गई है। २६ जनवरी, १९५२ से मुख्य न्यायाधीश के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर एक ऊपर न्याय धीश के नियुक्त होने से उस उच्च न्यायालय में इस समय एक रिक्त स्थान है। सेवा निवृत्त होने से पहले एक अन्य अपर न्यायाधीश लम्बी छुट्टी पर हैं।

(ख) अपील तथा पुनर्विलोकन सम्बन्धी दंड्य मुकदमों तथा दीवानी फुटकर अपीलों के बकाया मुकदमों में काफ़ी कमी हो गई है। जब कि दूसरी ओर विचाराधीन पहली अपीलों तथा दूसरी अपीलों में कुछ वृद्धी हो गई हैं।

(ग) विचाराधीन पहली अपीलों तथा दूसरी अपीलों की संख्या में ३३ प्रतिशत तथा ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनुसुचित जातियां तथा आदिम जातियां

*९६९. **श्री जे० एन० हजारिका** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हों ने संविधान के १६वें अनुच्छेद के चौथे खंड के उपबन्धों यथा अनुच्छेद ३३५ का अनुकरण करते हुए तथा प्रशासन कार्यक्षमता को बनाये रखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये नौकरियां सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में नियम बनाये हैं ?

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में से प्रत्येक के लिये नौकरियों का कितना प्रतिशत सुरक्षित रखा गया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८**]।

सोवियत पुस्तकें

*९७०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बुक-स्टालों पर सोवियत पुस्तकों के बेचे जाने पर कोई पाबन्दी लगा दी है ; तथा

(ख) यदि लगा दी है तो क्या अमरीका में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों तथा पत्रिकाओं पर भी ऐसी पाबन्दी लगाई गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सरकार ने रेलवे

प्रशासनों को हिदायत भेजी है कि रेलवे स्टेशनों की बुकस्टालों पर ऐसे साहित्य की बिक्री को प्रोत्साहन न दिया जाये। बहुधा इनमें प्रचार की भावनायें निहित होती हैं तथा यह वांछनीय नहीं है कि सरकारी जगहों पर इस प्रकार की प्रचार-प्रधान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को बेचने दिया जाये। सरकार की इच्छा किसी भी देश से आने वाली उन पुस्तकों की बिक्री को हतोत्साह करने की नहीं है जो उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बुरी न लगती हों।

(ख) जी नहीं।

अहमदाबाद-मेहसाना रेलवे लाइन

*९७१. **श्री एस० जी० पारिख** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अहमदाबाद तथा मेहसाना के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने की मंजूरी दे दी गई है ?

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अहमदाबाद तथा मेहसाना के बीच दोहरी लाइन बनाने की परम आवश्यकता है ?

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सवारी तथा माल गाड़ियों को काफ़ी समय तक रुका रहना पड़ता है और ऐसी लाइनों पर रेलगाड़ियों की अधिक भीड़भाड़ होने के कारण होता है ?

(घ) यदि अहमदाबाद तथा मेहसाना के बीच दोहरी लाइन बनाने की मंजूरी दे दी गई है तो कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) इस सेक्शन पर लाइन की सामर्थ्य बढ़ाने की आवश्यकता है तथा सम्बद्ध रेलवे प्रशासन ऐसा करने के उपाय तथा साधन ढूंढ रहा है। लाइन को दोहरी करने का कार्य बहुत खर्चीला होता है तथा ऐसा तभी किया जाता है जब अन्य तरीकों से उद्देश्य प्राप्त न हो सके।

(ग) यह सत्य नहीं है कि इस सेक्शन पर सवारी तथा माल गाड़ियों दोनों को अधिक समय तक रुका रहना पड़ता है।

(घ) यह प्रश्न इस अवस्था पर उत्पन्न ही नहीं होता।

मनीपुर में भूमि खंडों की बिक्री

*९७२. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सुपरिन्टैन्डेन्ट पुलिस तथा मनीपुर सरकार के सचिव ने इम्फाल बाज़ार के बीचो बीच कीमती भूमि के खंड प्राप्त किये हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्य १०,००० रुपये है किन्तु जिन को उन्होंने प्रति भूमि खंड ५०० रुपये का नाममात्र अधिशुल्क दे कर खरीद लिया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : माननीय सदस्य ने जिन अधिकारियों का उल्लेख किया है उन्हें इम्फाल कस्बे के बीचो बीच रहने का स्थान नियत नहीं किया गया था बल्कि बाज़ार के बाहर के क्षेत्र में किया गया था तथा प्रत्येक एकड़ भूमि के लिये उनसे २,५०० रुपये

लिये गये थे जो कि एकीकरण के पहले भूतपूर्व मनीपुर प्रशासन द्वारा पास ही में दी गई भूमि के सम्बन्ध में लिये गये मूल्य से अधिक थे। साथ ही मैं यह भी बतला दूं कि यह दोनों अधिकारी पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी हैं तथा उनकी सम्पति वहां छूट गई है।

राष्ट्रीय वेशभूषा

*९७३. **श्री सिंहासन सिंह:** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत के लिए कोई राष्ट्रीय वेशभूषा निर्धारित की है, यदि हां, तो क्या ; तथा

(ख) क्या सरकारी अधिकारी उत्सव के अवसरों पर राष्ट्रीय वेशभूषा पहनते हैं तथा क्या सरकार विदेशों में अपने समस्त राजदूतों से राष्ट्रीय वेशभूषा पहनने के लिये कहती है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय अधिकारियों से आशा की जाती है कि उत्सव के अवसरों पर, चाहे वे भारत में हों या बाहर, इस कार्य के लिये निर्धारित औपचारिक भारतीय वेशभूषा पहनेंगे।

असैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति

*९७४. **श्री रिशांग किशिंग:** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा, मनीपुर तथा कच्छ के भाग ग में के राज्यों में असैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये उचित अधिकारी कौन है ;

(ख) मनीपुर में स्थानीय पदों पर मनीपुरियों की नियुक्ति हो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर क्रमशः भारत सरकार तथा मुख्य आयुक्त नियुक्तियां करते हैं। जहां तक तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां करने का सम्बन्ध है, मुख्य आयुक्त ही नियुक्तियां करने वाले प्राधिकारी हैं।

(ख) सरकार की यह सामान्य नीति है कि मनीपुर वाले ही लोक सेवाओं की विभिन्न शाखाओं में लिये जायें। जब योग्य मनीपुर वाले उपलब्ध होते हैं तो हमेशा उन्हीं में से भर्ती की जाती है।

भारतीय नौपरिवहन

*९७५. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७-१९५१ में भारतीय नौपरिवहन ने भारत में आने तथा बाहर जाने वाले सामान के कितने प्रतिशत को ढोया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): भारतीय तथा विदेशी नौपरिवहन के पृथक् पृथक् आंकड़े केवल उन जहाज़ों के वज़न के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं जो भारतीय बन्दरगाहों में आते हैं और सामान उतारते हैं। सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५० तथा १९५०-५१ में भारतीय बन्दरगाहों में कुल जितने वज़न के जहाज़ आयें और जिन से माल उतारा उनके मुकाबले भारतीय जहाज़ों के वज़न की प्रतिशतता इस प्रकार थी :—

१९४७-४८—१·८
१९४८-४९—२·६

१९४९-५०—३·९
१९५०-५१—६·९

इस से मोटे तौर पर पता लग जाता है कि भारतीय नौपरिवहन ने देश का कितना माल ढोया । भारतीय निर्यात तथा आयात के वर्तमान आंकड़ों में माल ढोने वाले जहाज़ों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में कोई भेद नहीं किया जाता है । अतः पूछी गई वास्तविक सूचना देना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*९७६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार के केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में कितने ट्रैक्टर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सब ही ट्रैक्टर एक ही प्रकार के हैं ;

(ग) प्रत्येक प्रकार के ट्रैक्टरों का लागत मूल्य क्या था ;

(घ) इस समय यह किन किन राज्यों में काम कर रहे हैं ;

(ङ) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों से भारत सरकार इस सेवा के लिए कोई राशि लेती है ;

(च) इस राशि को लेने में सरकार किन किन बातों पर विचार करती है ;

(छ) क्या इस राशि को कभी घटाया बढ़ाया गया था ; तथा

(ज) यदि घटाया बढ़ाया गया था तो कब और कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हाल ही में समाप्त होने वाले मौसम में वास्तविक कृष्यकरण कार्य के लिये अमेरिकन उत्सर्जन से प्राप्त किये गये १५ मध्यम शक्ति वाले पुराने ट्रैक्टर तथा २४० भारी ट्रैक्टर प्रयोग में लाये गये थे । इसके अलावा उत्सर्जन से प्राप्त लगभग ३५ मध्यम ट्रैक्टरों को आवश्यकता पड़ने तथा अन्य प्रकीर्ण कार्यों के लिये खड़ा रखा गया था ।

(ख) जी नहीं ; २४० भारी ट्रैक्टर चार प्रकार के हैं ; किन्तु मध्यम ट्रैक्टर सब एक ही प्रकार के हैं ।

(ग) लागत मूल्य इस प्रकार है :—

एलिस–चामर्स माडेल एच डी–१९	प्रत्येक	६९,४९० रुपये
क्लीट्रैक–माडेल एफ डी ई	,,	५४,५८० रुपये
कैटरपिलर–माडेल डी–८	,,	७८,८८८ रुपये
इन्टरनेशनल हारवैस्टर माडेल टी डी–८	,,	६५,८४५ रुपये

पुराने ट्रैक्टर—सब कैटरपिलर डी ७ एस, अमेरिकन सेना उत्सर्जन से समस्त मशीनों के लिये एकमुश्त रकम देकर खरीद लिये गये थे तथा प्रत्येक मशीन की लागत लगभग १०,५०० रुपये है ।

फिर भी, बाद में इन ट्रैक्टरों की मरम्मत करके उन्हें चलाने के योग्य बनाने में विभिन्न राशियां व्यय हुई थीं ।

(घ) यह ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल में काम कर रहे हैं ।

(ङ) जी हां । नये ट्रैक्टरों से काम करवाने पर ५२ रुपये प्रति एकड़ तथा पुराने ट्रैक्टरों से प्रति ट्रैक्टर घंटा १७ रुपये ८ आने तथा ईंधन तथा मशीनों

में डाले जाने वाले तेल, यातायात, इत्यादि की वास्तविक लागत राज्य सरकारों से वसूल की जाती है। जब व्यय के वास्तविक आकड़ों का हिसाब लगाया जायेगा तो इन अस्थायी दरों को अन्तिम रूप से तय कर दिया जायेगा।

(च) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन "न लाभ न हानि" के आधार पर कार्य करता है, तथा व्यय की गई समस्त राशि राज्य सरकारों से वसूल की जाती है। किये गये काम के लिये राशि लेते समय जिन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है वह यह हैं--नौकर रखे गये व्यक्तियों पर खर्च हुआ धन, पेट्रौल, तेल, मशीनों में दिया जाने वाला तेल तथा उपभोग किये गये अन्य सामान की लागत यातायात की लागत, मशीनों की मरम्मत पर व्यय किया गया धन।

(छ) तथा (ज) नये ट्रैक्टरों द्वारा किये गये काम के लिये ली गई राशि में कोई घटा बढ़ी नहीं की गई है।

पुराने ट्रैक्टरों द्वारा किये गये काम के मामले में, ईंधन और यातायात के खर्च के अलावा पहले प्रति ट्रैक्टर घंटे का खर्च लगभग ८ रुपये ८ आने लगाया जाता था तथा सन् १९४७-४८ में इसी दर पर राज्य सरकारों से अस्थायी वसूली कर ली गई थी। बाद में यह अस्थायी दर अपर्याप्त समझी गई तथा सन् १९४९ में इसे बढ़ा कर १२ रुपये ८ आने प्रति ट्रैक्टर घंटा कर दिया गया था। बाद में, जब व्यय के आंकड़ों का अन्तिम रूप से हिसाब लगाया गया तो ठीक लागत १७ रुपये ८ आन प्रति ट्रैक्टर घंटा आई तथा यह अन्तिम दर सन् १९५०-५१ में अनुदर्शी प्रभाव से लागू कर दी गई थी।

राष्ट्रीय राजपथ (रोमन लिपि)

*९७७. **श्री एन० एस० जैन :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजपथों के साथ साथ जो मील और गांव के नाम के पत्थर लगे हुए हैं क्या उन पर केवल रोमन लिपि में ही खुदा हुआ है और यदि हां, तो हिन्दी को क्यों छोड़ दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : राष्ट्रीय राजपथों के साथ साथ रोमन लिपि में जो मील और गांवों के नाम के पत्थर लगे हुए हैं उन्हें बहुत वर्षों पहले ही वहां लगाया गया था। सड़क संगठन ने अब जो टाइप के नमूने भेजे हैं उन में हिन्दी लिपि की व्यवस्था कर दी गई है।

कन्नानोर हवाई अड्डा

*९७८. **श्री एन० पी० दामोदरन :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कन्नानोर स्थित हवाई अड्डे को अब काम में लाया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या पुरानी बम्बई-त्रिवेन्द्रम हवाई सेना में कोई परिवर्तन होने की संभावना है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो मार्ग में कन्नानोर को ठहराने का स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का विचार है ;

(घ) क्या बम्बई-मंगलौर हवाई सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव है ; तथा

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या उस सेवा के कोचीन तक बढ़ाये जाने की कोई संभावना है जिससे मार्ग में कन्नानोर ठहरने का स्टेशन बन सके ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। कन्नानोर को मूल सैनिक अवतरण भूमि को रक्षा की आवश्यकताओं से अधिक होने के कारण छोड़ दिया गया है तथा वाणिज्यिक सेवा वायुयान के लिए उसका आकार अपर्याप्त है।

(ख) जी नहीं। किन्तु बम्बई और कोचीन के बीच एक हवाई सेवा है जो मद्रास-त्रिवेन्द्रम सेवा से कोचीन में मेल खाती है।

(ग) उत्पन्न हो नहीं होता।

(घ) एक हवाई कम्पनी ने इस मार्ग के लिये प्रार्थना की है जिसमें बम्बई-मंगलौर क्षेत्र भी सम्मिलित है।

(ङ) भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताये गये कारणों से ऐसा होना सम्भव नहीं है।

पथ्य विज्ञान तथा भोजन व्यवस्था विद्यालय, बम्बई

*९७९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् ने बम्बई में पथ्यविज्ञान तथा भोजन व्यवस्था विद्यालय खोला है ;

(ख) यदि खोला है तो इसमें कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) इसमें पढ़ाये जाने वाले विषय क्या हैं तथा प्रशिक्षण की अवधि क्या है ; तथा

(घ) इस स्कूल को चलाने में प्रति मास कितना व्यय होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) २०.

(ग) पाठ्यक्रम में इन विषयों में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है : -

खाद्य, पथ्यविज्ञान तथा आहार ; पाक विद्या—सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ; खाद्य का क्रय, सुरक्षण तथा अर्थशास्त्र ; प्रशासन, सफाई तथा आरोग्य-विज्ञान ; लेखा तैयार करना तथा नागरिक ज्ञान।

प्रशिक्षण की अवधि ३ महीने है।

(घ) लगभग १,५०० रुपये।

न्यायालयों का समापन

*९८०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा में कुछ सब-डिविज़नल न्यायिक न्यायालयों का समापन कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि कर दिया गया है तो क्या इस समापन के विरुद्ध स्थानीय वकीलों तथा जनता ने विरोध प्रकट किया था ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) सोनामूरा तथा बैलोनिआ की मुक्तियों को मुख्य आयुक्त ने समाप्त कर दिया है क्योंकि मुकदमों की संख्या बहुत ही कम थी।

(ख) स्थानीय वकीलों तथा जनता ने अभ्यावेदन किये थे तथा उन्हें मुख्य आयुक्त के पास विचारार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया था। इन दो स्थानों पर प्रत्येक महीने में एक बार दौरा अदालत करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों का उद्धार

*९८१. **श्री संगण्णा** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले पांच वर्षों में आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिए उड़ीसा सरकार को प्रति वर्ष कितनी राशि दी गई ; तथा

(ख) क्या इन लोगों की अवस्था तथा कल्याण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट निर्धारित है तथा प्रत्येक वर्ष उड़ीसा सरकार से मांगी जाती है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उठाने तथा आदिम जातियों के कल्याण में वृद्धि करने के लिये उड़ीसा सरकार को ३० लाख रुपये की राशि दी गई थी। क्योंकि संविधान केवल २६ जनवरी, १९५० से लागू हुआ है इसलिये सन् १९५०-५१ के पहले राज्य सरकारों को अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठा।

(ख) संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग 'क' के तीसरे पैराग्राफ के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में सावधिक रिपोर्टें निर्धारित की गई हैं। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से और कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती है।

अनुसूचित जातियां तथा आदिमजातियां

*९८२. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकारों से सावधिक रिपोर्टें मंगाई जाती हैं ;

(ख) इन जातियों के कल्याण के लिये क्या राज्य सरकारों अथवा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को कोई अनुदान दिया जाता है; तथा

(ग) इन जातियों का उद्धार तेज़ी से करने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकारों को कोई हिदायत भेजी गई थी ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) श्री संगण्णा के प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की

ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसका उत्तर मैंने अभी दिया है।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के विकास तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दिये जाते हैं। सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उस राशि में से कुछ भाग गैर-सरकारी संस्थाओं को भी दे दें जिनकी ख्याति अच्छी है तथा काफी दिनों से काम कर रही हैं।

(ग) कोई विशेष हिदायत भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है।

इंजन तथा बोयलर बनाने वाले सार्थ

*९८३. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत में ऐसी कितनी फर्में हैं जो इंजन तथा बोयलर बनाती हैं ;

(ख) उनमें से सरकार कितनी फर्मों को आंशिक तथा पूर्णरूप से आर्थिक सहायता देती है ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका से टेकनिकल सहायता प्राप्त करने के बारे में बातचीत करने में क्या कठिनाइयां थीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तीन :—

(१) इंजन तथा बोयलर बनाने वाला— चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ;

(२) इंजन तथा बोयलर बनाने वाली— टाटा इंजीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी, टाटानगर ;

(३) केवल बोयलर बनाने वाला— टैक्सटाइल मैशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता।

(ख) उपरोक्त (१) पूर्णतः सरकारी है तथा उपरोक्त संख्या (२) में सरकार के कुछ अंश हैं।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका से टैकनिकल सहायता लेने के सम्बन्ध में बातचीत करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था।

विशेष शिकायत संगठन

*९८४. **श्री पाटसकर** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) डाक तथा तार विभाग में विशेष शिकायत संगठन कब से स्थापित किया गया था ; तथा

(ख) इस संगठन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नवम्बर, १९४७.

(ख) १.८ लाख रुपये।

राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा नियम

(डाक कर्मचारी)

*९८५. **श्री के० के० बसु** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यवार (१) डाक तथा तार विभाग तथा (२)

विभाग में से निकाले गये ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन की नौकरी असैनिक सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा का रक्षण) नियम, १९४९ के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई थीं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या आरोप थे ; तथा

(ग) क्या सम्बद्ध व्यक्तियों को अपनी सफाई स्वयं या वकीलों द्वारा देने की अनुमति दी गई थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई राज्य में काम करने वाला एक डाक अधिकारी।

(ख) यह आरोप लगाया गया था कि उस का सम्बन्ध राजनैतिक तथा अवैध कार्यवाहियों से था जिसमें एक ऐसे जुलूस में भाग लेना भी था जो जुलूसों पर लगाई गई पाबन्दी को तोड़ कर निकाला गया था।

(ग) जी हां ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

*१८६. **श्री के० के० बसु** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९ तथा १९५२ में भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ; तथा

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में इनमें से प्रत्येक वर्ष में (१) दायर किये गये मुकदमों या अपीलों तथा (२) उनके निबटाये जाने की संख्या तथा (३) विचाराधीन मुकदमों की संख्या ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्य सरकारी कामों में सेवा-युक्त न्यायाधीश

*१८७. **श्री के० के० बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा २६ जनवरी, १९५० से अन्य सरकारी कामों पर सेवायुक्त किये ऐसे न्यायाधीशों की संख्या जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं ; तथा

(ख) उन के नाम तथा वे किन पदों पर नियुक्त हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) । सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बनस्पति घी

*१८८. **श्री बी० आर० वर्मा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जमाये हुए बनस्पति तेल के बारे में किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंची है ?

(ख) क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिये सरकार द्वारा

नियुक्त किय गये वैज्ञानिकों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सरकार को सलाह दी गई है कि बनस्पति का प्रयोग हानिकारक नहीं है अत: इस आधार पर बनस्पति के उत्पादन को बन्द नहीं किया जा सकता है कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ख) रिपोर्ट छापी जा रही है तथा जैसे ही तैयार हो जायेगी उसकी एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई टेलीफोन पर्षद्

*९८९ श्री **ए० के० गोपालन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को दिनांक ११ दिसम्बर, १९५१ के ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है जो बम्बई टेलीफोन पर्षद् के अवैतनिक सचिव ने विशेष पुलिस स्थापना, बम्बई के पुलिस महानिरीक्षक के पास भेजी है ; तथा

(ख) यदि प्राप्त हुई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) दिनांक ११ दिसम्बर, १९५१ के ज्ञापन की एक प्रति विशेष पुलिस स्थापना के महानिरीक्षक को डाक द्वारा ३ जून, १९५२ को प्राप्त हुई थी।

(ख) इस रिपोर्ट में उन मामलों की चर्चा की गई है जिनकी विशेष पुलिस स्थापना पहले ही से छानबीन कर रही है।

अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक

*९९०. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के पदों के लिये कौन कौन सी शिक्षासम्बन्धी अर्हताएं, सेवा की अवधि तथा आयु सीमा निर्धारित की गई हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

मद्रास विजयवाडा रेलवे लाइन

*९९१. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास तथा विजयवाडा के बीच जो यातायात सम्बन्धी कठिनाई है उस को दूर करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही; तथा

(ख) मद्रास तथा विजयवाडा के बीच दोहरी लाइन बनवाने में कुल अनुमानित व्यय ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) मद्रास-बेजवाडा सेक्शन पर लम्बी गाड़ियां चला कर कुछ सीमा तक सामर्थ्य बढ़ाने की एक योजना हाथ में है जिसमें अधिक दूरी तक जाने वाली

गाड़ियों का आना जाना हो सके इसलिये लूप लाइनों को पहले ही से लम्बा किया जा रहा है। इस प्रकार उतनी ही गाड़ियों में डब्बों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। बेज़वाडा यार्ड में तथा किष्टना पुल पर भी सुविधायें बढ़ाने का विचार है।

(ख) मद्रास तथा बेज़वाडा के बीच दोहरी लाइन बनवाने में मोटे रूप से १८ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

थालागुप्पा--जौग्स रेलवे लाइन

*९९२. **श्री मादिया गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि थालागुप्पा से जौग्स (मैसूर) तक रेलवे लाइन बढ़ाने की क्या कोई योजना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : थालागुप्पा से जौग्स तक रेलवे लाइन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

बख्शी टेकचन्द रिपोर्ट

*९९३. **प्रो० अग्रवाल :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध में बख्शी टेकचन्द रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गई थी;

(ख) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; तथा

(ग) रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सरकार का कब तक विचार है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर की गई अन्तिम रिपोर्ट सरकार को २ जून, १९५२ को प्राप्त हुई थी।

(ख) तथा (ग). एक विवरण जिस में मुख्य सिफ़ारिशें तथा उन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१**]

बहुत शीघ्र ही मैं सदस्यों की रिपोर्ट की प्रतियां देने की आशा रखता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय वायुमार्ग

*९९४. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार इम्फ़ाल से मिचीना तथा मिचीना से रंगून तथा रंगून से हांगकांग तक अन्तर्राष्ट्रीय वायु-सेवा चलाने की एक योजना बना रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी नहीं, श्रीमान्।

डाक वस्तुओं की हानि

*९९६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्षों के मुकाबले में अब हड़पने या लोकधन की हानि के मामलों में, जिस में मनीआर्डर सम्बन्धी धोखेबाज़ी या हानि, तथा नगदी और टिकटों की हानि के मामले भी सम्मिलित हैं, वृद्धि हो गई है;

(ख) ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार विभागीय कर्मचारियों की संख्या तथा क्या उन्हें उचित दंड दे दिया गया है;

(ग) इस प्रकार के मामलों की संख्या को न्यूनतम रखने के संबंध में सरकार

द्वारा की गई कार्यवाही ; तथा

(घ) कुल हानि में से कितना भाग पुनः प्राप्त कर लिया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) सन् १९५०–५१ में ८०२ अधिकारी लिप्त हुए थे। इनमें से १३० को अदालत ने अपराधी ठहराया था;

५२ को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था;

७१ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी;

३६ फ़रार हो गये या मर गये;

३१ मार्च, १९५१ को २४९ के मुकदमे विचाराधीन थे;

२६४ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या पुलिस जांच हो रही थी;

(ग) समय समय पर सुधार सम्बन्धी उपयुक्त कार्यवाही की जाती है तथा अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता है। धन सम्बन्धी ज़िम्मेदारी उन अधिकारियों पर डाली जाती है जिन की लापरवाही के कारण इस प्रकार की धोखेबाजियां करने में सुविधा मिलती है जो निरीक्षण अधिकारी अपने काम में सुस्त पाये जाते हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है।

(घ) सन् १९५०–५१ में ६,४२,१७६ रुपये की कुल हानि में से सन् १९५१–५२ में ८१,५०८ रुपये पुनः प्राप्त कर लिए गये थे।

त्रावनकोर-कोचीन में संघीय वित्तीय एकीकरण

*९९७. **कुमारी आनी मस्करीन** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में संघीय वित्तीय एकीकरण पूर्ण हो चुका है ; तथा

(ख) राज्य के कर्मचारियों का पद, श्रेणी तथा वेतन निर्धारित करने की कसौटी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय विभागों में लिये गये कर्मचारियों का पद, श्रेणी और वेतन, सामान्यतः इस कार्य के लिए नियुक्त की गई विभागीय समितियों की सिफारिशों के अनुसार या कुछ मामलों में विशेष भर्ती बोर्ड की सहायता से, निर्धारित किया गया है।

फ़सल प्रतियोगिता योजना

*९९८. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा चालू की गई फ़स्ल प्रतियोगिता योजना से क्या पिछले दो वर्षों में उड़ीसा राज्य में खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने में सहायता मिली है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उपरोक्त अवधि में अतिरिक्त उपज कितनी हुई ;

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने एकड़ भूमि पर और खेती की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). कार्य तथा सम्भरण योजनाओं की तरह नहीं, जिनसे प्रत्यक्षरूप से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि फ़स्ल प्रतियोगिताओं से उत्पादन में केवल अप्रत्यक्षरूप से वृद्धि होती है क्योंकि किसानों में लाभप्रद प्रतियोगिता की भावना फैला कर उन्हें प्रति एकड़ अधिक उपज पैदा करने के लिये प्रेरित किया जाता है। अतः यह बतलाना कठिन है कि इन प्रतियोगिताओं के फलस्वरूप उत्पादन में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई।

उड़ीसा में वर्ष १९५०-५१ से फ़स्ल प्रतियोगिता चलाई गई है। फिर भी, पहले बताये गये कारणों से यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इन प्रतियोगिताओं के फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई या इसके फलस्वरूप और कितनी भूमि पर खेती हुई।

कोरापुट में मलेरिया-नाशक आन्दोलन

*९९९. **श्री संगण्ण**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्त्वावधान में ज़िला कोरापुट (उड़ीसा) की रायागड्डा बीरसामक्यू हैक पहाड़ियों में मलेरिया नाशक आन्दोलन कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) योजना के अन्तर्गत कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) योजना कब समाप्त कर दी गई थी ;

(घ) कार्यवाहक उपकरणों तथा योजना की सरकारी मशीनों का क्या हुआ; तथा

(ङ) योजना के अन्तर्गत रखे गये लेखों की परीक्षा राज्य-सरकार लेखा परीक्षकों या केन्द्रीय सरकार लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) मई, १९४९ से मई, १९५१ तक।

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) मई, १९५१ में।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकर्त्ताओं के हटा लिये जाने के बाद कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले समस्त उपकरणों को उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थानीय टोली के नेता ने उधार ले लिया था।

(ङ) भारत सरकार द्वारा जो रक़म पेशगी दी गई थी उसके सम्बन्ध में लेखों को महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली, को सौंप दिया गया है जिससे कि उन की परीक्षा हो सके। भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है राज्य सरकार के लेखों की परीक्षा की गई है अथवा नहीं। सूचना मांगी गई है।

आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस०

*१०००. **श्री गणपति राम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिए कितने उम्मीदवारों से भेंट की गई तथा चुना गय

(ख) क्या ऐसे चुनाव में भेंट और परीक्षा का स्तर नीचा कर दिया गया था; तथा

(ग) इस वर्ष कितने स्थान खाली हो रहे हैं तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना जारी की है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य मौखिक परीक्षा का निर्देश कर रहे हैं जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रतियोगीय परीक्षाओं का एक भाग है । केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिये बुलाया जाता है जो लिखित परीक्षा में एक निर्धारित स्तर तक पहुंचते हैं तथा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जो मौखिक परीक्षा में, तथा साथ ही साथ लिखित और मौखिक परीक्षाओं दोनों को मिला कर कुल नम्बरों में से न्यूनतम नम्बर लाते हैं, नियुक्त किये जाने के योग्य घोषित किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों को छोड़ कर सेवा में वास्तविक नियुक्तियां खाली स्थानों तक पात्रता क्रम के अनुसार की जाती है। सन् १९५० तथा १९५१ में हुई प्रतियोगीय परीक्षाओं के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता [देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनुमान है कि सितम्बर, १९५२ में होने वाली प्रतियोगीय परीक्षा के फल-स्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में क्रमशः ३० और ३५ व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया है ।

फर्रुखनगर-झज्जर रेलवे लाइन

*१००१. **श्री बंसल :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार फर्रुखनगर से झज्जर तक ब्रान्च लाइन को बढ़ाने तथा उसे कोसली या हिसार से मिलाने का है; तथा

(ख) यदि है तो क्या उस योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता ।

चावल का आयात

*१००२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ तथा १९५१ - ५२ में भारत में आयात किये गये चावल की मात्रा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सन् १९५०-५१ वर्ष में ४·९९ लाख टन तथा सन् १९५१-५२ वर्ष में ६·८६ लाख टन चावल आयात किया गया था।

फफूंद मैनपुरी रेलवे लाइन

*१००३. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फफूंद (रेलवे स्टेशन, ई० आई० आर०, इटावा जिले में) को मैनपुरी तथा एटा से मिलाने के लिये एक नई रेलवे लाइन के बनाये जाने के सम्बन्ध में कुछ वर्षों पूर्व तैयार किये गये आगणनों की राशियां; तथा

(ख) मामले में क्या प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात मन्त्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस विशेष परियोजना के सम्बन्ध में अभी तक कोई आगणन तैयार नहीं किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के इस सझाव पर कि मैनपुरी से कासगंज तक एटा होकर एक लाइन बनाई जाये, केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने अपनी २० दिसम्बर १९४९ को हुई एक बैठक में विचार किया था तथा तभी यह निर्णय किया गया था कि इस सुझाव को छोड़ दिया जाये।

शिकोहाबाद–फर्रुखाबाद रेलवे लाइन
(भीड़ भाड़)

*१००४. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गंगा स्नान के अवसरों पर शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद (ई० आई० रेलवे ब्रांच लाइन) लाइन पर असाधारण भीड़ भाड़ हो जाती है तथा यात्रियों को डब्बों की छत पर बैठने की अनुमति दे दी जाती है; तथा

(ख) यदि दे दी जाती है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) गंगा स्नान के अवसरों पर कभी कभी शिकोहाबाद–फर्रुखाबाद सेक्शन पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो जाती है तथा रेलवे द्वारा भरसक प्रयत्न करने पर भी लोग डब्बों से लटक जाते हैं तथा छतों पर बैठ जाते हैं। फिर भी यह धारणा बनाने का कोई आधार नहीं है कि रेलवे इस प्रकार से अनियमित यात्रा करने की अनुमति देती है।

(ख) मेले की भीड़ भाड़ को कम करने के लिये विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं तथा साधारण अनुसूचित गाड़ियों में डब्बों की संख्या बढ़ा दी जाती है तथा समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर टिकट देखने वालों की टोलियां बिना टिकट चलने वालों तथा अनियमितरूप से यात्रा करने वालों की रोकथाम के लिये नियुक्त कर दी जाती हैं। इसी कार्य के लिये स्नान के दिनों में एक विशेष मजिस्ट्रेट भी वहां रखा जाता जिसके पास पर्याप्त कर्मचारी होते हैं।

अमरावती-नारखेड रेलवे लाइन

*१००५. **श्री चाण्डक** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जी० आई० पी० (सेन्ट्रल) रेलवे पर अमरावती तथा नारखेड (मध्य प्रदेश) के बीच क्या कोई रेलवे लाइन बनाने का सुझाव था;

(ख) क्या यह सत्य है कि मध्य-प्रदेश सरकार ने इस लाईन की आवश्यकता बतलाई थी तथा भारत सरकार से उसे बनाने की प्रार्थना की थी; तथा

(ग) यदि प्रार्थना की थी तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) परियोजना का यातायात परिमापन कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा इंजीनियरिंग परिमापन आंशिक रूप से किया जा चुका है । प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता लगा है कि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह परियोजना लाभदायक नहीं है । मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाओं के साथ साथ यथा समय केन्द्रीय यातायात बोर्ड इस परियोजना पर भी विचार करेगा तथा तब ही अन्तिम-रूप से निश्चय किया जायेगा ।

बिहार में छोटी सिंचाई परियोजनायें

*१००६. **श्री बी० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में 'छोटी सिंचाई परियोजनाओं' के लिये बिहार को कुल कितनी आर्थिक सहायता देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : कुओं, पाइप, अहार इत्यादि के लिये पहले ही १९.४७ लाख रुपये का अनुदान दे दिया गया है कुछ और योजनाओं पर, जिनके लिये ३९.३६ लाख रुपये के अनुदान तथा २.५ लाख रुपये के ऋण दिये जाने की व्यवस्था है, विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*१००७. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन दिल्ली राज्य सरकार की ट्रैक्टर यूनिटों को अपने कब्जे में ले रहा है; तथा

(ख) यदि ले रहा है तो बातचीत किस अवस्था पर है तथा शर्तें क्या क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). क्योंकि दिल्ली ट्रैक्टर खेती योजना समाप्त हो रही है इसलिये यह निश्चय किया गया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा खरीदे गये ट्रैक्टरों तथा अन्य उपकरणों को केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को बेचने के लिये दे दिया जाये । संगठन ट्रैक्टरों को नहीं चलायेगा किन्तु वह केवल उन्हें इस प्रकार से बेचेगा जिससे सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो; परन्तु यह सब कुछ स्थानीय प्रशासन के खर्च तथा जोखिम पर किया जायेगा ।

मुजफ्फरपुर-सीताम्बरी रेलवे लाइन

*१००८. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार मुज़फ्फरपुर तथा सीताम्बरी के बीच सीधी लाइन बनाने का है; तथा

(ख) क्या कोई परिमाप किया गया था, यदि हां, तो कब ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) मुजफ्फरपुर तथा सीताम्बरी के बीच लाईन बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उत्तर नाकारात्मक है।

इन्दौर-उज्जैन रेलवे लाइन

*१००९. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इन्दौर-उज्जैन बड़ी लाईन बनाने के सम्बन्ध में कब तक काम आरम्भ होने की सम्भावना है; तथा

(ख) अब तक काम में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सुझाव अब भी विचाराधीन है तथा इस अवस्था पर यह बतलाना कि यह काम के आरम्भ होने की कब तक सम्भावना है सम्भव नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे भूमि

*१०१०. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे लाइनों के दोनों ओर पड़ी कृषियोग्य भूमि एकड़ों में ;

(ख) सन् १९५१-५२ में खेती के लिये इसमें से कितने एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई थी ;

(ग) कुल उपज क्या है ; तथा

(घ) क्या इस भूमि का प्रबन्ध किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा होता है, और यदि होता है, तो उसके पद का नाम ?

रेलवे तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) लगभग १,२५,००० एकड़।

(ख) १३,६९९ एकड़।

(ग) क्योंकि भूमि नागरिक प्राधिकारियों के द्वारा पट्टे पर दी जाती है इसलिये उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जिस भूमि को खेती के लिये पट्टे पर दिया जाता है उसका प्रबन्ध राज्य सरकारों के राजस्व विभाग करते हैं न कि रेलवे कर्मचारी।

तिल

*१०११. **श्री आर० एम० तिवारी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५० और १९५१ में तिल की कुल उपज और इन्हीं वर्षों में निर्यात की गई मात्रा ;

(ख) क्या सरकार की ओर से तिल के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुये हैं ; और

(ग) क्या तिल का तेल भारत में साबुन बनाने के काम आता है या यह बाहर निर्यात किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अनुमान किया जाता है कि सन् १९४९-५० में ४३१,००० टन तथा सन् १९५०-५१ में ४,५३,००० टन उत्पादन हुआ। इन दो वर्षों में क्रमशः लगभग १०० टन तथा लगभग १००० टन का निर्यात हुआ।

(ख) सामान्यतः निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) तिल का तेल निर्यात नहीं किया जाता है। सामान्यतः इस का साबुन बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। श्रंगार वस्तुओं

के बनाने में कुछ मात्रा का प्रयोग किया जाता है।

मशीनें चलाने तथा उनमें डालने का तेल (आर्थिक सहायता)

*१०१२. **श्री विश्वानाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) खाद्य फस्लों की सिंचाई के लिये किसान जो मशीन चलाने तथा उसमें डालने वाला तेल प्रयोग करते हैं क्या उस के मूल्य के सम्बन्ध में कोई आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है ;

(ख) ज़िला चित्तूर की रइयत पर्षद् से सरकार को क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) यदि प्राप्त हुआ है तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां।

(ग) मद्रास सरकार के विचारार्थ सुझाव भेज दिया गया है तथा उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

कुर्ग में पुलों का निर्माण

*१०१३. **श्री एन० सोमना** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सड़क निधि में कुर्ग राज्य के नाम में तीन पुल बनवाने के लिये क्या कोई राशि बकाया ह तथा यदि बकाया है तो कितनी ?

(ख) क्या चालू वर्ष में उस राशि के उपयोग किये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तीन पुलों के बनाने के लिये वर्ष १९४९ में केन्द्रीय सड़क सुरक्षित निधि (साधारण) से कुर्ग को ३½ लाख रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया था। अनुदान अब भी उपलब्ध है।

(ख) चालू वर्ष में एक पुल के बनाये जाने के सम्बन्ध में अनुदान के कुछ भाग के उपयोग किये जाने की सम्भावना है।

कुर्ग में मलेरिया-नाशक कार्य

*१०१४. **श्री एन०सोमना** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या भारत सरकार ने कुर्ग राज्य से चालू वर्ष में मलेरिया-नाशक कार्य के खर्च का कुछ भाग सहन करने के लिये कहा है और यदि कहा है तो खर्च का कितना भाग ?

(ख) इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख). वर्ष १९४६-४७ से जब कि सब से पहले कुर्ग में मलेरिया-नाशक संगठन स्थापित किया गया था, विशेष मामला समझ कर केन्द्रीय सरकार इस संगठन का खर्च देती रही है। साधारणतः यह ऐसा खर्च है जिस को राज्य के राजस्व से पूरा किया जाना चाहिये। अतः यह प्रस्ताव रखा गया है कि चालू वैत्तिक वर्ष से राज्य सरकार को इस स्थापना का खर्च सहन करना चाहिये। कुछ समय के लिये केन्द्रीय सरकार डी० डी० टी० जैसे सामानों का खर्च सहन करेगी। राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

*१०१५. **श्री वल्लातरास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय को पुनः संगठन करने तथा उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना क्या कार्यान्वित हो चुकी है तथा यदि हो चुकी है तो किस सीमा तक ;

(ख) सहायक अधीक्षकों (श्रेणी ३) तथा अधीक्षकों (श्रेणी २) के पदों पर नियुक्त अथवा उन्नति करने के लिये क्या उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है ;

(ग) उक्त उपयुक्ता के लिये अर्हताएं तय करने के सम्बन्ध में क्या कोई इम्तहान और प्रतियोगीय परीक्षा हुई थी ;

(घ) वर्तमान असिसटेंटो (श्रेणी ४) में से कितने अन्तिम उपयुक्ता सूची में आ गये हैं ;

(ङ) इन असिसटैन्टों (श्रेणी ४) के अतिरिक्त भी क्या अन्य व्यक्ति उपयुक्ता सूची में लिये जाते हैं तथा यदि लिये जाते हैं तो कितने ; तथा

(च) इन अन्य व्यक्तियों में से कितने ऐसे हैं जो इम्ताहनों तथा प्रतियोगीय परीक्षाओं में असफल रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) श्रेणी १ से ३ तक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनःसंगठन) तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि) योजना की कार्यान्विति लगभग पूरी हो चुकी है। श्रेणी ४ के पदों पर भी नियुक्तियां शीघ्र ही कर दी जायेंगी।

(ख) सन् १९४८-४९ में प्रत्येक मंत्रालय में ऐसे व्यक्तियों की सूचियां, जो श्रेणी १ से ३ तक के पदों के लिये योजना की शर्तों के अधीन विचार किये जाने के उपयुक्त थे, तैयार करके प्रकाशित कर दी गई थीं। इन पर संघ लोक सेवा आयोग ने विचार किया था तथा ऐसे व्यक्तियों की सूचियां, जो सेवा की प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त किये जाने के उपयुक्त पाये गये थे, आयोग से प्राप्त हो गई हैं तथा प्रकाशित कर दी गई हैं।

(ग) योजना के पैरा २० में उपयुक्तता की शर्तें निर्धारित की हुई हैं, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियां करने के लिये अधिकारियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में आयोग ने उनके सेवा अभिलेखों पर विचार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर भेंट करने के पश्चात् सिफारिशें की हैं। इस कार्य के लिये कोई प्रतियोगीय परीक्षाएं निर्धारित नहीं की गई थीं।

(घ) से (च). न तो उपयुक्त उम्मीदवारों की न ही अनुमोदित उम्मीदवारों की कोई ऐसी सूचियां बनाई गई हैं जिन में अलग अलग यह सूचना दी हो कि कौन असिस्टेंट थे और कौन नहीं। ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना संग्रह की जा रही हैं जो असिस्टेंट थे तथा तैयार होते ही उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

पर्यटक यातायात सुविधायें

१९५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निम्नलिखित स्थानों में से एक में, या एक से अधिक में या समस्त में ऐसे विश्रामगृह बनवाने में, जिन में जल-पान तथा अन्य पर्यटक यातायात सुविधाओं की व्यवस्था हो, कितनी अनुमानित व्यय होगी :

(१) खजुराही मन्दिर ।

(२) चाचे फाल्स ; तथा

(३) केओटी फाल्स ;

विन्ध्य प्रदेश राज्य में ;

(ख) किस समय तक इन स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी ; तथा

(ग) उपरोक्त स्थानों के सम्बन्ध में यदि कोई साहित्य, इश्तहार, पुस्तिका या प्रकाशन इत्यादि प्रकाशित किया गय हो तो क्या सरकार का विचार उनमें से प्रत्येक की एक प्रति सदन पटल पर रखने का है।

रेल तथा यातायात मंत्री श्री (एल० बी० शास्त्री) : (क) (१) अब तक केवल खजुराहो में एक डाक बंगला बनवाने के सम्बन्ध में आगणन तैयार किया गया है। आशा की जाती है कि ३०,००० रुपये व्यय होंगे ।

(ख) विन्ध्य प्रदेश सरकार के साथ इस मामले पर पत्रव्यवहार हो रहा है।

(ग) "इन्डिया टुअरिस्ट इन्फारेमेशन" तथा 'दी हैन्ड बुक आफ इन्डिया" पुस्तकों की प्रतियां, जिन में अन्य बातों के साथ-साथ खजुराहो का भी वर्णन है, पहले ही पुस्तकालय म रख दी गई हैं । पुरातत्व विभाग खजुराहो के सम्बन्ध में एक सूचनात्मक पुस्तिका निकाल रहा है जिसकी प्रतियां तैयार होजान पर पुस्तकालय में रख दी जायेंगी। इन केन्द्रों के सम्बन्ध में जो अन्य प्रकाशन होंगे उन की भी प्रतियां इसी प्रकार रख दी जायेंगी।

बड़ाजामडा में साइडिंगों का निर्माण

१९६. **की देवगम** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बड़ाजामडा क्षेत्र में प्रार्थियों के खर्च पर साइडिंग बनवाने के इस समय कितने प्रार्थनापत्र पड़े हुए हैं ;

(ख) उक्त साइडिंग कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ; तथा

(ग) प्रार्थियों के नाम तथा उनके प्रार्थनापत्रों की प्रतियां ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री :(क) १७.

(ख) साइडिंग कब तक बन कर तैयार हो सकते हैं इसके सम्बन्ध में सरकार कुछ बतलाने की स्थिति में नहीं है

(ग) विशेष विवरण नीचे दिया जाता है :

फर्म का नाम	प्रार्थनापत्र की तिथि
(१) सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी	३०-६-१९५१
(२) एस० लाल एण्ड कम्पनी	२२-९-१९५१
(३) बी० एन० शारदा (दो स्थानों पर साइडिंग बनवाने के लिये दो प्रार्थना पत्र)	१०-९-१९५१ तथा २८-१२-१९५१
(४) कलिंग आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन	२६-१०-१९५०
(५) रतन लाल सूरज मल	१३-३-१९५२
(६) कनाई लाल पुरुषोत्तमदास	२३-४-१९५२
(७) एन० राय	नवम्बर, १९५१ तथा मार्च, १९५२ के बीच विभिन्न तिथियों में प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए।
(८) ई० सी० ओट्स	
(९) रामगोपाल परासी	
(१०) मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड	
(११) विजय माइनिंग कम्पनी लिमिटेड	
(१२) इन्डियन ट्रेडर्स कारपोरेशन	
(१३) एस० चटर्जी	
(१४) श्री नारायन एण्ड कम्पनी	
(१५) मिसरीलाल धर्म चन्द लिमिटेड	
(१६) आर्यन माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	
(१७) बोनाई इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड	

देवारिया सदर — बुद्धिभूमि रेल कड़ी

९९९. **श्री रामजी वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार देवरिया सदर (ओ टी० आर०) तथा बुद्धभूमि कुशी नारा कसिआ के बीच एक रेल कड़ी स्थापित करने का है ;

(ख) यदि है तो कब तक; तथा

(ग) क्या यह परियोजना चालू वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस सयय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते ।

गश्ती यात्रा टिकट

२००. **श्री पी० सुब्बा राव** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तीर्थ यात्रियों का यातायात बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या सरकार का विचार पुनः गश्ती यात्रा टिकटों को चलाने का है जो ३ मास के लिए सामान्य किराये के तीन चौथाई पर उपलब्ध होते हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : किरायों में किसी प्रकार की रियायत किये बिना तीन मास वाले प्रामाणिक गश्ती यात्रा टिकट १ अप्रैल, १९५१ से पुनः चालू कर दिये गये हैं ।

पावदानों पर यात्रा

२०१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५०, १९५१ तथा १९५२ में दक्षिण, पश्चिम तथा केन्द्रीय रेलों के (पृथक् रूप से) पावदानों पर यात्रा करने के लिये कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :

रेलवे	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध जनवरी में पावदानों पर यात्रा करने के लिये अभियोग चलाये गये		
	१९५०	१९५१	१९५२
दक्षिणी	२०२	२०६	१३९
पश्चिमी	२३७	१३९	३३९
केन्द्रीय	६०६	७२३	६५४

अनाज उत्पादन

२०२. **श्री बर्मन** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में भारत के अनाज उत्पादन तथा खपत के अनुमानित आंकड़े क्या हैं ?

(ख) वर्ष १९५६ के लिये उत्पादन तथा खपत के अनुमानित आंकड़े क्या हैं तथा यदि उस वर्ष में कोई मात्रा आयात करने का विचार है तो उस के भी अनुमानित आंकड़े क्या हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जहां तक वर्ष १९५१ में अनाज उत्पादन का सम्बन्ध है शासकीय रूप से तथा न्यादर्श अधीक्षण रूप से जमा किये गये आंकड़ों में बहुत बड़ा अन्तर है ?

(घ) यदि अन्तर है तो क्या यह अब तक दूर किया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५० तथा १९५१ में देश में अनाज का कुल तथा शुद्ध उत्पादन कितना हुआ इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३]**

वर्ष १९५२ के सम्बन्ध में अनाज के कुल उत्पादन तथा खपत के शासकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । क्योंकि गैर-सरकारी रूप से स्टाक में हुए परिवर्तनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि किसी भी वर्ष में वास्तविक खपत कितनी हुई । फिर भी, केन्द्र द्वारा समस्त राज्यों को वर्ष ११५० तथा ९९५१ में दिये गये सम्भरण तथा राज्य सरकारों द्वारा रखे गये स्टाक में हुए परिवर्तनों के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं उन को सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिखला दिया गया है ।

(ख) वर्ष १९५६ में आनाज के उत्पादन, खपत या आयात के अनुमानित आंकडे उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी योजना आयोग ने सन् १९५६ तक ७२ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तथा १९५६ में सब बातों को देखते हुए आनाज की खपत का प्रमाप

वही रहता है जो १९५० में था तो हो सकता है कि फस्ल सामान्य होने पर हमें १९५६ में खपत के लिये कोई आयात न करना पड़े ।

(ग) सन् १९५०-५१ के लिये न्यादर्श अधीक्षण के जो अनुमानित आंकड़े थे वे अन्तिम शासकीय अनुमान से ७·५ प्रतिशत अधिक थे ।

(घ) अनुमान लगाने के जो दो विभिन्न ढंगों को अपनाया गया है उसी के कारण यह अन्तर आता है ।

अब यह मान लिया गया है कि न्यादर्श अधीक्षण ढंग अधिक विश्वास के योग है तथा समस्त राज्य सरकारों से कहा गया है कि अपने उत्पादन के अन्तिम आंकडों को फस्ल कटने के न्यादर्श अधीक्षणों पर आधारित करें ।

रेल इंजन

२०३. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय तीनों प्रकार की रेल लाइनों पर चलने वाले इजनों की संख्या क्या है तथा ऐसे इंजनों की संख्या क्या है जो काम तो कर रहे है किन्तु उनकी औसत आयु समाप्त हो चुकी है;

(ख) वर्ष १९५१–५२ में विदेशों से भारत में आयात किये गये रेल इंजनों की संख्या, विवरण तथा मूल्य क्या है;

(ग) भारत के विभिन्न कारखानों भारत में इस समय कितने इंजनों की मरम्मत हो रही है ;

(घ) वर्ष १९५२-५३ में विदेशी फर्मों से आयात किये जाने वाले इंजनों की संख्या, विवरण तथा मूल्य क्या हैं तथा उनकी भारत में कब तक आने की सम्भावना है।

(ङ) वर्ष १९५१-५२ में भारत के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा अन्य फैक्टरियों में निर्मित किये गये इंजनों की संख्या, विवरण और मूल्य क्या है; तथा

(च) वर्ष १९५१-५२ में भारत में आयात किये गये इंजनों का औसत मूल्य क्या था तथा भारत में निर्मित इंजन का औसत मूल्य क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ३१ मार्च, १९५२ को भारतीय रेलवे की लाइनों पर ५,२२५ बड़ी लाइनों, २,६७६ मीटर लाइनों तथा ३६३ छोटी लाइनों के इंजन कम कर रहे थे । इनमें से लगभग १,२०० बड़ी लाइन वाले, ८०० मीटर लाइन वाले तथा १०० छोटी लाइन वाले इंजन ऐसे थे जिनकी आयु ४० वर्ष से अधिक हो गई थी ।

(ख) से (ङ). अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(च) आयात किये गये बड़ी लाइन वाले इंजन का तटागत मूल्य लगभग ५ लाख रुपये है तथा मीटर लाइन वाले का लगभग ३ लाख रुपये । उसी प्रकार के भारत में निर्मित बड़ी लाइन वाले इंजन का औसतन अनुमानित मूल्य ६$\frac{1}{2}$ लाख रुपये तथा मीटर लाइन वाले

इंजन का लगभग ४ लाख रुपये है ।

डाक निरीक्षक

२०४. **श्री धूसिया** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि समस्त भारत में क्रमशः स्थायी तथा अस्थायी डाक निरीक्षकों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे स्थायी तथा अस्थायी निरीक्षकों की संख्या क्या है ?

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) स्थायी—५७२
अस्थायी—३६६

(ख) स्थायी—७७
अस्थायी—४६

(ग) एक भी नहीं ।

बिहार में डाक वितरण के लिये हवाई डाक सेवायें

२०५. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **संचरण** मंत्री उन स्थानों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां बिहार में डाक वितरण के लिये हवाई डाक सेवाओं की व्यवस्था है ?

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें बिहार में हवाई डाक ले जाने का काम सौंपा गया है ?

(ग) इस कार्य में कितने वायुयान लगे हुए हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बिहार के समस्त स्थानों के लिए भेजी जाने वाली समस्त प्रथम श्रेणी तथा अधिभारित डाक, जो रात्रि हवाई डाक केंद्रों तथा उससे दूर के स्थानों से लाई जाती है, डाक वितरण कार्यालय के स्थान के अनुसार अंशतः या पूर्णतः वायुयानों द्वारा ले जाई जाती है जब कभी भी यह समझा जाता है कि वितरण में शीघ्रता होगी तो पड़ोसी राज्यों से जाने तथा उनमें आने वाली डाक को भी वायुयानों द्वारा लाया ले जाया जाता है ।

(ख) भारत एयरवेज लिमिटेड तथा इन्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड ।

(ग) तीन ।

पश्चिमी बंगाल में धान के खेतों का पटसन के खेतों में विकर्षण

२०६. **एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाजन के पश्चात् से अब तक भारत सरकार के निदेशानुसार पश्चिमी बंगाल में कितने एकड़ भूमि धान की खेती से पटसन की खेती में विकर्षित कर दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बर्ष १९५०-५१ से पूर्व धान के खेतों को पटसन के खेतों में विकर्षित करने की कोई योजना नहीं थी। सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ वर्षों के लिए बनाई गई योजना में २ लाख एकड़ भूमि के विकर्षित करने की व्यवस्था की गई थी । वास्तव में कितना विकर्षण हुआ इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां

२०७. **श्री ई० इय्यान्नी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सितम्बर अक्टूबर, १९५१ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आई०

आई ०ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिए ली गई परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया ; तथा

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार सफल हुए ?

गृहकार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : (क)

सेवा का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां
केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा	१०	—
केवल भारतीय पुलिस सेवा	११	१
भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा	२२	२
	४३	३

(ख) एक भी नहीं ।

होशंगाबाद में केन्द्रीय ट्रैक्टर योजना

२०८. **श्री सैय्यद अहमद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में केन्द्रीय ट्रैक्टर योजना के अन्तर्गत ३० अप्रैल, १९५१ तक कितने एकड़ भूमि में ट्रैक्टर चलाया गया ;

(ख) इस जिले में किस प्रकार के तथा कितने ट्रैक्टर काम कर रहे हैं ?

(ग) प्रति एकड़ भूमि में इन ट्रैक्टरों को चलाने की क्या लागो आती है तथा भूमि के स्वामियों से प्रति एकड़ कितना खर्च लिया जाता है ; तथा

(घ) क्या भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार भूमि के स्वामियों से उससे अधिक राशि वसूल कर सकती है जितनी कि भारत सरकार ने निर्धारित कर दी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई) :

(क) सन् १९५१-५२ के कृष्य-करण मौसम में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ३० अप्रैल १९५२ तक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में २२,२७६ एकड़ में ट्रैक्टर चलाये । सन् १९४८-४९ से प्रारम्भ होने वाले पिछले वर्षों में इसी ज़िले में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन न कुल ७३,३५६ एकड़ भूमि में ट्रैक्टर चलाया था ।

(ख) सन् १९५१-५२ मौसम में ओलीवर क्लीट्रक, माडल एफ डी ई' किस्म के ३० भारी ट्रैक्टरों को इस ज़िले में चलाया गया था । इसके अतिरिक्त 'केटरपिलर माडल डी ७ किस्म के ८ हल्के ट्रैक्टरों को जरूरत के लिये खड़ा रखा गया था ।

(ग) इन ट्रैक्टरों को चलाने की प्रति एकड़ लागत ५२ रुपये है। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कार्य संचालन की पूरी लागत राज्य सरकार से वसूल कर लेता है। भूमि के स्वामियों से राज्य सरकारें किस दर पर वसूली करती हैं इसकी ठीक सूचना भारत सरकार को ज्ञात नहीं है।

(घ) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच केवल एक यही व्यवस्था है कि राज्य सरकार केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किये गये व्यय को पूरा करेगी। फिर भी राज्य सरकार को केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के खर्चे के अलावा ट्रैक्टर चलाये जाने के सम्बन्ध में सुविधाओं की व्यवस्था करने में कुछ व्यय करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार किसानों से वसूली करती है अथवा नहीं यह एक ऐसा मामला है जो उनसे ही सम्बन्ध रखता है।

उत्तर प्रदेश से चीनी संयंत्रों का हटाया जाना

२०९. **श्री बी० एन० राय**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार से क्या कुछ चीनी फैक्टरी संयंत्र अन्य राज्यों को भेजे गये हैं ;

(ख) यदि भेजे गये हैं तो कितने (राज्यवार);

(ग) क्या सरकार का बिचार उत्तर प्रदेश से कुछ और संयंत्रो को भेजने का है;

(घ) यदि भेजने का है तो कितन; तथा

(ङ) ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख). जी हां, एक केवल उत्तर प्रदेश से।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ). उत्पन्न ही नहीं होते।

कोरापुट में मलेरिया-नाशक आन्दोलन

२१०: **श्री संगण्णा**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) यू० एन० आई० सी० ई० एफ० द्वारा भारत को और अधिक दी गई सहायता को ध्यान में रखते हुए ज़िला कोरापुट (उड़ीसा) की रायागाडा-वीरसम कटक पहाड़ियों में क्या मलेरिया-नाशक आन्दोलन को पुनः चलाया जायेगा;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो आन्दोलन कब आरम्भ किया जायेगा; तथा

(ग) आन्दोलन पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी नहीं। डब्लू० एच० ओ० यू० एन० आई० सी० इ० एफ० द्वारा अपने व्यक्तियों को हटा लेने के पश्चात् मलेरिया-नाशक कार्य को जारी रखना उड़ीसा सरकार पर

निर्भर करता है। यू० एन० आई० सी० इ० एफ़० द्वारा दी जाने वाली सहायता अब केवल डी० डी० टी० के उतने संभरण तक सीमित है जितना कि राज्य सरकार वर्ष १९५०-५१ में प्रयोग की गई मात्रा के अतिरिक्त प्रयोग करने की स्थिति में है।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते।

बन्दूकों, तमंचों इत्यादि का आयात

२१२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७-४८, १९४८-४९ १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में विदेशों से आयात की गई क्रमशः बन्दूकों, तमंचों तथा पिस्तौलों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि दी गई तथा उन विदेशों के नाम क्या हैं ; तथा

(ख) देश के बाहर धन को इस प्रकार पानी की तरह बहाने से रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सूचना संग्रह की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारत की सरकारी आयुध फैक्टरियों में इन शस्त्रों को बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

करंजा रेलवे स्टेशन

२१३. **श्री चाण्डक** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रदाय व्यादेश मंजूर हो जाने पर भी मध्य प्रदेश के करंजा (बरार) स्टेशन को मालगाड़ी के डिब्बे नहीं दिये गये जिसके फलस्वरूप स्टेशन पर महीनों माल पड़ा रहा और व्यापारियों को हानि उठानी पड़ी।

(ख) इस सम्बन्ध में क्या सरकार को उस स्थान के व्यापारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) यदि हुआ है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :

(क) सेन्ट्रल प्राविन्सेज रेलवे के छोटी लाइन सेक्शन में, जिस पर करंजा स्टेशन स्थित है, मालगाड़ियों के डब्बों की मांग न केवल उपलब्ध डब्बों से अधिक है बल्कि छोटी लाइन और बड़ी लाईन के लिए बने हुए मुर्तजापुर स्टेशन की छोटी लाईन से बड़ी लाईन और बड़ी लाइन से छोटी लाइन में सामान लादने की जो सामर्थ्य है उससे भी बढ़ जाती है। अतः इस समय जो सामान ढोने के लिए दिया जाता है उस सब को ढोना सम्भव नहीं है। सरकार द्वारा प्रवर्तित खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के सम्बन्ध में भारी मांग को पूरा करने के पश्चात् कुछ मामले ऐसे भी रह गये हैं जिन में कम महत्व की वस्तुओं का ढोना कुछ

समय से पड़ा हुआ है ।

(ख) मालगाड़ी के डब्बों के प्रदाय तथा मालगाड़ी के डब्बों के न दिए जाने पर पंजीयन फीस के लौटाने के सम्बन्ध में बिलम्ब किये जाने के लिए व्यापारी संघ करंजा द्वारा यातायात तथा रेल मंत्री के नाम दिनांक २८ अप्रैल, १९५२ तथा ३० मई, १९५२ के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ग) शिकायतों पर विचार किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश से खाद्यान्नों का संभरण

२१४. **श्री चंण्डक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) १ जनवरी, १९४७ से लेकर प्रति वर्ष कौन कौन से खाद्यान्न अलग-अलग कितनी कितनी मात्रा में, मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को भेजे गये ;

(ख) उपयुक्त समय में कौन कौन से खाद्यान्न अलग-अलग, कितनी कितनी मात्रा में, दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आयें; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने इस समय में भारत सरकार को कितना खाद्यान्न देने का वायदा किया और वह वायदा कैसे पूरा किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९४७ से १९५२ तक मध्य प्रदेश से निर्यात किय गये खाद्यान्नों का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) आयात किये गये खाद्यान्नों में से केन्द्र द्वारा दी गई मात्राओं के अतिरिक्त अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश को सन् १९४७ में ८,००० टन गेहूं, सन् १९४९ में ७,००० टन गेहूं तथा सन् १९५१ में १,००० टन गेहूं दिया गया था ।

(ग) इन वर्षों के आरम्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई अतिरेक मात्रा तथा इन वर्षों में वास्तव में दिया गया प्रदाय का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण १

मध्य प्रदेश से भेजा गया खाद्यान्न

(’००० **टनों में**)

अनाज	१९४७	१९४८	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२ (२४/५/१९५२ तक)
चावल	८६	१६०	७९	१४५	२३	५४
ज्वार, मक्का तथा जौ	१५	–	–	–	–	१

विवरण २

सन् १९४७ से १९५२ तक के वर्षों में वर्ष के आरम्भ में अतिरेक घोषित की गई मात्रा तथा वास्तव में दिया गया प्रदाय ।

(’००० टनों में)

वर्ष	अतिरेक घोषित की गई मात्रा	प्रदाय
१९४७	१४८	८६
१९४८	९५	१७५
१९४९	८०	७९
१९५०	२०९	१४५
१९५१		२३
१९५२	१२०	५४

अमोनियम सल्फेट

२१५. **श्री बी० पी० सिन्हा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में दक्षिण बिहार में वितरण के हेतु अमोनियम सल्फेट की कुल कितनी मात्रा दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): गत तीन वर्षों मे राज्य सरकार द्वारा दक्षिण बिहार में वितरण करने के हेतु कुल ३०,९८३ टन अमोनियम सल्फेट दिया गया जो इस प्रकार था:

१९४९—१२,९९८ टन
१९५०—१०,६९६ टन
१९५१—७,२८९ टन

सिंघाड़ा

२१६. **श्री आर० एस० तिवारी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या रेल के तारों के भीतर के गड्ढों में जो साधारणत: पानी से भरे रहते हैं, सिंघाड़े पैदा किये जा रहे हैं;

(ख) यदि किये जा रहे हैं तो इस के द्वारा रेलवे को होने वाली कुल आय;

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) उत्तर पूर्वी, पूर्वी तथा उत्तरी रेलों के कुछ नीचे वाले क्षेत्रों में सिंघाड़ा पैदा किया जाता है।

(ख) मछलियां पकड़ने तथा अन्य प्रकार से पानी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में जो ठेके दिये जाते हैं उन में ऐसे गड्ढों में जिन में यह पैदा किये जा सकते हैं, सिंघाड़े पैदा करने का भी ठेका होता है। उत्तरी रेलवे के एक निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़ कर, जिसमें सिंघाड़ा पैदा करने तथा बेचने का ठेका नीलाम करने से गत् वर्ष ७९५ रुपये प्राप्त हुये थे, सामान्यत: सिंघाड़ा पैदा करने का ठेका पृथक् रूप से नहीं दिया जाता है। फिर भी, यह बतलाना सम्भव नहीं है कि रेलों को रेलवे भूमि में सिंघाड़े के उत्पादन से कुल कितनी आय हुई।

काखर रेलवे स्टेशन

२१७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) काखर में रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्तमान क्वार्टरों की संख्या क्या है;

(ख) वर्तमान कर्मचारियों की निवास सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण करने के लिये कितने क्वार्टरों की जरूरत है;

(ग) कितने क्वार्टरो की और व्यवस्था करने का विचार है; तथा

(घ) क्या निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है और यदि ले लिया गया है तो उसके कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) से (घ) तक भारत की रेलवे लाइनों पर काखर नामक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसलिये, पूछी गई सूचना को बतलाना सम्भव नहीं है।

Wednesday, 18 June 1952

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, १८ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८.१५. म० पू०

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ ।

परिसीमन आयोग विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक-सभा में तथा राज्य विधान सभाओं में प्रादेशिक

निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधान के पुनः समायोजन की तथा उस से सम्बद्ध अन्य बातों की व्यवस्था करने के हेतु एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ ।

निरसक तथा संशोधक विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ विधानों का निरसन करने तथा कुछ अन्य विधानों में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ ।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

मांग संख्या ७८—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ७९—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय ।

मांग संख्या ८०—पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय

मांग संख्या १२५—पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी पूंजी व्यय

अध्यक्ष महोदय : अब हम पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखेंगे ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सदन में जो आलोचनायें की गई हैं वह उन पर खुले दिल से विचार करें। पांच वर्ष पहले सरकार को जिस विषम स्थिति का सामना करना पड़ा था वह सब जानते हैं। यह कोई मामूली सा प्रश्न नहीं था—लाखों की संख्या में लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जा रहे थे। स्वभावतः तुरन्त आवश्यकता इस बात की थी कि उन्हें सहायता कैसे दी जाये। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले तथा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की समस्यायें एक सी नहीं थीं। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में यह सोचा गया कि शायद वे पुनः वापस चले जायेंगे और उन के पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं है ऐसा सोचना ठीक था या गलत यह तो एक अलग बात है, परन्तु यह स्पष्ट है कि उन दोनों में भेद बरता गया।

माननीय पुनर्वास मंत्री ने रेडियो पर भाषण प्रसारित करते हुए बतलाया कि शरणार्थियों पर एक बहुत बड़ी धनराशि व्यय की गई है। मैं कहता हूं कि मुख्य चीज़ यह नहीं है कि कितनी धनराशि व्यय की गई, देखना तो यह है कि उक्त धनराशि किस ढंग से व्यय की गई। यदि हम देश के प्रत्येक भाग का जहां विस्थापित व्यक्ति बसे हुए हैं, भ्रम करें, तो हमें पता लगेगा कि उन की कठिनाइयां कितनी हैं सरकार केवल ऋण या दान देकर कभी भी समस्या नहीं सुलझा सकेगी। बहुत से लोगों ने ऋण के धन से मकान तो बनवा लिये पर उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला है कुछ लोगों को कुछ काम शुरू करने के लिये ऋण तो मिल गया है परन्तु उन के पास मकान नहीं हैं। पुनर्वास मंत्रालय ने बतलाया कि लगभग १८०,००० व्यक्तियों को सरकारी सूत्रों के द्वारा रोज़गार दिला दिया गया है। परन्तु उन में से बहुतों को अस्थायी नौकरियां मिली हैं जिन की नौकरी की शर्तें उन से बहुत अधिक खराब हैं जो पाकिस्तान में थीं। बहुतों को निकाले जाने का भी नोटिस मिल रहा है। जैसा कि कल कहा गया था, आप ने जो १५० करोड़ रुपये खर्च किये हैं उन में से १०० करोड़ रुपये शरणार्थियों से वापस लिये जाने हैं। इन सब बातों से प्रशासन की कमज़ोरी प्रदर्शित होती है और यह पता लगता है कि एक ठीक नीति गलत तरीके से अपनाई जा रही है। शिक्षा सम्बन्धी तथा शिल्प प्रशिक्षण की योजनायें भी गलत ढंग से कार्यान्वित की गई हैं।

पुनर्वास मंत्री ने बतलाया कि पाकिस्तान हमारी बहुत सी बातों का जवाब तक नहीं देता। यह बात उन्होंने मुख्यतया निष्क्राम्य सम्पत्ति और प्रतिकर के प्रश्न की ओर निर्देश करते हुए कही थी। पाकिस्तान के ऐसे व्यवहार का कारण क्या है? पाकिस्तान इतने मूल्य की सम्पत्ति बिना कोई प्रतिकर दिये हड़प लेना चाहता है। मैं सरकार का ध्यान पाकिस्तान विधान मंडल में प्रस्तुत एक विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं जो एक असरकारी सदस्य द्वारा रखा गया है। विधेयक में यह व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों ने कोई सम्पत्ति—चल अथवा अचल—१ जनवरी, १९४३ के बाद अर्जित की हो उन से पाकिस्तान सरकार द्वारा यह पूछा जाये कि उक्त सम्पत्ति उन्होंने किस प्रकार प्राप्त की। एक ओर तो पूर्वी क्षेत्र में अनुज्ञा प्रणाली आरम्भ की जाने वाली है, और दूसरी ओर पाकिस्तान संविधान सभा में यह विधेयक विचाराधीन है। इस के अलावा, पाकिस्तान यह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि किसी न्यायोचित आधार पर प्रतिकर का भुगतान करना उस का कर्त्तव्य है।

उस चीज़ को छोड़िये जिस के देने का पाकिस्तान ने अभी तक वायदा ही नहीं

किया है। उन चीज़ों को लीजिये जिन के विषय में पाकिस्तान ने भुगतान करने का दायित्व स्वीकार कर लिया है। इन में निवृत्ति-वेतनों के भुगतान का प्रश्न पाकिस्तान में स्थित सम्पत्ति के किराये की वसूली का प्रश्न आदि, शामिल हैं। इन मदों में पाकिस्तान के ऊपर कोई एक करोड़ रुपये निकलेंगे। हम तो समझौते के अनुसार नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, परन्तु पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। हमें इस का कोई न कोई निदान तो ढूंढ़ निकालना ही होगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा।

यदि हम निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली अपनी विधियों की तुलना पाकिस्तान की ऐसी ही विधियों से करें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी विधियां अत्याधिक कड़ी हैं। पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान वापस गये निष्क्रमणार्थियों की सम्पत्ति, यदि सरकार यह समझे कि उक्त सम्पत्ति पाकिस्तान सरकार को चाहिये, ले सकती है। दूसरी ओर हमें देखिये कि हम ने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के साथ कितना उदारतापूर्ण बर्ताव किया है। मैं जानता हूं कि विधि के पहले प्रारूप में कुछ मुसलमानों के कहने पर किस प्रकार फेर बदल कर दी गई और उसका बेचारे शरणार्थियों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा। दिल्ली का ही उदाहरण लीजिये। वहां कोई ३५०० मकान निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिये गये हैं, परन्तु उन्हें शरणार्थियों को नहीं दिया जा रहा है। अपहृत स्त्रियों के वापस लौटाये जाने के प्रश्न को ही लीजिये। क्या हमारे लिये यह शर्म की बात नहीं है कि १,५०० हिन्दू और सिक्ख लड़कियां अब भी पाकिस्तानी पदाधिकारियों के पास हैं? मैं उन हज़ारों लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं जो सामान्य पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा ले जाई गई हैं। कोई दो ही दिन हुए, पंजाब उच्च न्यायालय ने अपहृत स्त्रियों की वापसी सम्बन्धी अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया। क्या यह न्याय है? कुछ ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि जिन व्यक्तियों का विवाह हुए वर्षों व्यतीत हो गये हैं तथा बच्चे तक हो गये हैं उन की भी स्त्रियों को उन से ले कर पाकिस्तान भेज दिया गया है। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति पर विचार करें क्योंकि मैं जानता हूं कि वह भी यह नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो।

अब मैं पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति के विषय में एक दो शब्द कहूंगा। माननीय मंत्री ने बतलाया कि वहां स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। यदि कहीं स्थिति पुनः खराब हो गई तो न जाने न केवल पश्चिमी बंगाल पर ही बल्कि सारे भारत पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं सरकार से तथा माननीय प्रधान मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वह इस पर पूरा पूरा ध्यान दें। यह कहा गया है कि पूर्वी बंगाल से २५ लाख व्यक्ति आये हैं। परन्तु मैं यह नहीं मानता। पाकिस्तान सरकार की जनगणना रिपोर्ट में ही यह लिखा है कि इस समय पूर्वी बंगाल में ९२ लाख हिन्दू रह रहे हैं। विभाजन के समय पूर्वी बंगाल में १ करोड़ ३० लाख व्यक्ति थे। तो इस हिसाब से ३८ लाख व्यक्ति आये, २५ लाख नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि १९५० के दंगों में १३ लाख व्यक्ति मारे गये थे। १९५० की फरवरी में पूर्वी बंगाल में जो उपद्रव हुए उन में लग भग ५०,००० हिन्दू मारे गये थे। मन्त्री महोदय ने बतलाया कि ३,३७,००० परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि दे कर बसाया गया तथा उन्हों ने यह भी कहा कि इस प्रकार १६ लाख व्यक्तियों को बसाया गया। मैं पूछता हूं कि प्रत्येक को कितनी भूमि मिली? यदि मान लिया जाये कि प्रत्येक को तीन एकड़ भूमि मिली तो कुल ३० लाख बीघे भूमि की जरूरत हुई। अब यह ३० लाख बीघे जमीन कहां से आई?

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

शरणार्थियों ने मिल कर कुछ नई बस्तियों की रचना की हैं। ये बस्तियां कुछ अनाधिकृत भूमियों पर तैयार कर ली गई है। वहां शरणार्थियों ने जो काम किया है वह सराहनीय है। यदि उक्त भूमियों के स्वामियों को प्रतिकर दिलवा दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि जो शरणार्थी वहां बसे हुए हैं, उन्हें वहां से न निकालिये। आसाम को देखिये। आसाम के दो सदस्यों ने कल बतलाया कि उस राज्य में पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों को सफलता नहीं मिली। यह न भूलिये कि आसाम का एक भाग हमारे प्रत्यक्ष नियन्त्रण में है। यदि वहां कोई कमी रहती है तो इस का दायित्व भारत सरकार पर है। बिहार से भी ऐसे ही समाचार प्राप्त हुए हैं। वहां शरणार्थियों को दयनीय दशाओं में रहना पड़ रहा है। उन के बच्चों को मैं ने कूड़े के ढ़ेरों में से खाना बीन कर खाते देखा है। तो अवश्य ही कोई बात होगी जिस के कारण ये बेचारे इन शोचनीय बातों पर उतर आये हैं। कूड़े में से खानाबीन कर खाने में उन्हें कोई आनन्द तो नहीं आता। वे अपना घर छोड़ कर आये हैं और यहां ऐसे कष्ट झेल रहे हैं। हमें उन की यह समस्या सुलझानी है।

पूर्वी बंगाल में अब भी ९० लाख व्यक्ति रह गये हैं। वे आ रहे हैं---केवल सियालदा हो कर ही नहीं अन्य क्षेत्रों में हो कर भी। अब पारपत्र प्रणाली चालू होने वाली है। पाकिस्तान सरकार की बराबर यही नीति रही आई है कि अल्पसंख्यकों को बाहर निकाल दिया जाये। क्या आप वास्तव में यह समझते हैं कि वे वहां रह सकते हैं? जो व्यक्ति फरवरी १९५० के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये उन के द्वारा ऋण के लिये दिये गये आवेदन पत्रों पर वचार किया जाना बंद कर दिया गया है। मैं नहीं कह सकता कि इस के लिये वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं या पुनर्वास मंत्री। इस प्रकार ३०,००० आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं। यह आप की नीति है। यदि कुछ लाख व्यक्ति और आ गये तो स्थिति और भी अधिक बिगड़ जायेगी। आप कहते हैं कि इतने व्यक्ति वापस चले गये हैं। यहां मेरे पास एक जिले---बारिसाल--- के बारे में सूचना है। दस लाख व्यक्तियों में लगभग सात लाख बारिसाल जिले से आये हैं---उस बारिसाल से जो हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन का केन्द्र था। क्या प्रधान मंत्री को पता है कि पूर्वी बंगाल में १५० सुरक्षा बंदी है और उन के विरुद्ध केवल यह आरोप है कि वे भारतीय ऐजेन्ट हैं?

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : उन की संख्या ५०० है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मुझे आंकड़ें कुछ मास पहले मिले थे। तो ५०० व्यक्ति वहां नजरबन्द हैं। क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम पाकिस्तान की सरकार से यह ज्ञात करें कि उन्हें किस बात का दण्ड दिया जा रहा है? हमें पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहिये कि हम ३०-४० लाख व्यक्तियों को यहां किस प्रकार बसायें? कल कांग्रेस पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि उन्हें उन के अपने घरों में बसाया जाना है। हम इस मामले पर बहुत दिनों से चर्चा करते रहे हैं। अब समय कम है। तीस चालीस लाख व्यक्तियों का बसाया जाना एक समस्या खड़ी कर दगा। प्रधान मंत्री ने तथा सरदार पटेल से विभाजन के समय ये शब्द कहे थे कि यद्यपि देश का विभाजन हो रहा है, तथापि हम अपने पाकिस्तान में रहने वाले भाइयों का रक्षण करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उन का रक्षण पाकिस्तान में जाकर करेंगे। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस समस्या को सुलझायें केवल उन शरणार्थियों की ही भलाई के लिये नहीं वल्कि हमारी भलाई के लिये, देश की भलाई के लिये।

यदि आप इस समस्या को न सुलझा सके तो ये लोग लाखों की संख्या में भारत आयेंगे और यहां की शान्ति और व्यवस्था को भंग करेंगे। आप को चाहिये कि आप पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह बतला दें कि हम यह सहन नहीं कर सकते कि इन लोगों को उनके घर से निकाल दिया जाये। मैं पूछता हूं कि यदि हम पाकिस्तान सरकार से कहें कि वह एक सभ्य सरकार की तरह कार्य करने में असफल रही है तो उस में झूठ ही क्या है। हम ने देश का विभाजन किन्हीं मूल भूत सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकार किया था और यदि अब उन्हीं सिद्धान्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? हम वहां के मुसलमानों के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां की सरकार के विरुद्ध कह रहे हैं।

मुझे यह जान कर दुख हुआ कि भारत सरकार ने पारपत्र प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा करना मान लिया है। यद्यपि भारत सरकार सिद्धान्त रूप में इस के विरुद्ध थी तथापि उस ने इस के सम्बन्ध में बातचीत करना स्वीकार कर लिया है। मेरा कहना है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिये और पाकिस्तान के जाल में नहीं फंसना चाहिये। पाकिस्तान तो इस सम्बन्ध में कोई ढीला सा नियम बनाना चाहता है क्योंकि सीमा के दोनों ओर काफी संख्या में मुसलमान रह रहे हैं। उन के लाभ के लिये वह कोई ढीला सा सूत्र अपनाना चाहेगा। परन्तु हमारी सरकार को चाहिये कि वह अपने सिद्धान्तों पर कायम रहे।

पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में मुझे एक ठोस सुझाव यह देना है कि वह एक आयोग नियुक्त करे जो दो तीन महीनों में यह पता लगाये कि शरणार्थियों पर जो ये १५० करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं उन का कोई लाभ भी हुआ है या नहीं। आयोग यह भी पता लगाये कि देश के कोने कोने से जो शिकायतें की जा रही हैं वे वास्तव में किस प्रकार की हैं और क्यों हैं। हमें इन सब बातों पर खुले दिल से विचार करना चाहिये। इस के पश्चात् मंत्रणा समितियां नियुक्त की जायें जिन में देश के प्रत्येक भाग से शरणार्थियों के प्रतिनिधि लिये जायें। इस प्रकार उन की कठिनाइयां दूर करने में बहुत सहायता मिल सकती है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई सामयिक कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायेगी और उस का प्रभाव न केवल पश्चिमी बंगाल, पंजाब या अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर ही पड़ेगा बल्कि सारा देश एक कठिनाई में फंस जायेगा। हमें चाहिये कि इन विस्थापित व्यक्तियों की इस प्रकार सहायता करें जिस से देश के गौरव को चार चांद लगें।

श्री ए० सी० गुहा : मैं पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय पुनर्वास मंत्री ने बतलाया था कि शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये छोटे छोटे ऋण किश्तों पर दिये जाते हैं। मेरी समझ में ऋणों के किश्तों पर दिये जाने के वास्तविक अभिप्राय पूरा नहीं होता क्योंकि वे लोग उस धन को और कामों में उठा देते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बंगाल सरकार को कुछ नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री यह ध्यान रखेंगे कि इस सदन ने जितने धन की मंजूरी दी है वह समय पर दे दिया जाये ताकि उस धन का उपयोग केवल उन कामों में हो जिन के लिये धन सदन द्वारा स्वीकृत हुआ है। कुछ मामलों में ऋण की वसूली के लिये बहुत जल्दी की गई है, यहां तक कि कुर्की और गिरफ्तारी के वारंट तक जारी किये गये हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये।

[श्री ए० सी० गुहा]

माननीय पुनर्वास मंत्री ने पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का जो श्रेय लिया है वह आवश्यकता से अधिक है। मैंने शरणार्थी शिविरों में जाकर उन की दशा देखी है जो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। मैंने निजी रूप से बनाई गई तथा सरकार द्वारा बनवाई गई दोनों प्रकार की शरणार्थी बस्तियां देखी हैं। जो बस्तियें शरणार्थियों ने निजी रूप से बनाई हैं वे बहुत समृद्धशाली हैं जब कि सरकार द्वारा बसाई गई कोई भी बस्ती सफल नहीं रही है। क्यों ? क्योंकि सरकार की नीति दोषपूर्ण रही है। अतः मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं जा कर इन दोनों प्रकार की बस्तियों को देखें तब उन्हें अन्तर पता चल जायेगा।

जैसा कि प्रायः प्रधान मंत्री द्वारा भी कहा गया है, पुनर्वास की समस्या युद्धस्तर पर सुलझाई जानी चाहिये। सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिये कि आसाम या बिहार में बंगाली शरणार्थियों को न बसने दिया जाये। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह भारतीय चाय संघ की कछार योजना के सम्बन्ध में जांच करायें ताकि यह पता लग सके कि उस में कितना धन नष्ट हुआ है और उसके लिये कौन उत्तरदायी है। सम्पूर्ण योजना असफल रही है। इसकी जांच करवाई जानी चाहिये। पश्चिमी बंगाल के अधिकांश शरणार्थी क्षेत्रों में दुर्भिक्ष की सी दशा विद्यमान है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन शरणार्थियों का विशेष ध्यान रखें तथा उन क्षेत्रों में शरणार्थियों की सहायता करें। सरकार ने जो मकान बनवाये हैं वे मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं। इसी कारण उन में से बहुत अधिक अभी तक खाली पड़े हैं।

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया है, परन्तु जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है वह ठीक ही है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये उतना कुछ भी नहीं किया गया। इस के अतिरिक्त, इन दोनों में एक अन्तर यह भी है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की जो समस्या है उसके विषय में उस को एक निश्चित ज्ञान है; परन्तु पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या के बारे में ऐसा नहीं है। किसी को उनकी ठीक ठीक संख्या का भी अनुमान नहीं है।

प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की या तो वहीं रक्षा की जायेगी या यहां उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। सरकार को चाहिये कि अब वह पूर्वी बंगाल में जो ९३ लाख हिन्दू हैं उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करे। या तो इन ९३ लाख व्यक्तियों को भारत में कोई सुरक्षा का स्थान दिया जाये या सरकार द्वारा यह घोषणा कर दी जाये कि उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उस पर नहीं है। इन लोगों को झूठी आशा दिलाने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रधान मंत्री उन लोगों को अपने ही भाई बतला चुके हैं; ऐसी दशा में, मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह उनकी रक्षा करें।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो शरणार्थी पूर्वी बंगाल से आये हैं तथा आयेंगे उन्हें अन्य प्रान्तों में स्थान दिया जाये क्योंकि पश्चिमी बंगाल में ही सब लोग नहीं समा सकते।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अब केवल पांच मिनट ही रह गये हैं, अतः अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं ने इस मांग पर बोलने के लिये अपना नाम दिया था। न तो मुझ से कल बोलने के लिये कहा गया और न ही आज अतएव मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अध्यक्ष के विनिर्णय को स्वीकार करे। यदि उसे उससे सन्तोष न हो तो वह अन्य उपाय अपना सकता है, विरोध नहीं प्रदर्शित कर सकता। किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह जिस समय बोलने के लिये खड़ा हो उसी समय उसे बोलने की आज्ञा दे दी जाये। प्रत्येक सदस्य ही यह सोचता है कि वह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है, परन्तु यह देखना अध्यक्ष का काम है कि वह किसे बोलने का अवसर दे। अतएव मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह ऐसी बातों पर आग्रह करके अध्यक्ष को एक भद्दी सी स्थिति में न डालें।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं इस सदन में सात वर्ष से हूं। अब मैं देखता हूं कि मुझे पीछे का स्थान दे दिया गया है। यह तो निश्चित है कि सदस्यों के लिये स्थान आप नियत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी पूरी स्थिति समझाता हूं। सदस्यों की संख्या ४९९ है और सदन में कुल ४४७ व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य को स्थान अलग अलग नहीं नियत किया जा सकता। अलग अलग सदस्यों के लिये अलग अलग स्थान नियत करना सम्बन्धित पक्ष का कार्य है, अध्यक्ष का नहीं।

श्री आर० के० चौधरी : मैं इस प्रश्न को उठाने के लिये आप से क्षमा याचना करता हूं। यदि मेरे नेता की ही यह इच्छा है कि वरिष्ठ सदस्य पीछे के स्थानों पर बैठें तो मैं वहां बैठ जाता हूं।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : पुनर्वास के सम्बन्ध में कल तथा आज जो भाषण दिये गये हैं उन्हें मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है, अतः संभव है कि मेरे पास जितना समय है उसमें मैं उन सब बातों की चर्चा न कर सकूं। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि मैं उन बातों में से किसी की चर्चा न कर सकूं तो इसका यह अर्थ न निकाला जाये कि मैं ने उस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। सदन में जो कुछ सुझाव दिये गये हैं मैं उन सबों की जांच करूंगा और उनमें से अधिक से अधिक को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

पुनर्वास के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह अधिकतर मेरे रेडियो पर दिये गये भाषण से तथा मेरे मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से उत्तेजित होकर कहा गया है कितने ही सदस्यों ने यह कहा है कि यह दावा किया है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की सम्पूर्ण समस्या हल हो चुकी है और पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की समस्या भी लगभग हल हो चुकी है। इस मंत्रालय ने जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है उसके सम्बन्ध में मेरा अपना दृष्टिकोण है। जब कभी भी इस सदन में प्रश्न पूछे गये हैं, मैंने सच्ची बातें ही बतलाई हैं और अपने रेडियो पर दिये गये भाषणों में तथा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी सच्ची सच्ची बातें ही बतलाई हैं। मैं साहसपूर्वक यह दावा कर सकता हूं कि मेरे भाषण तथा रिपोर्ट दोनों में वस्तुस्थिति के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं ने जानबूझ

[श्री ए० पी० जैन]

कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले हैं और न ही इस विषय पर अपनी राय दी है।

अब मैं अपने रेडियो पर दिये गये भाषण की ओर संकेत करूंगा। मैंने कुछ ऐसा सा प्रश्न उठाया था : "सरकार अपना लक्ष्य प्राप्त करने, अर्थात् पुनर्वास का काम पूरा करने में, कहां तक सफल हुई है ?" फिर मैं ने कहा था : "मैं तथ्य ही सामने रखूंगा जिनसे उत्तर आप ही मिल जायेगा।" मैंने तो अपने भाषण में केवल इतना ही किया है कि तथ्य सामने रख दिये हैं। मेरी चुनौती है कि इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य मेरे द्वारा दिये गये एक भी आंकड़े का खंडन करे। मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे पूर्णतः सही हैं।

इसके बाद मैं रिपोर्ट के पैरा ३ पर आता हूं जिस में मेरे मंत्रालय द्वारा पुनर्वास के सम्बन्ध में इस प्रकार का दावा किया गया है :

> "ऐसा समय आ पहुंचा है कि विस्थापित व्यक्तियों ने बहुत कुछ अपने आप को नई दशाओं के अनुकूल बना लिया है तथा यह कहा जा सकता है कि देश का और अधिक आर्थिक विकास होने से उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में समुचित स्थान मिल सकेगा।"

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति पांच वर्ष से इस देश में हैं। वे सब परिश्रम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन में से बहुतों ने व्यापार करना आरम्भ कर दिया है तथा अन्य बहुत से लोगों ने नौकरियों कर ली हैं। लगभग आधे लोग खेती करने लगे हैं। जैसा कि मैं अभी अपने भाषण के दौरान में समझाऊंगा, वे बड़ी अच्छी तरह से खेती करके अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि इन पांच वर्षों में विस्थापित व्यक्ति इस देश में अच्छी तरह से बस गये हैं और ज्यों ज्यों देश में अधिक आर्थिक विकास होता जायेगा, त्यों त्यों उनकी दशा में अधिक सुधार होता जायेगा। तो इस बात में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपत्ति की जा सकती हो ? सच तो यह है कि मुझे यह जान कर खेद हुआ है कि मेरे कुछ मित्रों ने, जो यहां शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करते आये हैं तथा जो हृदय से शरणार्थियों की भलाई चाहते हैं, मेरे भाषण पर इतनी चिंता प्रकट की है। यदि उससे यह अर्थ निकलता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की बहुत कुछ समस्यायें हल हो चुकी हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है ? इस में नाराज होने की कौन सी बात है ? मैंने तो केवल तथ्य सामने रख दिये हैं। अब यह माननीय सदस्यों तथा अन्य सुनने वालों पर है कि वे मेरे भाषण का कुछ ही अर्थ निकालें। यदि वे इस भाषण का यह अर्थ निकालते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा भाग तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में से भी बहुत से यहां पूर्णतः बस गये हैं तथा अब उन का रहन सहन का ढंग ऐसा हो गया है जैसा कि पाकिस्तान में था, तो इसमें ग़लत बात ही कौन सी है ? एक माननीय सदस्य ने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं मस्तिष्क से अधिक काम ले रहा हूं हृदय से बहुत कम। अपने भाषण में तथा रिपोर्ट में मैंने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि वे दो क्षेत्रों में, एक दिल्ली में तथा दूसरा शिल्पिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में, पुनर्वास कार्य का अनुमान दो सजीव तथ्यों से लगाएं। इन दो

सजीव तथ्यों में से एक तो मेरी माननीया मित्र श्रीमती सुचेता कृपलानी ही हैं। दूसरा तथ्य पटेल नगर में हो रही वह प्रदर्शनी है जिसमें हस्तकलाओं तथा व्यावसायिक केन्द्रों में पुरुष तथा स्त्री शरणार्थियों द्वारा तैयार की गई अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन है। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि वे उक्त प्रदर्शनी को देखें ताकि उन्हें यह पता लग सके कि इस मंत्रालय ने व्यावसायिक शिल्पीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में कुछ किया भी है या वह यों ही डींग हांकता रहता है।

जब मैं यह कहता हूं कि मेरे मंत्रालय की सफलताओं तथा विफलताओं का अनुमान श्रीमती सुचेता कृपलानी के इस सदन की सदस्या होने के तथ्य से लगाया जाये, तो मेरा अभिप्राय केवल यह है कि वह इस मंत्रालय के निकट सम्पर्क में रही हैं। वह केन्द्रीय सहायता समिति की संचालक या सचिव या अन्य कुछ थीं। यह समिति मेरे मंत्रालय की सहकार्यता से कार्य कर रही थी।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): यह कोई सरकारी संस्था नहीं है; यह तो एक निजी संस्था मात्र है।

श्री ए० पी० जैन : वह पुनर्वास वित्त प्रशासन में भी हैं। वह दावा अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली समिति की भी सदस्या हैं। पुनर्वास सम्बन्धी प्रत्येक कार्यवाही से उनका सम्बन्ध है। सच तो यह है कि उन का इस सदन में नई दिल्ली क्षेत्र से चुना जाना जहां कि तीन व्यक्ति पीछे एक शरणार्थी है, यह प्रकट करता है कि उन्होंने मेरे मंत्रालय की सहकार्यता से पुनर्वास क्षत्र में कितना शानदार काम किया है।

यदि आप शिल्पीय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मेरे मंत्रालय के काम जानना चाहें तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप एक घंटे का समय निकाल कर पटेल नगर में प्रदर्शनी अवश्य देखें।

अब मैं पुनर्वास की समस्या को लेता हूं। पुनर्वास की समस्या को मैं एक राष्ट्रीय समस्या समझता हूं जिसका बोझ सारे देश को उठाना है। यह कोई पश्चिमी बंगाल अथवा पंजाब की ही समस्या नहीं है। यह तो सारे देश की समस्या है। यह कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसे विरोधी पक्ष विशेष के दृष्टिकोण से देखा जाये। यह तो एक जनकल्याण समस्या है। जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह तो इसी आधार पर कार्य कर रहा है। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण समितियों में मैं ने ऐसे व्यक्तियों को लिया है जो राजनैतिक मामलों में हम से सहमत नहीं हैं। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण समितियों में ऐसे सदस्य भी हैं जो प्रायः मेरे मंत्रालय की तथा मेरी निन्दा ही किया करते हैं। जन संघ के व्यक्ति मेरे मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और वे हमारी समितियों के सदस्य हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे पुनर्वास के प्रश्न को किसी पक्ष विशेष का प्रश्न न बनायें। इस के बारे में मैं कुछ और बातें बाद में कहूंगा।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने भाषण में बहुत सी ऐसी बातों की चर्चा की है जिनका पुनर्वास के प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। सच तो यह है कि बहुत से अन्य माननीय सदस्यों ने भी ऐसा ही किया है। भाषणों के एक स्थूल विश्लेषण से पता चलेगा कि तरह तरह के सुझाव दिये गये हैं। मेरे मित्र माननीय श्री अलगू राय शास्त्री ने तो पुनर्वास की एक नई परिभाषा ही प्रस्तुत कर दी। मैं समझता हूं कि इस भाषा का प्रयोग इसलिये किया गया था ताकि वह मनुष्यों के बीच संचार साधन के रूप में कार्य कर सके और एक मनुष्य दूसरे को

[श्री ए० पी० जैन]

समझ सके। यदि इन सब शब्दों के उन अर्थों को न माना जाये जो शब्दकोष में दिये गये हैं तथा यदि माननीय सदस्य शब्दों के नये अर्थ ही लगाने लगें तो कदाचित् उनके तथा अन्य मनुष्यों के बीच सामान्य साधन, जो इतना लाभप्रद है, ही नष्ट हो जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि पुनर्वास का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें किसी ऐसे स्थान पर बसाया जाये जो उससे भिन्न हो जहां वे पहले बस रहे हों। मेरा तो ख्याल यह है कि पुनर्वास का यह भी अर्थ है कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर बसा दिया जाये जो उसके मूल स्थान से भिन्न हो। उन्होंने कहा कि यह समस्या तो केवल उसी दशा में सुलझेगी यदि पश्चिमी पाकिस्तान से या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को उनके अपने घरों में ले जा कर बसाया जाये, अन्यथा नहीं। उन्हों ने इस सम्बन्ध में गांधी जी द्वारा कही गई कुछ बातों का भी उल्लेख किया। परन्तु उन्होंने इस समस्या को वर्तमान दशाओं के प्रकाश में नहीं देखा। क्या शरणार्थी विशेष रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए हिन्दू तथा सिख शरणार्थी—पश्चिमी पाकिस्तान वापस जाने को तैयार हैं? सामान्य निर्वाचन के दौरान में डा० मुखर्जी ने पाकस्तिान और भारत के एकीकरण की आवाज़ उठाई थी, और वह जानते हैं कि पंजाब में इस सुझाव की क्या प्रतिक्रिया हुई। डा० मुखर्जी तथा इस सदन के कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के प्रश्न को उठाया है। डा० खरे ने कहा कि इस सरकार की नीति बड़ी ढीलम ढाली है। जहां तक मैं समझ सका हूं उनकी यह राय थी कि सरकार को अपनी वर्तमान नीति छोड़ कर युद्ध की या युद्ध की धमकी की नीति अपनानी चाहिये। एक और सदस्य ने कहा : चाहे हम वास्तव में युद्ध प्रारम्भ न करें, किन्तु हमें युद्ध की तरह बातें तो करनी चाहियें, अर्थात् 'हुंकार मारो' नीति अपनानी चाहिये। एक दूसरे का कहना था कि हमें नहरी पानी तथा निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्नों को उठाना चाहिए और जब तक निष्क्राम्य सम्पत्ति के प्रश्न का कोई सन्तोषजनक हल न निकल आये तब तक हमें पाकिस्तान को नहरी पानी देना बंद कर देना चाहिये। डा० एस० पी० मुखर्जी ने एक विचित्र सा सुझाव यह दिया है कि स्वतन्त्र भारत की सरकार को चाहिये कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का रक्षण वहां जाकर करे। क्या मैं पूछ सकता हूं .....

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह कोई मेरा सुझाव नहीं है; यह तो पहले गांधी जी का सुझाव है।

श्री ए० पी० जैन : मैं डा० खरे या डा० एस० पी० मुखर्जी या अन्य माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि क्या ऐसे सुझाव रख कर वे शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के सुलझाने में योग दे रहे हैं? हम जानते हैं कि पिछले दिनों बहुत सी ऐसी घटनायें घटी हैं जिन्हें हम नहीं चाहते थे। हम यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के कार्य के सम्बन्ध में हमारे साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया है। परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं कि हम भी अपनी सुध-बुध खो बैठें? क्या हमें ऐसे सुझाव देने चाहियें जिन से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दशा और भी अधिक खराब हो जाने की सम्भावना हो? क्या इससे समस्या का हल निकल आयेगा? ये प्रश्न हैं जो मैं डा० मुखर्जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। युद्ध की बातों से, शस्त्रास्त्रों की धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। जहां

तक इस सरकार का सम्बन्ध है, वह तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के जीवन तथा सम्मान का रक्षण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

सदन में प्रधान मंत्रियों के अप्रैल १९५० के समझौते के विषय में भी कुछ कहा गया है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री कई बार बतला चुके हैं उक्त समझौते का उद्देश्य सीमित था, और एक बड़ी सीमा तक, उसे स्थिति पर काबू पाने में सफलता भी प्राप्त हुई है। मेरे पास रेल यातायात सम्बन्धी आंकड़े मौजूद हैं। प्रायः सामने बैठे माननीय सदस्यों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति की जाती है परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह आंकड़े बहुत ध्यान से इकट्ठे किये गये हैं और बिल्कुल सही हैं। १२ अप्रैल, १९५० से ले कर अप्रैल १९५२ के अन्त तक ३९,५५,०३६ हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल आये हैं; ३८,४५,६८६ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये हैं। प्रत्येक मास के आंकड़ों का अध्ययन करने से मालूम होता है कि पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जाती है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों में जब कि कोई दंगा या ऐसी ही कोई घटना हो जाये। मैं जानता हूं कि कोई भी पुनर्वास योजना, चाहे वह सरकार की हो या शरणार्थियों की, त्रुटिहीन नहीं हो सकती और यह कि वर्तमान नीति में भी कुछ गलतियां तथा कमियां हैं। परन्तु मैं इस बात का भरसक प्रयत्न करता रहा हूं कि जहां कहीं भी सुधार होने की गुंजाइश है वहां सुधार किया जाये। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे मिस मेयो की सी विचारधारा न अपनायें। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मिस मेयो ने 'मदर इन्डिया' नामक पुस्तक लिखी थी। 'मदर इन्डिया' में जो कुछ कहा गया था वह मूल रूप से सत्य ही था। मिस मेयो ने अपनी उक्त पुस्तक में 'देवदासियों' की चर्चा की है। उन्होंने 'बालविवाह' पर प्रकाश डाला है। उन्होंने 'बाल विधवा' का उल्लेख किया है। उन्होंने 'बाल वेश्याओं' की ओर भी निर्देश किया है। उन्होंने कलकत्ते के काली मन्दिर में बकरे के बलिदान के बारे में लिखा है। उन्होंने भैंसों के बलि चढ़ाने तथा ऐसी ही बहुत सी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार की भी चर्चा की है। उन्होंने जिन जिन बातों का उल्लेख किया है उनमें से बहुत सी ठीक हैं। एक माननीय सदस्या, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि सियालदा स्टेशन पर उन्होंने एक स्त्री को खून की कै करते देखा। वह क्षय रोग से पीड़ित थी तथा उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने भी ऐसी ही अलग अलग घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुहल्लों में शरणार्थी बड़ी बुरी दशा में रह रहे हैं। मैं यह सब मानने को तैयार हूं मैं यह तो नहीं कहता कि प्रत्येक शरणार्थी को ऐसा मकान मिल गया है कि जैसा कि उसे मिलना चाहिये था। मैं जानता हूं कि इस दिल्ली नगर में लगभग २०,००० या इस से भी अधिक परिवार सड़कों के किनारे बड़े खराब मकानों में अपने दिन पूरे कर रहे हैं। मैं उनकी हालत से सन्तुष्ट नहीं हूं। चार-पांच वर्ष से भी अधिक समय बीत गया, परन्तु उनके कष्टों का अन्त नहीं आया। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाता हूं कि उन लोगों को रहने का समुचित स्थान दिलाने के लिये मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं, और उनमें से लगभग ९० प्रतिशत लोगों को रहने का स्थान दिलाने में मैं सफल भी हुआ हूं। यद्यपि मुझे रचनात्मक आलोचना

[श्री ए० पी० जैन]

पर कोई आपत्ति नहीं है तथापि मैं यह समझ त हूं कि तथ्यों को इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर रखने से किसी को भी सहायता नहीं मिलती।

कुछ समय पूर्व—मैं समझता हूं लगभग १८ मास पूर्व--मैं नें यह प्रश्न उठाया था : आखिर, पुनर्वास से हमारा क्या अभिप्राय है ? बहुत से अवसरों पर--जब कि मुझ से कोई प्रश्न पूछे गये उनका उत्तर देते हुए या वाद विवाद के दौरान में—मैं यह कह चुका हूं कि पुनर्वास शब्द की एक निश्चित परिभाषा है। मुझे इसका एक अर्थ प्रतीत होता है, हो सकता है आपको दूसरा प्रतीत हो। मैं माननीय सदस्यों से यह आशा लगाये हुए था कि शायद वे यह बतलायेंगे कि वे पुनर्वास का क्या अर्थ निकालते हैं। मैं ने इस का उत्तर देने का प्रयास किया है। पुनर्वास के सम्बन्ध में मैं ने जो कुछ कहा है उस से कुछ माननीय सदस्यों को घबड़ाहट सी हो गई है। क्या पुनर्वास का यह अर्थ है कि हरेक आदमी की स्थिति वैसी कर दी जाये जो पहले थी, अर्थात्, जो व्यक्ति पाकिस्तान में ज़मींदार थे वे यहां भी ज़मींदार हीं रहें और जो व्यक्ति पाकिस्तान में दूकानदार था वह यहां भी दूकान ही चलाये ? क्या इस का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में बहुत धनवान् था उसको यहां भी उतना ही धनवान् बनाया जाये। क्या इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता था या जो एक ही कमरे में अपनी बकरी या गाय के साथ गुज़ारा कर रहा था उस को यहां भी वैसी ही दयनीय दशा में रखा जाये ? मैं ने कहा था कि उन लोगों की स्थिति पहले के समान करने से कोई समस्या नहीं सुलझ सकती। इस समस्या को सुलझाते हुए मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिये श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा ज़मींदारों के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न को ही लीजिये। उन्हों ने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं और जिन की पश्चिमी पंजाब में ज़मीनें थीं, उन्हें अब तक यहां ज़मीनें नहीं दी गई हैं। उन्हों ने इस बात की शिकायत की है। अब ज़रा यहां की दशाओं पर भी ध्यान दीजिये। भारत ने निश्चित रूप से यह निर्णय कर लिया है कि ज़मींदारियों का अन्त कर दिया जाये। इस निर्णय के प्रकाश में इन ज़मींदारों को यहां भी ज़मींदारों के रूप में कैसे बसाया जा सकता है ?

इस के अलावा मध्यम वर्ग के दूकानदारों का प्रश्न है। पाकिस्तान में बहुत से लोग दूकानदार थे। अब भारत में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इन सबों को दूकानदार बनाया जा सके। अतएव हम ने व्यावसायिक शिल्पि-प्रशिक्षण के लिये एक योजना चालू की। यद्यपि हमने प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को ३० रुपये या ३५ रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की है तथा यद्यपि हम ने काफ़ी संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं, तथापि दुर्भाग्य की बात है कि सिन्धियों ने इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखलाई है। वे उन में नहीं आ रहे हैं। उन में से बहुत से एक बार आकर छोड़ गये हैं। यहां भी आर्थिक समायोजन आवश्यक है। अब पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की बात लीजिये। उन में से बहुत से ज़मींदारों तथा वास्तविक किसानों (कृषकों) के बीच मध्यजनों का काम कर रहे थे। अब ये व्यक्ति यहां बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वे शारीरिक परिश्रम के अभ्यस्त तो हैं नहीं। उन्हें इतनी शिक्षा भी नहीं मिली है कि वे किसी कार्यालय में कार्य कर सकें। उनकी समस्या हमारे सामने सब से बड़ी है। अतः "यथापूर्व स्थिति" के आधार पर पुनर्वास असम्भव है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति

को, उस की योग्यता के अनुसार, देश की नई सामाजिक व्यवस्था में समुचित स्थान दिया जाये जिस से वह अपनी जीविका स्वयं अर्जित करने योग्य हो सके और उससे देश की समृद्धि में योग मिल सके। दो दिन हुए अपने रेडियो पर दिये गये भाषण में मैं ने यही कुछ कहा था। मैं ने कहा था कि "यथापूर्व स्थिति" के आधार पर किया गया पुनर्वास न केवल अव्यवहारिक ही होगा, बल्कि वह देश की नई सामाजिक व्यवस्था के भी प्रतिकूल होगा। सरकार का निरन्तर यही प्रयत्न रहा है कि विस्थापित व्यक्तियों को आत्म-निर्भर नागरिकों के रूप में बसाया जाये तथा उन के लिये ऐसी दशायें तथा ऐसे अवसर उत्पन्न किये जायें कि वे अपने आप को देश के आर्थिक ढांचे के अनुकूल ढाल सकें। हम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अग्रसर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यों का मूल्यांकन इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने ग्राम्य पुनर्वास का प्रश्न उठाया है। उन्हों ने कहा कि शरणार्थियों को भारत में जो भूमि दी गई है वह कम उपजाऊ है। उन्हों ने कहा कि यद्यपि पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों को यहां पूर्वी पंजाब तथा पैप्सू में भूमि उन की पाकिस्तान में छोड़ी भूमि के आधार पर दी गई है। अन्य ज़मींदारों को भूमि उस आधार पर नहीं दी गई है। जहां तक भूमि की क़िस्म का प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि उनकी आलोचना ठीक है। यहां की भूमि की क़िस्म वहां की तुलना में कम अच्छी है। हम ने पश्चिमी पाकिस्तान की सारी भूमि और पूर्वी पंजाब की तथा पैप्सू की सारी भूमि के सम्बन्ध में एक सामान्य प्रमाप बनाया तथा उस के अनुसार यह हिसाब फैलाया कि पूर्वी पंजाब तथा पैप्सू में भूमि २४.३३ लाख एकड़ है तथा विस्थापित व्यक्ति क़रीब ३८ लाख एकड़ भूमि छोड़ कर आये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भूमि है वह वहां छोड़ी गई भूमि की दो तिहाई है। यह भूमि उन व्यक्तियों में बांटी गई है जिन की पाकिस्तान में भूमि थी। यह स्वाभाविक ही है कि हम ने प्रत्येक को कुछ कम भूमि दी है। जिन के पास पाकिस्तान में १० एकड़ या इस से कम भूमि थी उन्हें २५ प्रतिशत कम भूमि दी गई है और जिन के पास पाकिस्तान में हज़ार एकड़ या इससे अधिक भूमि थी उन्हें एक हज़ार एकड़ से अधिक भूमि का केवल ५ प्रतिशत दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस से सरदार हुक्म सिंह को काफ़ी बेचैनी हुई है क्योंकि उन्हों ने एक सामान्य सी बात कह दी कि उन्हें केवल ५ प्रतिशत भूमि दी गई है। यह कहना ग़लत है। कुछ लोगों को, जिन के पास पाकिस्तान में बहुत अधिक भूमि थी, पांच या सात प्रतिशत भूमि मिली होगी; यह हो सकता है। परन्तु अधिकांश ज़मींदारों को कोई ७५-८० प्रतिशत भूमि मिली है, केवल २५ प्रतिशत कमी की गई है। मुझे तो २५ प्रतिशत कमी करने का भी खेद है, परन्तु किया क्या जाता, और कोई चारा भी तो नहीं था। पूर्वी पंजाब में विस्थापित कृषकों के भी कोई ३३,००० परिवार बसाये गये हैं। उन लोगों की दशा भी, जिनकी पश्चिमी पंजाब में भूमि थी और जो पश्चिमी पंजाब के नहीं थे, इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि बतलाई गई है। हम ने दिसम्बर १९५० में एक अधिसूचना निर्गमित कर के पश्चिमी पाकिस्तान के ऐसे ज़मींदारों से, जो पश्चिमी पंजाब के नहीं थे, यह पूछा था कि क्या वे भारत में अपने हाथ से खेती करना चाहते हैं, क्या वे पश्चिमी पाकिस्तान में भी खेती करते रहे थे। हम ने ऐसे व्यक्तियों से भी प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जो पाकिस्तान में लगानदारों आदि के रूप में खेती कर रहे थे। हमें बहुत संख्या में प्रार्थनापत्र मिले और कोई ५७,००० हज़ार व्यक्तियों को ज़मीन दे दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को १२ एकड़ से भी

[श्री ए० पी० जैन]

अधिक भूमि दी गई। मैं यह गारंटी तो नहीं देता कि यह सब भूमि अच्छी है ; मैं यह भी नहीं कहता कि इस सब भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। परन्तु जिस प्रकार सारे देश का हिसाब फैलाते हुए हम सिंचाई वाली तथा ग़ैर सिंचाई वाली, अच्छी और खराब सब प्रकार की भूमि को ध्यान में रखते हैं, उसी प्रकार इस प्रयोजनार्थ भी हम ने सब प्रकार की भूमि ले ली। यह कोई कम महत्व की बात नहीं है। इस से काफ़ी सन्तोष हुआ है। मैं इन लोगों में घूमा हूं। मैं ने उनके गांवों में जाकर यह अनुभव किया है कि यदि किसी को पुनर्वास से लाभ पहुंचा है तो वे ये व्यक्ति हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दादे-परदादे भूमि ही न कृषकों के रूप में खेती करते आये हैं और जिन्हें भूमि सम्बन्धी कोई भी सुरक्षा नहीं रही है। उन्हें किसी भी समय लात मार कर निकाल दिया जाता था और वे जगह जगह टक्कर मारते फिरते थे। अब यहां उनमें से प्रत्येक के पास ८ से लेकर ३२ एकड़ तक अपनी भूमि हो गई है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : परन्तु जिन सिद्धांतों का अनुसरण पूर्वी पंजाब तथा पेप्सू में किया गया वे उन पर लागू क्यों नहीं किये गये ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री ए० पी० जैन : एक अति सुसंगत प्रश्न पूछा गया है—हमने अर्ध-स्थायी बन्दोबस्त के जिन सिद्धांतों का पंजाब में अनुसरण किया वे सारे भारत में क्यों नहीं लागू किये गये ? जहां तक पंजाब का सम्बन्ध था, हमारे और पाकिस्तान के बीच यह करार हो गया था कि पाकिस्तान हमें और हम पाकिस्तान को सब राजस्व अभिलेख देंगे। उस करार के आधार पर सब राजस्व अभिलेखों की अदला-बदली कर दी गई। हम प्रत्येक की भूमि का क्षेत्रफल जानते थे, हम भूमि की क़िस्म जानते थे, हम पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमि का क्षेत्रफल फैला सकते थे और उस आधार पर यहां भूमि दे सकते थे। सिंध, बहावलपुर तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के सम्बन्ध में ये अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि श्रीमती कृपलानी को एक ग़लतफ़हमी है। उन्हों ने कहा कि हम ने इन भू-स्वामियों के लिये कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं ने यह नहीं कहा।

श्री ए० पी० जैन : तो मुझे खेद है; मैं अपनी ग़लती सुधारता हूं।

हम ने उन भूस्वामियों से, जो अर्धस्थायी बन्दोबस्त के क्षेत्र में नहीं आते, दावे मांगे हैं और उन दावों की छानबीन की जा रही है। छानबीन हो जाने पर उनको भी उनका अंश मिलेगा।

मैं यह तो नहीं कह सकता कि सहायता का रूप क्या होगा, परन्तु मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मैं सिंध, बहावलपुर और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये भी उतना ही उत्सुक हूं जितना कि पंजाबियों की। अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं शिमले में था तो मैं ने पंजाब तथा पैप्सू के संयुक्त पुनर्वास बोर्ड की बैठक में यह निश्चय किया था कि भविष्य में जो भूमि बन्धकों से छड़वाई जायेगी वह पंजाबियों को नहीं दी जायेगी बल्कि यों ही रहने दी जायेगी ताकि इन भूमियों को देते समय सिंध, बहावलपुर तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के लोगों के

मामलों पर विचार किया जा सके। पांच वर्षों में जो जो हुआ है मैं उस सब को नहीं मिटा सकता। हां, मैं यह यक़ीन दिला सकता हूं कि मेरी निगाह में सब शरणार्थी—चाहे वे पाकिस्तान के किसी भी भाग से आरहे हों—एक समान हैं। और मैं सब के साथ समान व्यवहार करना चाहता हूं। हो सकता है कि कोई पंजाबी अपना अधिक ख़्याल करे और कोई सिंधी अपना, परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, वे सब एक समान हैं।

गृह-व्यवस्था के सम्बन्ध में आंकड़े पुस्तिका के अन्त में दिये गये हैं। पश्चिम में हम ने पहले तो निष्क्रमणार्थियों के मकान दिये हैं। १,७६,००० निष्क्राम्य गृह १४,७०,००० व्यक्तियों को दिये गये हैं। मैं मानता हूं कि इन मकानों में आदमी आवश्यकता से अधिक संख्या में रह रहे हैं। १००,००० मकान निष्क्राम्य सम्पत्ति हैं और जो ऐसे किरायेदारों के क़ब्ज़े में हैं जो वहां १५ अगस्त १९४७ से रह रहे हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: निष्क्रमणार्थियों के उन ख़ाली मकानों के बारे में क्या स्थिति है जो निष्क्रान्त गृह घोषित कर दिये गये हैं?

श्री ए० पी० जैन: मैं अभी उस बात पर भी आ रहा हूं। जब ये मकान धीरे धीरे शरणार्थियों को मिलते जायेंगे तो मैं समझता हूं कि भीड़भाड़ बहुत कुछ कम हो जायेगी। हम ने १,१४,००० मकान बनवाये हैं और इन के अलावा ३७,००० मकान और हैं। इनमें ७,५०,००० शरणार्थी बसा दिये गये हैं। उन में से बहुत से तो एक कमरे वाले मकान हैं, कुछ दो कमरे वाले हैं; थोड़े से तीन कमरे वाले या चार कमरे वाले मकान हैं; पांच या छै कमरे वाले मकानों की संख्या तो और भी कम है। प्रायः यह कहा गया है कि एक कमरे वाले मकान तो बहुत ही छोटे होते हैं। मैं उस आलोचना को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं। परन्तु मेरे पास जो धन है उसे मैं अधिक से अधिक लोगों में बांटना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि हम कोई विशेष असफल नहीं रहे हैं। हाल ही में मेरे निजी सचिव इज़रायल गये थे। वहां उन्हों ने कुछ बस्तिएं देख कर कुछ आंकड़े एकत्रित किये हैं। उन आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारा मकान सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थान तथा क़िस्म दोनों दृष्टिकोणों से, इज़रायल के कार्यक्रम की तुलना में अच्छा उतरा है। वहां तो यहूदियों का रुपया दुनिया के प्रत्येक भाग से आया है; फिर भी हम देखें कि हमारी सफलता उनकी तुलना में कैसी है। उन्होंने भी अधिकतर एक कमरे वाले और दो कमरे वाले मकान दिये हैं। इज़रायल में एक कमरे वाले मकान का क्षेत्रफल ३२० वर्ग फुट है जब कि हमारे यहां एक कमरे वाले मकान का क्षेत्रफल ३४० वर्ग फुट है—यानी वहां से २० वर्ग फुट अधिक। मैं ढींग नहीं हांक रहा हूं। दो कमरे वाले मकान का क्षेत्रफल वहां ४०० वर्ग फुट और यहां ६९० वर्ग फुट है।

हमने नौकरियों के बारे में कुछ आंकड़े दिये हैं। हमने कहा कि नौकरी दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत १,६०,००० व्यक्तियों को नौकरियां दिलवाई जा चुकी हैं—८०,००० केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि में। हमने छोटे-छोटे ऋणों, पुनर्वास वित्त प्रशासन के ऋणों तथा व्यावसायिक एवं शिल्पि-प्रशिक्षण के लिये दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में भी आंकड़े दिये हैं। सामान्य आलोचना यह की गई है कि यद्यपि हमने उन्हें ये सुविधायें प्रस्तुत की हैं, तथापि हम उन व्यक्तियों की संख्या नहीं बता सके हैं जिन्होंने इनसे लाभ उठाया है और जो हमारे द्वारा दी गई सहायता के फलस्व प अपने आप को बसा सके हैं। मैं इस आलोचना को

[श्री ए० पी० जैन]

समझता हूं। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि इन सब १,६०,००० व्यक्तियों को, जो नौकरी-दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत नियुक्त किये गये हैं, स्थायी नौकरियां मिली हैं। कुछ व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में नौकरी नौकरी-दिलाऊ दफ्तर की मार्फत, प्राप्त की हैं। मैंने ये आंकड़े कुछ बातें बतलाने की दृष्टि से ही प्रस्तुत किये हैं।

हम ने १,५६,००० व्यक्तियों को छोटे-छोटे उद्योग चलाने के लिये छोटे ऋण दिये हैं। औसत ६०० रुपये निकलता है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछों को बहुत कम ऋण मिले हैं। फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि इन ऋणों से किसी को लाभ नहीं पहुंचा है। बहुत काफ़ी आदमियों को लाभ पहुंचा है।

अब मैं शिल्पी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का उल्लेख करूंगा जो पश्चिम में ५०,००० व्यक्तियों को दिया गया है। हमारे पास समंक या अनुसन्धान सम्बन्धी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस से वास्तविक सफलताओं का ज्ञान हो सके। हमें सफलताओं तथा परिणामों पर अधिक चलना चाहिये, आंकड़ों पर उतना नहीं। परन्तु यह एक बड़ा सवाल है। उसके लिये एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। ऐसा होना चाहिये; परन्तु मैं कर सकूंगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। परन्तु मैंने प्राप्त परिणामों का पता लगाने के लिये कुछ किया है। सभी यह मानते हैं कि पश्चिम में हमें पूर्व की अपेक्षा अधिक अच्छे परिणाम मिले हैं। पूर्व में समंकीय तथा आर्थिक पर्यालोकन किया गया है। मैं ने दिल्ली में भी ऐसे ही पर्यालोकन की व्यवस्था की है जो भारत के एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० राव द्वारा किया जायेगा। मैं बम्बई में भी स्कूल ऑफ़ सोशल साइन्सेज़ के डा० कुमारप्पा द्वारा पर्यालोक किये जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। पंजाब में पर्यालोकन किया जा चुका है। दुर्भाग्य से उसमें दोष रह गये। इसे फिर से किया जा रहा है। यद्यपि मैं एक समंक तथा अनुसन्धान ब्यूरो स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया हूं, तथापि परिणामों का पता लगाने के लिये मैं ने दूसरी तरह यत्न किया है। देश के पूर्वी भाग में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनसे इस बात का पता लग सकता है कि इस क्षेत्र में हमने क्या कुछ किया है। परिवारों को आय के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। १ से लेकर ५० रुपये तक की आय वाले वर्ग के प्रव्रजन के पूर्व परिवारों की संख्या ४२,२३२ थी—प्रतिशतता ९.८; प्रव्रजन के पश्चात् ऐसे परिवारों की संख्या १,३०,१४४ हो गई—प्रतिशतता ३१.९। ५१ रुपये से लेकर १०० रुपये तक की आय वाले वर्ग में प्रव्रजन के पूर्व परिवारों की संख्या १,२९,८३६ थी—प्रतिशतता ३०.३; प्रव्रजन के पश्चात् यह संख्या १,५०,१२६ हो गई—३६.४ प्रतिशत। अधिक आय वाले व्यक्ति इस वर्ग में आ गये। अब १०० रुपये से लेकर २५० रुपये तक की आय वाले वर्ग में परिवारों की संख्या प्रव्रजन से पूर्व १,७८,६९७ थी—४१.६ प्रतिशत; इन परिवारों की भारत में आकर संख्या १०९,४३८—२५.५ प्रतिशत। २५१ रुपये से लेकर ५०० रुपये तक की आय वाले वर्ग में परिवारों की संख्या, प्रव्रजन से पूर्व ५८,०४७ थी—१३.५ प्रतिशत; इन परिवारों की भारत में आकर संख्या २१,९९०—पांच प्रतिशत। ५०० रुपये से लेकर १००० रुपये तक की आय वाले वर्ग में परिवारों की संख्या, प्रव्रजन से पूर्व, १५,१०५ थी—३.५ प्रतिशत; इन परिवारों की भारत में आकर संख्या — ३,८९५—०.९ प्रतिशत। १,००० रुपये से अधिक आय वाले वर्ग में परिवारों की

संख्या प्रव्रजन से पूर्व ५,४०८ थी—१·३ प्रतिशत ; इन परिवारों की भारत में आकर संख्या ६९७—०·२ प्रतिशत ।

ये समंक विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किये गये हैं । प्रायः यह देखा गया कि बहुत से लोग अपनी पाकिस्तान में आय को बढ़ा कर बतलाते हैं ; फिर भी इन समंकों से पता लगता है कि एक बड़ी संख्या में लोग उसी वर्ग में हैं जिस में कि वे प्रव्रजन से पूर्व थे । जिन लोगों की प्रस्थिति भारत आकर खराब हो गई है उन के बारे में मुझे आशा है कि जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता जायेगा वैसे वैसे इन लोगों की आर्थिक दशा में भी सुधार होता जायेगा । यदि कोई पौधा उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है तो प्रारम्भ में तो वह मुरझाता ही है, चाहे उसे अधिक उपजाऊ भूमि में ही क्यों न लगाया जा रहा हो ; वह कुछ समय के बाद ही जड़ पकड़ता है, इसी प्रकार इन शरणार्थियों की भी दशा है ।

कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे गये थे जिन का मैं उत्तर दूंगा । एक प्रश्न तो क्वीन्सवे के दूकानदारों के विषय में है । चार माननीय सदस्यों—श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, पंडित नन्दलाल शर्मा तथा डा० मुखर्जी—ने अपने अपन प्रश्न उठाये थे । मेरा सुझाव है कि हम पुनर्वास के प्रश्न को किसी पक्ष विशेष का प्रश्न न बनायें । हमें तो इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये । क्वीन्सवे के इन दूकानदारों का मामला क्या है ? मैं समझता हूं कि डा० मुखर्जी को मेरी बात सुननी चाहिये क्योंकि उन्हों ने यह सवाल उठाया था ? जब इन लोगों को दूकानें दी गई थीं तो उन्हें साफ़-साफ़ यह बतला दिया गया था कि ये दूकानें सड़क के किनारे कुछ वर्षों के लिये अस्थायी रूप से बनाई गई हैं । कोई भी माननीय सदस्य वहां जाकर स्वयं उन दूकानों को देख सकते हैं । उन्हें देख कर उनका यही ख्याल होगा कि वास्तव में ये दूकानें अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिये बनाई गई हैं ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें पक्की कर दीजिये ।

श्री ए० पी० जैन : जल्दी न कीजिये ।

एक माननीय सदस्य : वे हर जगह हैं ।

श्री ए० पी० जैन : ऐसी बात नहीं है । वे व्यक्ति दो वर्ष से भी अधिक समय से वहां हैं । उन पर ३,८१,१६३ रुपये किराये के रूप में चढ़ गये हैं, ३,८१,१६३ रुपये की बक़ाया में से उन्हों ने अब तक कुल १४,६६६ रुपये दिये हैं । इन व्यक्तियों ने क़रारपत्र भरने से इंकार कर दिया है । वे मुझ से मिलने आये ; उस समय मेरी तबियत ठीक नहीं थी और मैं अपनी चारपाई पर से नहीं उठ सकता था । जब वे मेरे यहां आये तो मैं ने उन से यह कहलवाया कि उन के तुरन्त उठाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैं ने उन से कहलवाया कि वे जायें और अपना काम धंधा देखें । परन्तु वे हिले ही नहीं । उन्हों ने कहा "हम तो यह बात लिखवा कर लेंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जायेगा हम टस से मस भी नहीं होंगे ।" रात के ९।। बजे तक वे मेरे मकान के सामने बैठे रहे । फिर उन्हों ने दिल्ली के मुख्य मंत्री और दिल्ली के पुनर्वास मंत्री के साथ बेहूदगी दिखलाई—में "बेहूदगी" शब्द का प्रयोग जानबूझ कर कर रहा हूं । उन्हों ने यहां भी प्रदर्शन किया । मैं यह साफ़-साफ़ बतला देना चाहता हूं कि किसी शरणार्थी को या शरणार्थियों के किसी समुदाय को गड़बड़ फैलाने, हड़ताल करने, जलूस निकालने या किसी मंत्री के घर पर धरना देने से कुछ नहीं मिलने वाला है । इन बातों पर निर्णय तो उन के मामलों के गुणावगुणों के आधार पर ही किया जायेगा । इस अमुक प्रश्न पर तो मैं किसी भी सदस्य से बातचीत करने को तैयार हूं । मैं कहता

[श्री ए० पी० जैन]

हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, इन लोगों को कभी भी यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि उनको दूकानों से नहीं हटाया जायेगा। उन्हें हटाया जायेगा। प्रश्न तो यह है उन्हें कब हटाया जायेगा? यदि वे लोग इसी प्रकार गड़बड़ फैलाते रहे, यदि उन्हों ने इसी प्रकार काम बंद रखा और हड़तालें जारी रखीं तो उस दशा में अधिक अच्छा यह होगा कि यह झगड़ा ही सदा के लिये समाप्त हो जाये। मैं उन्हें और भी जल्दी हटा दूंगा।

इरविन रोड के दूकानदारों का मामला लीजिये। वह मामला गत दो वर्षों से मेरे विचाराधीन है। मैं ने उस पर अक्सर चर्चा की है। मैं जानता हूं कि वहां कुछ दूकानें ऐसी हैं जहां बिक्री कम होती है। मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी की यह बात मान लेने को तैयार नहीं हूं कि केवल ५६ दूकानदारों की कुछ बिक्री होती है बाकी की नहीं। फिर भी मैं यह मानता हूं कि कुछ की बिक्री बहुत कम है। जब वे दूकानदार मुझ से मिलने आये तो उन्हों ने कहा: "हम इरविन रोड पर दूकान नहीं चाहते"। इसके उत्तर में मैं ने उन से कहा कि हाल ही में बहुत सी नई बस्तियां बसी हैं, मैं तुम्हें वहां दूकानें दे सकता हूं। याद रखिये कि उस समय विनय नगर में, जहां अब २०० शरणार्थी दूकानदारों का अच्छा काम चल रहा है, दूकानें भरी नहीं थीं। मैं ने उन से उन दूकानों के देने का प्रस्ताव किया था और कहा था कि मैं तुम्हें थोड़े थोड़े के गुट्टों में विभिन्न बस्तियों में भेजने को तैयार हूं। उन्हों ने यही जवाब दिया: "हम वहां नहीं जायेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि रीगल सिनेमा के सामने वाले पार्क में दूकाने बनाई जायें।" यह एक असम्भव सी बात है। वे वहां इसी लिये हैं क्योंकि वे वहां रहना चाहते थे। मैं तो उन्हें दूसरे बाज़ारों में दूकानें दिलवाने को तैयार था। परन्तु यह निश्चित है कि एक शरणार्थी के यह कह देने मात्र से कि वह किसी स्थान विशेष पर दूकान चाहता है, हम उसकी बात नहीं मान सकते। ऐसा करना तो असम्भव है। यह बात तो बिलकुल साफ़ है।

एक और प्रश्न किचनर बैरकों के बारे में उठाया गया है। उसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि वे बैरक उन को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय द्वारा दिये गये हैं। वे पुनर्वास मंत्रालय द्वारा नहीं दिये गये हैं। मैं अपने माननीय सहयोगी के विषय पर नहीं बोलना चाहता। यदि उनसे कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर देते हुए या वादविवाद के दौरान में शायद वह इस की चर्चा करें। मैं नहीं कह सकता कि किराये आदि की बातें किस आधार पर तय की गई हैं। परन्तु उससे एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है। विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिये कोई दो वर्ष पूर्व भारत के पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और उस में हमने कुछ पूर्ववर्तिताएं निश्चित की थीं जिनके अनुसार हम अपने नव निर्मित मकानों में स्थान देते हैं। 'क' श्रेणी में वे लोग आते हैं जो डेरों में या बहुत टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं या ऐसे लोग जो धर्मशालाओं, स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थानों, मन्दिरों, मसजिदों, गिर्जाघरों आदि में रह रहे हैं। दिल्ली में मैं २५-३० हज़ार मकान बनवा चुका हूं फ़िर भी इस वर्ग के सब लोगों को मकान देने की समस्या अभी तक नहीं सुलझ पाई है। विस्थापित सरकारी कर्मचारी दूसरे मंत्रालय द्वारा दिये गये स्थान में रह रहे हैं। आखिर इसका अभिप्राय क्या है? क्या मैं 'क' श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को मकान न देकर इन लोगों को दूं? क्या ये लोग 'क'

श्रेणी में रखे गये व्यक्तियों से अधिक दुःख में हैं ? नहीं, ऐसा नहीं है ।

शरणार्थियों के बारे में एक और प्रश्न उठाया गया है । डाक बीमा के संबंध में । श्रीमती सुचेता कृपलानी को कुछ ग़लत जानकारी थी । हमारे और पाकिस्तान के बीच एक क़रार हुआ था जिसके द्वारा हमने बीमा-पत्रों का, किसी व्यक्ति के अधिवास के अनुसार, जहां कि वह ३१ मार्च १९४८ को था, प्रादेशिक आधार पर, भुगतान करने का दायित्व स्वीकार कर लिया था । यदि कोई व्यक्ति उस तिथि से पूर्व पाकिस्तान चला गया था तो उस के बीमा पत्र के संबंध में भुगतान का दायित्व पाकिस्तान ने ले लिया । इसी तरह यदि कोई व्यक्ति उस तिथि से पहले भारत आ गया था तो उसके बीमा-पत्र के संबंध में भुगतान करने का दायित्व हमारे ऊपर रहा । कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो उस तिथि के बाद यहां आये । उस दशा में हमने यह दायित्व स्वीकार कर लिया कि ऐसे व्यक्तियों को हम १ सितम्बर १९५१ से छै मास तक या पाकिस्तान द्वारा देय राशियों का भुगतान किये जाने तक की तिथि तक, जो भी पहले हो, १०० रुपये प्रति मास की दर से अन्तरिम अर्थ सहायता देंगे । इस प्रकार दो योजनाएं हैं । एक तो बीमा पत्र की संपूर्ण राशि के भुगतान के लिये, परन्तु शर्त वह है कि वह ३१ मार्च १९४८ से पूर्व भारत आ गया हो; और दूसरी अन्तरिम अर्थ सहायता देने के लिए, यदि कोई व्यक्ति उस तिथि के बाद में किसी अमुक तिथि तक आया हो । ज्यों ही पाकिस्तान के साथ हमारा हिसाब तय हो जायगा, हम संपूर्ण समायोजन कर लेंगे ।

भविष्य निधि लेखों के संबंध में यह कहा गया था कि पाकिस्तान को जो राशि हमसे लेनी है और हमें पाकिस्तान से लेनी है वह दोनों लगभग बराबर हैं । तो फिर हम केवल ५० प्रतिशत भुगतान क्यों कर रहे हैं ? कारण यह है कि हमारे पास भविष्य निधि संबंधी कागज़ नहीं हैं । निक्षेपक एक प्रकार का शपथपत्र या अप्रत्यक्ष साक्ष्य सा देते हैं जिसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं समझा जा सकता अतएव हमने ५० प्रतिशत भुगतान करने का ही दायित्व लिया है ताकि कोई खतरा न रहे । कुछ दावों का दोनों देशों द्वारा सत्यापन किया गया है । उनका हमने भुगतान कर दिया है । ज्योंही सत्यापन कर दिया जाता है, हम संपूर्ण भुगतान कर देते हैं । मैं समझता हूं कि अन्तरिम सहायता देने की योजना भी लाभ-प्रद है । यह तो रहा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के बारे में ।

पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों के संबंध में तो बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं । मैं जानता हूं कि पूर्वी बंगाल की बातों पर हमारा उतना नियंत्रण नहीं है जितना कि पश्चिमी पाकिस्तान की । इसका ऐतिहासिक कारण है । पूर्वी पंजाब से शरणार्थियों का आना अक्तूबर १९४६ से आरम्भ हुआ और किसी न किसी रूप में सन् १९४९ के अन्त तक, जब कि शरणार्थियों के आने का तांता सा लग गया था, जारी रहा । निस्संदेह, १९४९ तक शरणार्थियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता दी जाती रही थी, परन्तु जो व्यक्ति १ जनवरी १९५० से पूर्व भारत आये थे सरकार ने उनके पुनर्वास का संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था । उनकी संख्या लगभग ९ लाख है जो पश्चिमी बंगाल के हैं । १ जनवरी १९५० के बाद १२ लाख शरणार्थी और आ गये । इन आंकड़ों पर आपत्ति की गई है । ये आंकड़े जनगणना के आधार पर तैयार किये गये हैं और मेरे ख्याल में तो वे बिल्कुल ठीक आंकड़े हैं । हमने जो व्यय किया है या जितना पुनर्वास संबंधी कार्य संपादित किया है यदि आप उस पर

[श्री ए० पी० जैन]

विचार करें तो आप यह नहीं कह सकते कि एक जगह परिणाम अच्छे निकले हैं और दूसरी जगह कम अच्छे । पश्चिम में तो पुनर्वास कार्य पांच वर्ष से हो रहा है और पूर्व में केवल दो वर्ष से । यदि आपको पूर्व और पश्चिम की तुलना करनी ही है तो मैं समझता हूं कि पश्चिम में भी १९४९ के अन्त से या १९५० के प्रारम्भ से हुए कार्य को लीजिये और पूर्व में किये गये कार्य की उससे तुलना कीजिये। मेरे मित्र पंडित मैत्रा ने जो कुछ आरोप लगाये म अपने आपको उनका दोषी मानता हूं । हम ऋण, गृह आदि के संबंध में यथेष्ट आंकड़े नहीं दे सके हैं, परन्तु उनके भाषण के बाद मैंने कुछ आंकड़े तैयार करने का यत्न किया है । पहले मैं गृह-व्यवस्था की ओर ही निर्देश करूंगा। पश्चिमी बंगाल में ४,२९,२७२ विस्थापित परिवार हैं । ५४,८७५ परिवार यानी १४·७ प्रतिशत अपने घरों में रह रहे हैं। जो उनकी खुद की या पट्टे पर ली हुई ज़मीनों पर बने हुए हैं । तो उनके संबंध में तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उनके खुद के मकान मौजूद हैं । ४५,८०२ परिवार किराये पर लिए हुए मकानों में रह रहे हैं। उनके संबंध में भी कोई बहुत जल्दी नहीं है । ४४,२१२ परिवार अपने संबंधियों के साथ रह रहे हैं और १,३३१ परिवार धर्मशालाओं में रह रहे हैं । इन दोनों प्रकार के परिवारों के लिये मकानों की व्यवस्था की जानी है । मुसलमानों द्वारा छोड़े गये खाली मकानों में ७६,८९३ परिवार रह रहे हैं । यदि उन्हें उन मकानों से नहीं हटाया जाता है, तो उनका भी कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । तो इन आंकड़ों के अनुसार ७५.४ प्रतिशत के लिए मकानों की तुरन्त व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है ; २६.४ प्रतिशत के लिए है । अब मैं उन लोगों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं जो दूसरों की ज़मीनों पर अनधिकृत रूप से बस गये हैं । मैं ऐसे लोगों के प्रश्न पर सदैव ध्यान देता रहा हूं और यदि मुझे ठीक तरह याद है तो मैंने इस प्रश्न पर डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी बातचीत की थी । कोई १५,००० और कुछ परिवार कलकत्ता नगर में दूसरों की ज़मीनों पर रह रहे हैं । ऐसे लोगों के संबंध में हमने जो नीति अपनाई है वह यह है कि जहां कहीं ज़मीन की कीमत किसी विशेष राशि से अधिक नहीं होगी वहां हम ज़मीन ले लेंगे और उन बस्तियों में इस प्रकार ताल मेल बनायेंगे कि सड़कों, सफ़ाई, रोशनी आदि की समुचित व्यवस्था हो । हम ने कुछ काम तो प्रारम्भ भी कर दिया है । कुछ बस्तियों का परिमाप भी हो गया है । प्रत्येक परिवार के मुख्य व्यक्ति की फ़ोटो ले ली गई है इन बस्तियों में हम शीघ्र ही भूमि प्राप्त कर लेंगे । हमने दो बस्तियों का परिमाप कर लिया है । कुछ बस्तियें ऐसी भी हो सकती हैं जहां कि भूमि का मूल्य बहुत अधिक हो और हम उतना मूल्य न दे सकें । कहीं कहीं भूमि का मूल्य २,००० रुपये प्रति कट्ठा से लेकर ४,००० रुपये प्रति कट्ठा तक है । उन भूमियों पर बसे हुए परिवारों को हमें वहां से हटाना है । हां, उनको हम यथासंभव पास के स्थानों पर ही बसायेंगे । कुछ दशाओं में तो ज़मीन के मालिकों ने मुझ से कहा है कि वह ज़मीन का कुछ भाग मकान बनाने के लिए देने को तैयार हैं । ऐसे मामलों पर विचार किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि उन व्यक्तियों को अपने वर्तमान स्थान से, जहां से कि वे अपनी थोड़ी बहुत जीविका अर्जित कर रहे हैं, हटा दूं । मैं उनको या तो उनकी वर्तमान भूमि पर या पास से पास किसी अन्य भूमि पर बसाने का यत्न करूंगा ।

बंगाल में हमारा मकान बनाने का कार्यक्रम उतना बुरा नहीं है जितना कि कुछ

माननीय सदस्यों ने बतलाया है। पंडित मैत्रा ने प्रश्न उठाया था : पश्चिम में तो आपने शरणार्थियों के लिये काफ़ी मकान बनाये हैं ; फ़िर पूर्व में भिन्न नीति क्यों अपनाई जा रही है—अर्थात् शरणार्थियों को बने बनाये मकान नहीं, बल्कि ज़मीन दे दी जाती है और उस पर मकान बनाने के लिए कुछ रुपया। इस प्रश्न का उत्तर विरोधी दल के कुछ सदस्यों द्वारा दिया जा चुका है। "सैंटेज चार्ज" बहुत अधिक देना पड़ता है; किसी समय तो वह १५ से लेकर २० प्रतिशत तक हुआ करता था। मैं उसे घटाने का प्रयत्न कर रहा हूं और अब वह ८ प्रतिशत तक आ भी गया है। 'सहायता कोष' में से बनवाये गये मकानों का तो कोई "सैंटेज चार्ज" नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार भी अपना नफ़ा निकालता है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि हम जो इमारत तैयार करते हैं वह एक विशेष डिज़ायन की होती है। तो हमने सोचा कि ज़मीन दे दी जाये और रुपया दे दिया जाये; अब यह बनवाने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह जिस प्रकार का मकान बनवाना चाहे बनवाये। १,५६,००० परिवारों को ऋण पहले ही दिये जा चुके हैं। यदि आप मुझ से यह पूछें कि इन १,५६,००० में से कितनों ने मकान बनवाया है तो मैं आपको यह आंकड़ा नहीं दे सकता। इस जानकारी की कमी तो मैं अपने माननीय मित्र द्वारा इस प्रश्न के उठाये जाने के पहले भी अनुभव कर रहा था। गत बार जब मैं कलकत्ते गया था तो मैंने घर घर यह पुछवाया था कि किस-किस ने यह ऋण लिया और किस-किस ने मकान बनवाया। परन्तु यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है और मेरे पास कर्मचारी तथा अन्य साधन भी इतने नहीं हैं कि यह पता लगाया जा सके।

पंडित एल० के० मैत्रा (नवद्वीप) : तो आप मेरी बात मानते हैं। मेरा कहना भी यह था कि आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे थे कि पश्चिमी बंगाल में आपका मकान बनवाने का कोई कार्यक्रम है। उससे आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री ए० पी० जैन: हमने ऋण दिये हैं।

पंडित एल० के० मैत्रा: नहीं, नहीं। आपने किसी निर्माण कार्यक्रम की ओर निर्देश किया था।

श्री ए० सी० गुहा: प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के लिये मकान बनाने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है।

श्री ए० पी० जैन: सामान्य रूप से मैं वहां कोई बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि शरणार्थी वहां मकान अपने आप तैयार करें। मेरी नीति यही है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या आप उन लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध करेंगे ?

श्री ए० पी० जैन: जी हां ; नियन्त्रित मूल्य पर।

श्री ए० सी० गुहा: मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये केवल ५०० रुपये ऋण दिये जाते है। क्या यह राशि मकान बनवाने के लिए पर्याप्त होगी ?

श्री ए० पी० जैन: मुझे कहने दीजिये। पंडित मैत्रा ने एक और प्रश्न उठाया है : पुस्तिका में यह बतलाया गया है कि हमने ऋण के लिए ४.२४ करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं ; परन्तु हम यह नहीं जानते कि कितने रुपये वास्तव में दिये गये। निस्संदेह, यह एक अच्छा प्रश्न है। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं। पश्चिमी बंगाल में वास्तव में २,६४,००,००० रुपये दिये गये हैं। कछार में ५४ लाख, आसाम में ५ लाख, और उड़ीसा में ७ लाख

[श्री ए० पी० जैन]

रुपये दिये गये हैं। कुल ३·३० लाख रुपये अर्थात् स्वीकृत राशि का ७५ प्रतिशत, दिये गये हैं। मकान बनवाने के लिए ऋण में से ७,०५,००,००० रुपये १,५४,००० परिवारों को दिये गये हैं।

एक प्रश्न पश्चिमी बंगाल के बारे में उठता है। मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर स्वयं माननीय सदस्यगण ही दें। बंगाल से आने वाले माननीय सदस्यों ने दो प्रकार की बातें कही हैं। उनमें से कुछ ने कहा कि बंगाल बहुत अधिक भर गया है, अब उसमें और शरणार्थी नहीं समा सकते। और लोगों को बंगाल के बाहर ले जाया जाये। दूसरी ओर एक माननीय सदस्या, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा : "आप बंगालियों को बंगाल से बाहर लिये जा रहे हैं।" मैं चाहता हूं कि इस विवाद का निपटारा स्वयं बंगालवासी ही करलें। डा० मुखर्जी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने बंगाली शरणार्थियों को बंगाल के बाहर बसाने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये हैं। शुरू शुरू में ही, अब से कोई १८ मास पूर्व मैं ने जौइंट सैक्रेटरी के पद का एक पदाधिकारी इसलिए नियुक्त किया था कि वह भिन्न भिन्न राज्यों में जा कर यह पता लगाये कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कौन-कौन से स्थान उपयुक्त रहेंगे। वह मद्रास, मैसूर और हैदराबाद गया था और उस ने बड़े अच्छे अच्छे स्थान छांटे थे। मैं बंगाली शरणार्थियों की कठिनाई समझता हूं— उनकी भाषा संबंधी कठिनाई, जलवायु संबंधी कठिनाई आदि। मैं उन्हें एक ऐसे स्थान पर नहीं ले जाना चाहता था जहां दूसरे लोग उनकी भाषा ही नहीं समझ सकते। मैं बड़ी बड़ी बस्तियां बसाना चाहता था। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री स्वयं मैसूर गये थे। वहां एक लाख से भी अधिक एकड़ उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी; वर्षा भी वहां बहुत अच्छी होती है। उन्होंने मैसूर के रहने वाले बहुत से बंगालियों के हस्ताक्षर से एक नोटिस निकाला जिस में कहा गया था कि मैसूर वाले उनके साथ बहुत अच्छा वर्ताव कर रहे हैं और वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। उसमें यह भी सुझाव दिया गया कि बंगाली शरणार्थियों को वहां आकर बस जाना चाहिये। हमने भी मकानों का निर्माण आरम्भ कर दिया। परन्तु इसके बाद पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने बतलाया कि बंगाली लोग वहां जाने को तैयार नहीं है। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हें वहां जाने को राज़ी नहीं कर सके। तो हमने २५-२६ हज़ार शरणार्थियों को बिहार भेजा। उन में से आठ हज़ार फ़िर बंगाल लौट आये हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : वे क्यों लौट आये ? उनके साथ कैसा वर्ताव किया गया ?

श्री ए० पी० जैन : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। आप घबड़ाइये नहीं। २४ हज़ार शरणार्थी उड़ीसा भेजे गये जिनमें से १६ हज़ार वापस लौट आये हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ५०० परिवारों की एक बस्ती बनाई जिनमें से केवल ३०० परिवार आये, २०० परिवारों की जगह खाली पड़ी है और अब मैं वहां पंजाबियों को भेजने का विचार कर रहा हूं। हमने चूनागढ़ में भी उनके रहने की व्यवस्था की। हमें आशा तो बहुत से परिवारों को वहां जाने की थी किंतु केवल ६०० ही गये। परिणाम यह हुआ कि वहां का कुल खर्चा बहुत पड़ा।

अब, मुझ से पूछा गया है कि ये लोग वापस क्यों आगये। मैं कारण बतलाता हूं। बंगालियों को अपने आप को नये वातावरण के अनुकूल ढालने में अधिक कठिनाई होती है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: ऐसा नहीं है ।

श्री ए० पी० जैन: मैं आपको प्रमाण दूंगा । "ऐसा नहीं है" कह देने मात्र से कुछ नहीं होता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: क्या माननीय मंत्री ने कभी उनसे यह पूछने की चेष्टा की है कि वे क्यों लौट आये ?

श्री ए० पी० जैन: जी हां मैं ने उनसे बातचीत की है । मैं उन कैम्पों में गया और वहां उनसे मैंने पूछा : "आप वापस क्यों जाना चाहते हैं ? आप के अन्य साथी क्यों वापस चले गये हैं ?" मैं ने यह प्रश्न उड़ीसा के चिरमिरी कैम्प में पूछे थे ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: परन्तु यह कैम्प तो पश्चिमी बंगाल में ही है ।

श्री ए० पी० जैन: मुझे नाम की पक्की याद नहीं है, परन्तु वह उड़ीसा की ही कोई जगह थी । हो सकता है कि मैंने ग़लत नाम बतलाया हो । मैं आपको बतला दूं कि मुझे अपने प्रश्नों का क्या उत्तर मिला । उन्होंने कहा कि प्रातः जब वे सो कर उठते हैं तो वे पहाड़ियों को देख कर डर जाते हैं । मेरे पास उनका यह उत्तर लिखित रूप में है और उस पर उन लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वहां कोई बड़ी नदी नहीं है । उन्होंने कहा : "हम पद्मा चाहते हैं ।" श्रीमान्, मैं वहां पद्मा कैसे ले जा सकता हूं ? यह तो एक कठिनाई हुई । दूसरी कठिनाई यह है कि बंगाली लोग नयी जलवायु में भी नहीं रह सकते ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: हमें बैठकर इन सब बातों पर चर्चा करनी चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन: मैं तो चर्चा कर चुका, किंतु माननीय सदस्य ने कभी भी कोई हल प्रस्तुत नहीं किया । मैं ने कोई एक दो बार चर्चा नहीं की है, बल्कि दसियों बार चर्चा कर चुका हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगाली शरणार्थी वहां रहने को तैयार हैं जहां कहीं भी उन्हें भेजा जाये । सच तो यह है कि उन के ऊपर राजनैतिक दलों का प्रभाव है । कुछ राजनैतिक दलों ने उन लोगों को जो बिहार और उड़ीसा गये हैं यह लिखा है कि वे वापस चले आयें क्योंकि वे दल चाहते हैं कि वे शरणार्थी उन्हें मत दें । ऐसी बातें चल रही हैं । आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि एक ओर तो यह आवाज़ उठायें कि बंगाल अब बहुत भर गया है, यहां कोई नहीं आना चाहिये और दूसरी ओर गये हुये लोगों को वापस बंगाल बुलावें ।

वैसे तो बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं ; परन्तु मेरे पास अब कोई पांच मिनट और हैं और इन पांच मिनटों में मैं निष्क्राम्य संपत्ति के संबंध में कुछ कहूंगा । निष्क्राम्य सम्पत्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । कितने ही माननीय सदस्यों का ध्यान इस अमुक विषय की ओर गया है । निष्क्राम्य सम्पत्ति के विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं जिनमें से अधिकांश नितांत निराधार हैं । हम पर यह आरोप लगाया गया कि हम निष्क्राम्य सम्पत्ति को खत्म किये जा रहे हैं । परन्तु यह आरोप ग़लत है । यदि हमने कोई निष्क्राम्य सम्पत्ति वापस लौटाई है तो ऐसा खुले रूप से किया है । हमने एक अधिसूचना निर्गमित की थी । अनेक बार इस संबंध में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनके उत्तर भी दिये जा चुके हैं । हमारी नीति पूर्णतः स्पष्ट है । भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी धर्म में विश्वास रखता हो, समान अधिकार प्राप्त हैं । निष्क्राम्य सम्पत्ति विधान के परिणामस्वरूप भारत के किसी मुसलमान नागरिक के साथ भेद-भाव नहीं बरता जायगा । जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गये हैं उनके द्वारा यहां छोड़ी गई संपत्ति को निष्क्राम्य संपत्ति माना गया है । दिनांक

[श्री ए० पी० जैन]

३ जुलाई, १९५० को धारा ५२ के अन्तर्गत एक अधिसूचना निर्गमित की गई थी जिसके द्वारा कुछ वर्गों के व्यक्तियों को अपनी संपत्ति वापस लेने का हक है। जो लोग पाकिस्तान चले गये किंतु अनुज्ञा प्रणाली के चालू होने से पूर्व ही भारत लौट आये और जो लोग किसी विशेष तिथि से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के हेतु अनुज्ञा प्राप्त करके यहां आये— केवल उन दोनों वर्गों के व्यक्तियों को उनकी संपत्ति वापस लौटाई गई है, औरों को नहीं। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार इससे भिन्न नीति का अनुसरण नहीं कर सकती थी। आप किसी ऐसी नीति का अनुसरण नहीं कर सकते। जिससे आपके नागरिकों के किसी समुदाय को असुरक्षा की भावना का अनुभव होने लग जाये। यदि किसी वर्तमान विधान के कुछ उपबन्ध ऐसे हों कि उन से जनता के किसी भाग विशेष में असरक्षा भावना उत्पन्न होती हो तो उन उपबन्धों में संशोधन होना ही चाहिये। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है और उसकी संपत्ति निष्क्राम्य संपत्ति मान ली गई है, उस दशा में उसकी संपत्ति केवल इसीलिए नहीं लौटा दी जायगी कि वह उसका दावा कर रहा है।

प्रतिकर दिये जाने, निष्क्रान्त सम्पत्ति के कुल मूल्य तथा विशेषतया स्वीकृत दावों की कुल राशि के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं। कुछ आंकड़े तो मैं ने दिये हैं, परन्तु कुछ ऐसे आंकड़े मैं ने नहीं बतलाये हैं जिनका इस समय प्रकट किया जाना मेरी समझ में लोकहित के विरुद्ध होगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी प्रतिकर के भुगतान की कोई योजना तैयार करने के लिये उतना ही उत्सुक हूं जितना कि सदन का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। मैं तो भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। मैं योजनाएं चलाने का यत्न कर रहा हूं। मैं ने कुछ आंकड़े भी तैयार किये हैं, किन्तु मैं चाहता हूं कि इन सब को सदन के समक्ष उसी समय रखूं जब मुझे उन के विषय में यह विश्वास हो जाये कि ये चीजें अब बिल्कुल पूरी हैं। ऐसी स्थिति में जब कि कार्यवाही जारी हो, उसके बारे में बातें बतलाना अच्छा नहीं है। यह बात देश के हित में नहीं होगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी मेरे द्वारा दिये गये आंकड़ों से पाकिस्तान ने अनुचित लाभ उठाया। उन आंकड़ों का पाकिस्तान ने दूसरे देशों में हमारे विरुद्ध प्रचार करने में दुरुपयोग किया है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के भीतर भीतर मैं सम्पूर्ण योजना प्रकट कर दूंगा जिस से यह ज्ञात हो जायेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रतिकर कैसे देंगे और प्रतिकर की राशि क्या होगी। मुझे खेद है कि इस समय तो मैं इस से अधिक और कुछ कहने में असमर्थ हूं। मुझ में विश्वास रखिये, मैं आप को निराश नहीं होने दूंगा।

डा० ए० पी० मुखर्जी: माननीय मंत्री ने आसाम की तो चर्चा ही नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है। वह किसी और समय पर कर देंगे।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि क्वीन्सवे, पंचकुईयां रोड और इरविन रोड के दुकानदारों से कोई तीन लाख रुपये किराये के रूप में वसूल किये जाने हैं। मैं पूछ सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि जब किराये का यह प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन था और जब न्यायालय ने यह विनिश्चय किया था कि दुकानदारों को ३० रुपये नहीं बल्कि १६ रुपये किराया देना

चाहिये, तो दिल्ली नगरपालिका ने किराया लेने से इंकार कर दिया था ?

श्री **ए० पी० जैन** : मेरे पास यह मान लेने का प्रमाण है कि शरणार्थी एक के बाद दूसरा विवाद खड़ा कर रहे हैं। किराया न देने के अभिप्राय से वे न्यायालय में, तथा बाहर भी, प्रत्येक प्रकार की अड़चन पैदा कर रहे हैं। मेरी शिकायत तो यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही वाद-विवाद का उत्तर देने में १ १/२ घंटे से भी अधिक समय ले चुके हैं। यह प्रश्नोत्तर इस समय नहीं होना चाहिये।

प्रश्न यह है कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये"।

मत विभाजन हुआ : ७२ सदस्यों ने पक्ष में मत दिया और २८० ने विपक्ष में।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष अन्य कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष **महोदय** : प्रश्न यह है कि :

" ३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ७८, ७९, ८० और १२५ के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन द्वारा यह मांगें स्वीकृत की गईं

मांग संख्या—७८ पुनर्वास मंत्रालय—१३,००,००० रुपये

मांग संख्या ७९—विस्थापित व्यक्तियों र व्यय ६,७२,९२,००० रुपये

मांग संख्या ८०— पुनर्वास मंत्रालय क अन्तर्गत विविध व्यय—१९,००० रुपये

मांग संख्या १२५—पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी पूंजी व्यय—२०,००,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय और उत्पादन मंत्रालय दोनों की मांगें एक साथ लेंगे।

मांग संख्या ९५— निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय—१०,२७,००० रुपये

मांग संख्य ९६—रसद—२,७२,०४,००० रुपये

मांग संख्या ९९—अन्य नागरिक निर्माण कार्य—११,११,२६,००० रुपये

मांग संख्या १००—लेखना सामग्री तथा मुद्रण—३,४१,४५,००० रुपये

मांग संख्या १०१—निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय—३८,२३,००० रुपये

मांग संख्या १३०—नई दिल्ली सम्बन्धी पूंजी व्यय—१,४४,९१,००० रुपये

मांग संख्या १३१—इमारतों पर पूंजी व्यय—७,०८,०७,००० रुपये

मांग संख्या ९७—नमक—८८,१५,००० रुपये

मांग संख्या ९८—स्टाम्प रद करने तथा छपाई की स्याही बनाने वाली फैक्टरी—१,९७,००० रुपये।

मांग संख्या १३२—निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सम्बन्धी अन्य पूंजी व्यय—४,६४,०२,००० रुपये

नीति

श्री टी० के० चौधरी (बरह्मपुर) : " 'निर्माण उत्पादन तथा रसद मंत्रालय, सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

नीति और सरकारी उपक्रम

श्री के० क० बसु (डायमंड हार्बर) :

"'निर्माण उत्पादन तथा रसद मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सिंदरी कृषिसार फ़ैक्टरी

श्री एच० एन० मुखर्जा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) :

"'निर्माण उत्पादन तथा रसद मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

गरीब किसानों को नमक बनाने के लिये बेरोकटोक जमीनें देना

श्री मोहन राव (राजामंडी—रक्षित—अनुसूचित जातियां) :

"'नमक' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नमक बनाने वाले श्रमिकों तथा गरीब मछुओं को नमक बनाने के लिये जमीनें बांटना ताकि एकाधिकार प्रणाली को समाप्त किया जा सके"

श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम) :

"'नमक' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

राज्य संचालित उद्योगों सम्बन्धी नीति

श्री एच० एन० मुखर्जी : "'निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सम्बन्धी अन्य पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सरकार के औद्योगिक उपक्रम

डा० अमीन (बड़ौदा पश्चिम) :

"'निर्माण उत्पादन तथा रसद मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं ।

श्री के० के० बसु : सदन में जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन दोनों मंत्रालयों के अधीन जो जो विषय आते हैं मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं । पहले मैं निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय को लूंगा । जैसा कि सुविदित है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार, पक्षपात जैसी अनेक बुराई विद्यमान हैं । इस विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य करवाये जाते हैं उनका समुचित पर्यवेक्षण नहीं होता और इसके परिणामस्वरूप बहुत खराब काम होता है । रिपोर्ट से पता लगता है कि बहुत से काम जो पहले निर्माण विभाग करवाया करता था अब निजी ठेकेदारों को सौंप दिये गये हैं और बहुत से कर्मचारी निकाल दिये गये हैं । यह तो सब जानते ही हैं कि ठेकेदार किस प्रकार का काम करते हैं और कितना नफ़ा कमाते हैं ।

दूसरी बात मुझे सरकारी कर्मचारियों को मकान दिये जाने के विषय में कहनी है । प्राक्कलन समिति की गत वर्ष की रिपोर्ट में श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों को मकान दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणी की गई थी । यह भी कहा गया है कि उच्च वर्ग के कर्मचारियों को तो मकान दे दिये जाते हैं, किन्तु निम्न वर्ग के कर्मचारियों को नहीं दिये जाते । मेरा सुझाव यह है कि मकान आवंटित करते समय निम्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये ।

गृह-निर्माण विभाग में एक अनुसन्धान कार्य उपविभाग भी है । परन्तु यह समझ में नहीं आता कि पूर्वनिर्मित मकानों की

योजना के अतिरिक्त, जो पूर्णतः असफल रही है, और क्या अनुसंधान किया गया है। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि प्रायः मकानों के निर्माण का कार्य देश की जलवायु सम्बन्धी विशेषताओं आदि को ध्यान में रखे बिना प्रारम्भ कर दिया जाता है। प्राक्कलन समिति ने यह भी कहा है कि उच्च कर्मचारी बहुत अधिक संख्या में हैं। अनावश्यक संख्या में पदाधिकारी रखने से काफ़ी रुपया व्यर्थ जा रहा है।

मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि लेखन सामग्री प्रायः बाजार भाव से अधिक कीमत पर खरीदी गई है। संसद् सदस्यों को जो पैड और लिफ़ाफ़े मिलते हैं उनकी भी अधिक कीमत ली जाती है। ये सब चीजें बाजार भाव से अधिक कीमत पर नहीं दी जानी चाहियें। इस सम्बन्ध में, मैं कलकत्ता के लेखन सामग्री विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा विभाग है। वहां बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है। छंटनी के बाद जो कर्मचारी बचे हैं उनसे अतिरिक्त समय में काम लिया जा रहा है ताकि विभाग का काम चल सके। मैं नहीं समझ सकता कि क्यों एक ओर तो कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और क्यों दूसरी ओर अन्य कर्मचारियों से इतना अधिक काम लिया जा रहा है।

जैसा कि गत वर्ष लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया था, सरकार को समय पर माल न छुड़ाने के कारण काफ़ी विलम्ब शुल्क देना पड़ा है। सरकारी विभाग में इस प्रकार की असावधानी वांछनीय नहीं है क्योंकि इस से लोक धन का अपव्यय होता है।

अंक समिति ने नासिक प्रेस के सम्बन्ध में भी कड़ी आलोचना की है। समिति ने सिफारिश की थी कि उक्त प्रेस अलीगढ़ या किसी अन्य केन्द्र स्थान में स्थित होना चाहिये क्योंकि नासिक में उसका रहना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

प्रकाशन विभाग का काम भी सन्तोषजनक नहीं है। कलकत्ता लेखन सामग्री तथा प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि वहां से कोई अधिनियम आदि मंगाया जाता है तो वह वहां प्राप्य ही नहीं होता। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार काम कैसे चलेगा।

मुझे एक बात उत्सर्जन विभाग के सम्बन्ध में कहनी है। यद्यपि पुनर्वास तथा अन्य विभागों में निर्माण के लिये सामान की बहुत मांग है, फिर भी उत्सर्जन विभाग में बहुत सा सामान बेकार पड़ा हुआ है।

संयुक्त राजतंत्र (यूनाइटेड किंगडम) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यू० एस० ए०) में हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट (क्रय विभाग) हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि हम इस विभाग पर जितना व्यय करते हैं वह खरीदे जाने वाले सामान को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक है।

नमक-कर के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कुछ व्यक्तियों को खुश करने के लिये बहुत अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

सिंदरी की कृषिसार फ़ैक्टरी का अनुमानित पूंजी व्यय १० करोड़ रुपये था परन्तु वास्तव में अब तक २३ करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। मशीन उपकरण फ़ैक्टरी के बारे में मुझे यह कहना है कि इस काम के लिये निजी उद्योगों पर निर्भर रहा जा सकता था। जबकि स्टील की ही इतनी आवश्यकता है—जिससे कि उपकरण तैयार किये जायेंगे—इस फ़ैक्टरी की क्या जरूरत थी।

[श्री के० के० बसु]

मुझे आशा है कि सरकार देश के संसाधनों तथा हितों के अनुकूल कार्य करेगी और हमारे सीमित संसाधन का एक अंश भी बेकार नहीं जाने देगी ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी चाहता था कि बजट पर या रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के बजट पर बोलूं, लेकिन अभाग्यवश इस के लिये मुझे मौका नहीं मिला । अब मुझे इस विषय पर बोलने का मौका आप ने दिया है और मैं इस के लिये आभारी हूं । यह महकमा ऐसा है जिस के अन्दर तीन विभाग हैं, एक तो वर्क्स (निर्माण) है, दूसरा हाउसिंग (गृह व्यवस्था) और तीसरा सप्लाई (रसद) । पहले यह वर्क्स, माइन्स एण्ड पावर (निर्माण, खान तथा विद्युत) का महकमा था और उस के बारे में सब को मालूम है । यह वर्क्स डिपार्टमेंट (निर्माण विभाग) सनातन काल से चला आ रहा है और उस में हमेशा करप्शन (भ्रष्टाचार), निपोटिज्म (पक्षपात) और खराबियां रही हैं । इसलिये मैं वजीर साहब से खास कर यह दरख्वास्त करूंगा कि जो रिसर्च डिपार्टमेंट (अनुसन्धान विभाग) इस विभाग के लिये नियुक्त किया गया है उस विभाग को यह खास हिदायत दें कि इस के बारे में पूरे तौर पर रिसर्च (अनुसन्धान) करें कि कौन कौन से तरीके वैज्ञानिक दृष्टि से हम निकाल सकते हैं जिस से कि यह विभाग शुद्ध हो जाये । और ठेकेदारों वगैरा की ज़हनियत बदल जाय । इस अनुसन्धान से हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा । आप को मालूम है कि वर्क्स डिपार्टमेंट के मातहत कई करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है । जितना काम आज हो रहा है उस से कई गुना ज्यादा काम हम उसी पैसे के अन्दर कर सकते हैं बशर्ते कि हमारे लोगों की ज़हनियत में, मनोभाव में थोड़ा फर्क आ जाये । लेकिन उस मनोभाव में, उस जहनियत में हमने अब तक कोई फ़र्क नहीं देखा । वर्क्स डिपार्टमेंट में हमेशा यह देखा गया है कि जहां कहीं रिडक्शन (कमी) या रिट्रेंचमेंट (छंटनी) का सवाल आता है, जहां कहीं रेशनलाइजेशन का सवाल आता है तो सब से पहले गरीब से गरीब जो मजदूर हैं, उन के ऊपर कुल्हाड़ा चलता है । यह अच्छी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में शुरू से, शायद अशोक के जमाने से या उस से पहले से हमारे मजदूर बारहों महीने सड़कों को सफा करने या रोड़ा तोड़ने या कूटने का काम करते आये हैं और पुश्त दर पुश्त से, सदियों से, यह बेचारे यही काम करते आये हैं । यह बारहमसिया हैं और बारहों मास यही काम करते रहे हैं; लेकिन अब स्वराज्य मिलने के बाद उन की आंखों में भी कुछ रोशनी आ गई और वह समझ रहे हैं कि हां अब राम राज्य आ रहा है, हमारी भलाई का वक्त आ रहा है, मजदूर किसानों का राज्य आ रहा है और हमारी कुछ सुनवाई होगी लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ । रिट्रेंचमेंट का जहां कुल्हाड़ा चलता है तो यह सब से पहले बारहमसियों के ऊपर आता है ।

इस के बाद ओवरसियरों का दूसरा नम्बर आता है । इन पर भी जब कुल्हाड़ी रिट्रेंचमेंट की खत्म हो जाती है तो दूसरे किस्म के जो एस० डी० ओ० और इंजीनियर्स हैं उन के ऊपर आती है । मगर अक्सर देखा गया है कि इन लोगों के ऊपर सब से अन्त में आती है और कुल्हाड़ी कभी चलती ही नहीं है । क्योंकि ये लोग अपने काम की खूबी और काबलियत दिखाने के लिये सब से पहिले खर्च में जो कमी करते हैं वह इन गरीबों के ऊपर कुल्हाड़ी चला कर ही करते

हैं। मुझे इस तरह की बातें बहुत मालूम हैं और बहुत से मजदूर जो इस प्रकार रिट्रेंच किये जाते हैं रोते हुए हमारे पास आते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि वह इस बात की ओर खास ध्यान दें कि जिस समय रिट्रेंचमेंट किया जाता है उस समय सब श्रेणी के लोगों को रिट्रेंच किया जाय और सब का बराबर का हक़ आये। खास कर सब से नीचे श्रेणी के जो मजदूर हैं उन का हक ज्यादा हर वक्त सामने रहना चाहिये।

दूसरी बात मुझे हाउसिंग (गृह व्यवस्था) के बारे में कहनी है। हाउसिंग अभी तक किसी एक महकमे का खास विषय नहीं बनाया गया था। मैं समझता हूं कि यह नई मिनिस्ट्री का नया काम है। इस का मैं स्वागत करता हूं। इस से पहले जो हाउसिंग का डिपार्टमेंट था वह पी० डब्ल्यू० डी० का एक हिस्सा था। लेकिन इस को जनता के सामने लाने के लिये इस को खास स्थान दे दिया गया है और इस का नाम भी वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई बना दिया गया है। मैं इस का स्वागत करता हूं। अभी तक हाउसिंग का जो काम होता था वह सिर्फ सरकार के जो बड़े बड़े अफसरों के लिये मकानात होते थे, उन की जो जरूरतें होती थीं उन पर ही विशेषकर ध्यान दिया जाता था। उस के बाद जो सरकारी मकानात बनते थे उन पर ध्यान दिया जाता था और आज कल रिहैबिलिटेशन की वजह से जो बहुत से मकानात बनाये जा रहे हैं उन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सब अच्छी बातें थीं। लेकिन अब हाउसिंग का एक महकमा और खास विभाग बन गया है। मैं समझता हूं कि जब हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट जल्दी ही ध्यान देगी और जितनी खाली जमीन पड़ी है उन पर मकानात बना कर जनता को देगी।

मैं सरकार के सामने एक मसला रखना चाहता हूं। इस समय दिल्ली में करीब ३५ लाख से भी ज्यादा आदमी शहर के अन्दर रहते हैं। उस में से कोई साढ़े ५ लाख रिफ्यूजी हैं। इस के अलावा कोई दस लाख आदमी यहां पर छोटा और बड़ा काम करने वाले हैं। यह लोग दिल्ली के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और दूसरे सूबों के रहने वाले हैं। अगर उन की हालत को देखें तो जहां पर वह रहते हैं वह मकान बहुत ही खराब हैं। इस वक्त आप को मालूम है कि हमारी हुकूमत एक किस्म की एक वैलफ़ेयर स्टेट (लोक कल्याणकारी राज्य) अपने आप को कहती है। अगर वैलफ़ेयर स्टेट में गरीब आदमियों को रहने के लिये किसी प्रकार का इन्तजाम न हो सका तो यह बहुत अफसोस की बात हो जाती है। हमारे पास बड़े बड़े नौकरी करने वाले, व्यापारी और बहुत बड़े बड़े अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कांग्रेस दफ्तर या रिहैबिलिटेशन के दफ्तर में आ कर मकान मांगते हैं। बहुत ठीक है कि वह मकान मांगते हैं, रिफ्यूजी होने के कारण यह मकान मांगने के हक़दार हैं। उन लोगों के वहां पर मकान थे। कुछ भाइयों के साथ तो मुझे रोज बहस करनी पड़ती है। मैं उन से कहता हूं कि जब तुम अच्छी तनख्वाह पा रहे हो, १०० रुपया, २०० रुपया, ३०० रुपया और ५०० रुपया माहवार, तो क्यों नहीं तुम लोग किराये का मकान ले कर रहते। आप इतना जोर क्यों देते हैं कि गवर्नमेंट ही मकान दे। गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह से ज्यादा बोझ डालना नहीं चाहिये। लेकिन वह ऐसा नहीं समझते हैं। वह रिफ्यूजी होने की हैसियत से अपना यह हक समझते हैं कि सरकार हम को मकान देगी। बात

[श्री सी० के० नायर]

दुरुस्त है । उन्होंने कई लाख और करोड़ों के मकान अपने पाकिस्तान में छोड़ दिये हैं और इस लिये वह यहां पर मकान के लिये हक मांगते हैं। लेकिन उस वक्त मैं उन लोगों से कहता हूं कि भाई अगर दिल्ली में थोड़े आदमी होते तो उन सब के लिये मकान का बन्दोबस्त हो जाता। मगर यहां तो २०, ५०, १०० आदमियों का सवाल नहीं है, यहां तो कई लाख आदमी पड़े हैं। इतने आदमियों के लिये गवर्नमेंट कहां तक इन्तजाम कर सकती है। इसलिये मैं हुकूमत से यह बात खास तौर से अर्ज करूंगा कि जो यह हमारे भाई यहां पर आये हैं उन को रिहैबिलिटेट करने के साथ ही साथ शहर के बेघर गरीबों के उन के रिहाइश का भी इन्तजाम अच्छी तरह से होना चाहिये।

असल में देखा जाये तो यह जो हमारा हाउसिंग का सवाल है वह केवल दिल्ली का ही सवाल नहीं है बल्कि इस देश के ५० लाख गांवों का सवाल है। यह तो एक बड़ा विशाल प्रश्न है । इस को हमें अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। लेकिन शुरू में यह काम शहरों से करना चाहिये । शहरों में भी खास कर दिल्ली से जो कि सारे देश की राजधानी है और जहां पर मकानों की बहुत कमी है वहां पर यह कार्य शुरू किया जाना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को यह मालूम होगा कि दिल्ली में एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार प्रन्यास) है। उस का काम यह है कि बेकार जमीन को साफ कर के इम्प्रूव करना है और उस के प्लाट्स बना कर लोगों में तकसीम करना है। तकसीम भी जो होता है वह सिर्फ नीलाम के जरिये होता है। इस का नतीजा यह होता है कि जो अमीर और पैसे वाले होते हैं वह ही इन जमीनों को खरीद सकते हैं और मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग) के लोगों को कोई भी मौका इन जमीनों के खरीदने का नहीं मिलता है। यह दरमियानी लोग और पिछड़े हुए लोग इन जमीनों से महरूम रह जाते हैं और उन के अपने रहने के लिये कोई जमीन नहीं मिल पाती। हम लोग आज इस सदन में बैठे हैं और इस सदन में करीब ७० और ८० फी सदी देहाती जनता और गरीब जनता के नुमाइन्दे हैं। हम हमेशा यह दावा करते आये हैं कि हिन्दुस्तान की हुकूमत गरीब जनता के लिये होनी चाहिये । इसलिये हमें चाहिये कि जहां तक हो सके सब से पहिले दिल्ली में रहने वाले गरीब तबके के वास्ते मकान का इन्तजाम करें। इस के साथ ही साथ हम को यह भेद भाव भी दूर करना चाहिये कि जो प्लाट्स सिर्फ अमीर को मिलते हैं वह अब से यहां की पिछड़ी हुई जनता को भी मिलें और वह भी नीलाम का लाभ उठा सकें । इस तरह से हम गरीबों को कुछ जमीन दिला सकेंगे। इन तमाम कामों को जल्दी करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हम एक दम इस काम को बड़े पैमाने पर न कर सकें लेकिन किस तरह से शुरू किया जाय यह तो सरकार खुद फैसला कर सकती है ।

इस वक्त तुर्कमान गेट के पीछे के हिस्से में से, जिस की करीब तीन हजार की आबादी है, गरीब आदमियों के निकाल दिये जाने का फैसला किया जा रहा है । उन को वहां से निकाल कर उस जगह पर नये प्लाट्स, सड़कें और मकान बनने वाले हैं। यह लोग कुदरती तौर पर दौड़ कर हमारे पास आते हैं और हम से कहते हैं कि हमारे साथ इन्साफ कीजिये। इस पर हम ने कहा कि तुम लोग बेफिक्र रहो, अगर तुम्हारे वास्ते रहने का स्थान नहीं दिया गया तो

दिल्ली की हुकूमत को रहने का क्या हक़ है ?

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : बहुत ठीक है ।

श्री सी० के० नायर : इसलिये उन के लिये बाहर रहने का इन्तजाम अवश्य होता। वहां पर प्लाट्स जरूर बनें, मगर जो अपने छोटे छोटे मकानों में जो कि पुराने बादशाहों के जमाने से बने हुए हैं और वह गरीब लोग वहां पर वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं अगर आप उन को वहां से हटाना चाहते हैं तो कम से कम उन की गुजर बसर करने के लिये जगह तो दी जानी चाहिये । उन के जो मकान ५० और ६० गज की दूरी पर हैं और बहुत छोटे बने हुए हैं उन को भी आप छीन कर उन को बेघर बार कर रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उसे उन की जमीन को लेते वक्त उन गरीब लोगों का खास ख्याल रखना चाहिये । आज दिल्ली शहर की आबादी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और मकानों का मसला बहुत ही खराब होता चला जा रहा है । अगर हमारी सरकार अभी से इस मामले की ओर ध्यान देगी तो वह कुछ हद तक इस मसले में कामयाब हो सकेगी ।

एक फ्लैट के माने यह समझे जायें कि बेशक वह जमीन आसमान में ही क्यों न हो, लेकिन उस हिस्से पर आदमी का राइट (अधिकार), उस की ओनरशिप (स्वामित्व) मान ली जाये । अगर तीन हजार घर वहां से हटाये जायें और अगर हम सिर्फ एक हजार ही मकान वहां बनवा सकें तो हम उन को दो फ्लैट और मिला कर तीन हजार बना सकते हैं और उन तमाम गरीबों को मौका दे सकते हैं । इसलिये इस प्रकार के काम के लिये मैं फिर यही दरख्वास्त करूंगा कि मंत्री महोदय अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को हदायत दें कि वह अपने रिसर्च में इस किस्म की कोई नयी अच्छी चीज निकालें जिस से गरीबों का उपकार हो और हम उन को जवाब दे सकें ।

वक्त निकलता जा रहा है । मुझे एक दो बातें और कहनी हैं, वह सप्लाई (रसद) के बारे में हैं । सप्लाई का महकमा बहुत बड़ा महकमा है, इस में कई करोड़ों की खरीद फरोख्त होती है, ज्यादातर खरीद होती है । मेरी इस महकमे से यह प्रार्थना है कि जितनी भी खरीद हो वह हिन्दुस्तान में ही हो । कच्चा माल तो यहां से होगा ही, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स (तैयार किया हुआ सामान) है, उस के बारे में भी जो होम इंडस्ट्रीज (गृह उद्योग) हैं, जो घरेलू धन्धों का सामान है उस को पहले प्रैफरेन्स (अधिमान) देना चाहिये । जैसे कल हमारे कामर्स मिनिस्टर ने फरमाया था कि हमारे दिल में होम इंडस्ट्रीज के लिये सब से पहला स्थान है इस के लिये उसी तरह मैं उम्मीद रखता हूं कि सप्लाई मंत्री भी इस पर खास ध्यान देंगे । असल में महज सस्ता सप्लाई हासिल करने का ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिये, हमारा यह मक़सद होना चाहिये कि सप्लाई से जो वितरण होने वाला धन है वह गरीब से गरीब आदमियों में बंटे और गरीब से गरीब आदमियों को उस से लाभ हो । जैसे एक गज या एक थान खादी को ही लीजिये । खादी एक ऐसी वस्तु है कि उस का एक एक पैसा रोटी के काम में जाता है, उस से घी नहीं खरीदा जाता, घी की गुंजाइश ही नहीं है । जो धुनहा रुई धुनता है और जो बुनकर कपड़ा बुनता है उस को मुश्किल से एक डेढ़ रुपया पल्ले पड़ता है, और वह पैसा उसी के पास रहता है । इस तरह खादी और उसी तरह जो घरेलू धन्धे हैं उन की कमाई का पैसा असली गरीब

[श्री सी० के० नायर]

भूखे लोगों के पेट में जाता है । इसलिये गवर्नमेंट को इस का खास ध्यान रखना चाहिये । बेशक सामान कुछ घटिया क्यों न हो, बेशक सामान कुछ ज्यादा कीमती क्यों न हो, लेकिन पहले हम को उन को प्रैफरेंस देना चाहिये और सप्लाई डिपार्टमेंट जरूर अपना कर्त्तव्य का पालन करे । इन तमाम महकमों के मंत्रियों को यह ख्याल रखना चाहिये कि हम एक वैलफेयर स्टेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्रान्ति जिस को हम पुकार रहे थे, उस की तरफ यह पहला कदम है और यह हाउसिंग डिपार्टमेंट उस पर खास ध्यान दे ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : नई लोक सभा की रचना के साथ पुराने निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के दो भाग कर दिये गये और उत्पादन मंत्रालय नामक एक नया मंत्रालय बना दिया गया । दूसरे मंत्रालय में अब गृह-व्यवस्था नामक नया विभाग जोड़ दिया गया और अब उसका नाम निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय हो गया। निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के विषय में तो मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं । मैं इस विभाग के नये मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह लोक लेखा समिति की गत दो वर्षों की रिपोर्टें पढ़ें । लोक लेखा समिति ने सिपारिश की है कि वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा महालेखापरीक्षक एक साथ बैठ कर ठेकों के बारे में कुछ नियम बनाएं ताकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अधिक ईमानदारी से कार्य करे तथा अपने व्यय पर वित्तीय नियन्त्रण रखे । मैं लोक लेखा समिति का सदस्य था इसलिये मैं जानता हूं कि समिति ने लगभग सब मंत्रालयों से यह कहा था कि वे ठेके सम्बन्धी नियम बनाएं । परन्तु न तो पहली भारत सरकार ने और न ही कांग्रेस सरकार ने कोई नियम बनाये । द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों से रसद विभाग में बहुत से दोष उत्पन्न हो गये हैं । दुर्भाग्य की बात है कि रसद मंत्रालय के विदेश स्थित प्रतिनिधि भी राजदूतों के हस्तक्षेप के कारण अपने कर्त्तव्यों को ठीक तरह नहीं निभा पाते । मुझे आशा है कि नये मंत्री महोदय इन समस्याओं का हल निकालने के लिए कोई नये ढंग निकालेंगे । यदि इस विभाग पर मंत्री का ठीक नियंत्रण रहा तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है ।

अब मैं उत्पादन मंत्रालय के विषय में कुछ कहूंगा । हमारा यह उद्देश्य रहा है कि एक उत्पादन मंत्रालय की रचना की जाये ताकि यह "युद्ध तथा शान्ति" दोनों में उपयोगी हो सके । मुझे प्रसन्नता है कि उत्पादन मंत्रालय की रचना हो गई है । परन्तु, हमें यह देखना है कि वास्तव में हुआ क्या । युद्ध समाप्त हुए भी बहुत दिन बीत गये, परन्तु रक्षा उद्योग अभी तक मेरे मित्र श्री रेड्डी के प्राभार में नहीं आये हैं । जब्बलपुर में रक्षा विभाग की दो फैक्टरियां हैं । रक्षा मंत्रालय की फैक्टरियों में युद्धोत्तर काल में शान्ति काल के स्तर पर उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ । यदि भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य-नियन्त्रित समस्त उद्योग नये उत्पादन मंत्रालय के अधीन रहेंगे तो फिर रक्षामंत्रालय की फैक्टरियां उसके अधीन क्यों नहीं हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उत्पादन मंत्रालय के अधीन बहुत से उद्योग हैं । कुछ तो वास्तव में राज्य नियन्त्रित उद्योग हैं, परन्तु कुछ ऐसे हैं जो बेकार ही उस पर थोप दिये गये हैं । सरकारी गह-

निर्माण फैक्टरी, डी० डी० टी० फैक्टरी, पैनिसिलीन फैक्टरी आदि इसके उदाहरण हैं। एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो इस बात का पता लगाये कि ऐसे उद्योग चल भी सकते हैं या नहीं। चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन या चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ इन दवाइयों की फैक्टरियों के स्थापित किये जाने के हेतु सहायता दे रहा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखना तो यह है कि ये फैक्टरियां १० वर्ष से अधिक चलेंगी भी कि नहीं।

१२ मध्याह्न

उत्पादन मंत्रालय का लक्ष्य यह होना चाहिये कि देश में अधिक उत्पादन हो। इसके लिए मज़दूरों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो यह निश्चित करे कि एक मज़दूर को अपनी न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए कम से कम कितना उत्पादन करना चाहिये - कितना काम करना चाहिये। उस दिन श्री गिरि ने मालिकों और मज़दूरों में समझौते तथा मज़दूरों की भलाई के सवालों की चर्चा की थी। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान कोयला उद्योग की 'वर्किंग पार्टी' की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रिपोर्ट के अध्याय ६ में यह सिपारिशें की गई हैं कि मालिकों और मज़दूरों में समझौता किस प्रकार हो सकता है और हड़तालों को किस प्रकार रोका जा सकता है। यदि मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए मित्रगण, जो यहां भारतीय मज़दूरों की दशा में सुधार करन के हेतु आये हैं, इसे पढ़ें तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। हमने यह रिपोर्ट सरकार के सामने रख दी है। मुझे आशा है कि मेरे मित्र यह बतलायेंगे कि उनके मंत्रालय ने समझौते सम्बन्धी अध्याय को स्वीकार किया है या नहीं, तथा यह कि उनके मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तथा संचरण मंत्रालय के साथ विचारविमर्श किया है या नहीं।

संचरण मंत्रालय के बारे में मुझे यह कहना है कि अब, जबकि उत्पादन मंत्रालय बन गया है, संचरण मंत्रालय को टेलीफोन नहीं बनवाने चाहियें। अब तो समस्त उत्पादन नये उत्पादन मंत्रालय के अधीन होना चाहिये ताकि मजूरी तथा उत्पादन का प्रमापीकरण हो सके। श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निश्चित किये जाने की बात के साथ-साथ न्यूनतम उत्पादन निश्चित किये जाने के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं वर्तमान मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने "कोल वर्किंग पार्टी" द्वारा, प्रेषित रिपोर्ट में की गई बड़ी बड़ी सिपारिशें स्वीकार कर ली हैं। परन्तु मुझे इस बात पर कड़ा विरोध करना है कि अधिकांश कोयला खानों में यूरोपियनों का हाथ जारी है। यद्यपि पूंजी भारतीयों की ही लगी हुई है, प्रबन्ध यूरोपियनों के हाथ में है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन यूरोपियनों ने गत सामान्य निर्वाचन में अपने कर्मचारियों को मत भी नहीं देने दिया।

राज्य-उद्योगों द्वारा सब चीज़ों का उत्पादन किया जाना चाहिये। एक पुरानी चली आ रही परिपाटी के रूप में सरकार ने 'बेंज़ोल' का उत्पादन नहीं किया। पहले से ही कुछ ऐसी प्रथा चली आ रही है कि "बेंज़ोल" केवल बर्मा शैल कम्पनी को एक आना शुद्ध लाभ पर दिया जाये। तो "बेंज़ोल" केवल बर्मा शैल कम्पनी को ही क्यों दिया जाये? इसी बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने रिपोर्ट में य सिपारिश की थी कि कम से कम देशीय

[श्री बी० दास]

"बेंजोल" पर से कर तो कम कर दिया जाये ।

अब मैं राज्य व्यापार नियमों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । सिंदरी के राज्य निगम की इस संसद् ने अभी मंजूरी नहीं दी है । इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने विशिष्ट सिपारिशें की हैं । समिति ने बतलाया है—और दूसरे देशों में भी यही तरीका है—कि जब कभी भी सरकार को किसी फैक्टरी का स्वामित्व अपने नियन्त्रण में रखना हो तो उसे पहले संसद् द्वारा इस सम्बन्ध में विधान पारित कराना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री तथा मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति दोनों इस सम्बन्ध में समुचित वैधानिक पहलुओं की जांच करेंगे । जब कभी भी कोई राज्य निगम स्थापित किया जाना हो, वह किसी संवैधानिक तथा प्राधिकृत आधार पर ही कायम किया जाये ।

मैं उड़ीसा में कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित किये जाने की प्रस्थापना का स्वागत करता हूं ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : हमें जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का काम बहुत अधिक है । अभी तो और अधिक इमारतें बनाई जाने को हैं तथा अन्य निर्माण कार्य हाथ में लिए जाने हैं । वर्तमान कार्यों की देखभाल ही के लिए काफ़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में १९४६ में १६,००० कर्मचारी थे । अब छै वर्ष बीतने पर १०,००० कर्मचारी निकाले चा चुके हैं । पिछले महीने ही दो सर्किलों से ६० कर्मचारी निकाले गये थे । मंत्रालय कर्मचारियों की छंटनी तो कर रहा है, किन्तु यह नहीं सोच रहा है कि वर्तमान कार्यों की देखभाल के लिए ही काफ़ी कर्मचारी चाहियें । सरकार को निर्माण कार्य ठेके पर नहीं करवाने चाहियें । ठेकेदार का मुख्य अभिप्राय तो रुपया बनाना होता है । इसके अलावा ठेकेदार को जो २० प्रतिशत नफ़ा दिया जाता है उसका अधिकांश भाग तो विभाग के लोग ही हड़प जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि ठेकेदार बेचारे मज़दूरों को बहुत कम मजूरी देते हैं ।

इस विभाग में बहुत धांधलेबाजी चल रही है । उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्य पर २० मज़दूर नियुक्त दिखलाये जाते हैं तो वास्तव में होता यह है कि कार्य पर तो केवल १० मज़दूर ही रहते हैं, ५ इंजीनियर साहब के कार्यालय में कार्य करते रहते हैं और बाकी के ५ तो बस होते ही नहीं हैं और उनको मजूरी इंजीनियर साहब के पास जाती है । मैं एसा एक नहीं कितने ही उदाहरण दे सकता हूं । दो मामले तो इस समय ऐसे हैं । जिनमें अपराधियों को दण्डित तो कर दिया गया है, परन्तु अभी आदेश का पालन नहीं हुआ है । मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि १९४२ तथा १९४७ के मामलों पर—जो १९४७ और १९४८ में सरकार की सूचना में लाये गये और १९५१ में सरकार द्वारा सच मान लिए गये—अप्रैल १९५२ तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या यह समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है ? क्या यह संविधान के एक अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है ? मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं ।

विभाग में पक्षपात बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है । इसको बंद करना होगा । इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी काम करने होंगे जिससे विभाग की हालत सुधरेगी । लोक निर्माण विभाग के जो जो कमचारी एक वर्ष

की नौकरी पूरी कर चुके हैं वे स्थायी कर दिये जाने चाहिये। आज कल जितनी इमारतें हैं हमें उनसे तिगुनी या चौगुनी इमारतें बनानी होंगी। अतएव उनकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा इन कर्मचारियों पर भी केन्द्रीय वेतन आयोग की सब सिफारिशें लागू होनी चाहियें।

जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि मकान ठेकेदारों से बनवाये गये तो गृह-निर्माण योजना ही चौपट हो जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण दूंगा जिनसे पता चलेगा कि ठेकेदार किस तरह का काम करवाते हैं। मैं ने शहर के पंचमुक बैरकों को देखा है। वे मनुष्यों के रहने लायक ही नहीं हैं। दूसरा उदाहरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टर हैं जो बस गिरने ही वाले हैं। तीसरा उदाहरर्ण कोटलम के मकान हैं। वहां ठेकेदारों ने दुमंजिले मकान बनाये हैं जिनमें दूसरी मंजिल पर पानी ही नहीं पहुंचता। तो सरकार अब गृह-निर्माण योजना को इस प्रकार चला रही है। मैं ऐसे कितने ही और उदाहरण दे सकता हूं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ७५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को अभी मकान उपलब्ध किये जाने हैं। इसका मतलब है कि अभी काफी निर्माण कार्य होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्तमान मज़दूरों के अतिरिक्त अभी बहुत मज़दूर और रखने होंगे। सरकार को चाहिये कि वर्तमान मज़दूरों को स्थायी बना दिया जाये और अतिरिक्त मज़दूर सेवायुक्त किये जायें। ऐसी दशा में छंटनी करना अजीब सी बात होगी।

अब मैं सदन का ध्यान मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की ओर आकर्षित करूंगा। इस विभाग में भी छंटनी चल रही है। युद्ध समाप्त होने से विभाग के कार्य में कमी नहीं हुई। कहना न होगा कि बहुत से राज्यों के भारत में मिल जाने से काम और बढ़ गया है। मंत्रालय को चाहिये कि वह इस विभाग के यदि सब नहीं तो कम से कम उन व्यक्तियों को जिन्होंने एक वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है, स्थायी कर दे। मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के बारे में एक बात और है। इस विभाग ने, छंटनी तथा पुनर्संगठन के प्रश्न की जांच करवाने के हेतु, एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सुझाव दिया है कि गजेटेड पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये। युद्ध काल में तो उसने यह सुझाव नहीं दिया कि वर्ग ३ और ४ के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये और अब युद्ध के बाद इसका सुझाव है कि वर्ग ३ और ४ के कर्मचारियों की संख्या में कमी होनी चाहिये, विशेषतया जब कि उसने एक भी उच्च पदाधिकारी को निकालने का सुझाव नहीं दिया रहे। मैं माननीय निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह बात ध्यान में रखें कि आज छंटनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल युद्धकाल या युद्ध के पहले की अपेक्षा अधिक काम है। अतएव छंटनी का प्रश्न तो दूर रहा, आवश्यकता तो इस बात की है कि वर्तमान कर्मचारियों को स्थायी किया जाये और नये कर्मचारी रखे जायें।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : श्रीमान्, आज से २३२७ वर्ष पेश्तर चाणक्य से लोगों ने पूछा कि जो अर्थ शास्त्र आप ने लिखा है उस का नाम राज्य शास्त्र क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा कि राज्य का मूलाधार अर्थ है। जैसे कि शरीर के षट् चक्रों का मूल मूलाधार चक्र होता

[श्री रघुनाथ सिंह]

है उसी प्रकार राज्य का मूलाधार अर्थ होता है। अर्थ का मूल उत्पादन होता है। जब तक कोई देश उत्पादन की समस्या को अच्छी तरह से हल नहीं कर लेता तब तक वह अपनी किसी भी समस्या को हल नहीं कर पाता। इंगलैंड ने इस प्रकार सन् १७७६ में इंडस्ट्रियल रिवाल्यूशन (औद्योगिक क्रान्ति) के द्वारा अपनी समस्या हल की थी। आज हमारे सामने जो सब से बड़ा सवाल है वह यह है कि हम अपनी आर्थिक समस्या को कैसे हल करें। महात्मा गांधी ने जो आन्दोलन आरम्भ किया था उस आन्दोलन के दो आधार थे, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। दोनों आधारों को साथ लेकर के वे आगे चले थे। वे राजनीतिक अंग को पूरा कर सके। हिन्दुस्तान को आजादी वे दिला सके लेकिन आर्थिक अंग वे पूरा नहीं कर सके। यह उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है कि हम उस आर्थिक अंग को पूर्ण करें; इसीलिये सन् १९३१ में जब महात्मा जी ने अपना आन्दोलन आरम्भ किया तो उन्होंने उसे आर्थिक पहलू से आरम्भ किया, जिसका सम्बन्ध साधारण से साधारण व्यक्तियों से होता है – अर्थात् साल्ट (नमक)। हमारे विरोधी भाई ने गवर्नमेंट की नमक नीति पर बहुत आक्षेप किये हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि करीब एक सौ वर्षों के पश्चात् वह दिन हिन्दुस्तान में आया है कि हम ने उस में पूर्णता प्राप्त की है। पूर्णता ही नहीं प्राप्त की बल्कि हम ने इस साल जापान को १६ लाख मन और पाकिस्तान को चार लाख मन नमक भेजा है। सन् १९५१ में हमारा उत्पादन ७ करोड़ १३ लाख मन था और सन् १९५२ में हमारा अनुमान है कि ७ करोड़ ५० लाख मन नमक हमारे यहां होगा। हमें तो अपनी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना है कि एक सौ वर्ष के पश्चात् वह समय हिन्दुस्तान में लाई जब कि नमक की समस्या को हल करने में हम सफल हो सके। हमारे भाइयों ने तीन कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) इस नमक के बारे में दिये हैं। एक मोनोपोली (एकाधिकार) का प्रश्न उठाया गया है कि नमक स्टेट की मोनोपोली है। जहां तक मेरा अर्थशास्त्र का अध्ययन है, मोनोपोली चार प्रकार की होती है, प्राकृतिक, सामाजिक, वैधानिक तथा ऐच्छिक प्राकृतिक मोनोपोली है जैसे चिली का सोडियम नाईट्रेट सामाजिक है, जैसे गैस वाटर (पानी) और एलेक्ट्रिसिटी (बिजली) वैधानिक है, जैसे दक्षिणी अफ़्रीका में हीरा ब्राजील की काफ़ी, ऐच्छिक मोनोपोली है, जैसे अमेरीका इंगलैंड में ट्रस्ट और जर्मनी में कारटेल सिस्टम, लेकिन आज तो हिन्दुस्तान के सावरेन पीपुल (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न जनता) हैं और नमक की इंडस्ट्री राष्ट्र की इन्डस्ट्री है लिहाजा इस में मोनोपोली का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जो लाभ होता है वह किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता, एक कारपोरेशन (निगम) को नहीं जाता बल्कि उस का लाभ सारे लोग उठाते हैं।

एक हमारे दूसरे भाई ने टैक्स (कर) के बारे में कहा है कि जहां तक टैक्स का सवाल है हमारे ऊपर से टैक्स का भार कम नहीं हुआ है। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि आजादी के पहले प्रत्येक व्यक्ति ३ आने ७.४ पाई नमक टैक्स के रूप में सरकार को देता था लेकिन आज केवल ४.४ पाई वह टैक्स के रूप में देता है। अर्थात् आजादी के पहले एक व्यक्ति जितना टैक्स देता था आज उस का १/१०हिस्सा टैक्स के रूप में देता है। जो कट मोशन इस हाउस में पेश होने वाले हैं उन का मैं उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि नमक के जो खेत हैं वह छोटे छोटे खेतिहरों को दे दिये जायें। जहां तक

खेत देने का सम्बन्ध है इस का ताल्लुक तो राज्यों से है। हमारी गवर्नमेंट जो पालिसी अख्तियार कर रही है, उस में उस की मोनोपोली है किन्तु साथ साथ दूसरे लोगों को भी नमक बनाने का अधिकार दिया गया है। गवर्नमेंट ने यह किया है कि जो छोटे छोटे उत्पादक थे उन से कहा है कि आप लोग सहकारी फार्म करलें। अब में आपको आंकड़े दूगा कि जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उन्होंने सन् १९४९ में तीन लाख मन नमक पैदा किया था, सन् १९५० में १३ लाख मन नमक पैदा किया था और सन् १९५१ में २५ लाख मन नमक का उत्पादन किया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे प्राइवेट कारखाने हैं उन्होंने भी नमक का उत्पादन तीन वर्ष के अन्दर आठ गुना किया है। अब इस से अच्छी गवर्नमेंट की और क्या पालिसी हो सकती है।

तीसरी बात हमारे एक भाई ने सिंदरी के बारे में उठाई है। इस में सन्देह नहीं कि २३ करोड़ इस में लग गये जब कि नौ करोड़ की स्कीम थी लेकिन किसी कार्य को उस के फल से, उसके परिणाम से, देखना चाहिये दस करोड़ रुपये साल का रासायनिक खाद पहले बाहर से आता था लेकिन आज वही दस करोड़ रुपये का रासायनिक खाद हम सिंदरी में बना रहे हैं। तीन वर्ष के अन्दर ३० करोड़ रुपया देश का आप बचा रहे हैं, २३ करोड़ रुपया खर्च कर के। इस से अच्छी अर्थनीति दुनिया में और कौन सी हो सकती है कि जो १० करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के बाहर जाता था उस रुपये की आप ने रक्षा की और आप ने कुल इनवेस्टमेंट (विनियोजन) किया २३ करोड़।

अब जहां तक उत्पादन मिनिस्ट्री का सम्बन्ध है इस के पास केवल १४ फैक्टरियां हैं और इन १४ फैक्टरियों में से सिर्फ छै ऐसी हैं जो चल रही हैं और आठ ऐसी हैं जो कि अभी बन रही हैं। जैसा कि ऐस्टीमेट (अनुमान) है किसी का काम सन् ५४ में जाकर पूर्ण होगा और किसी का सन् ५३ में पूर्ण होगा। जिन्होंने कट मोशन मूव किये हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि यह नई मिनिस्ट्री है, अभी उत्पादन की तरफ हम ने एक कदम बढ़ाया है और अभी हमारे पास केवल ६ फैक्टरियां हैं। अगर इन ६ फैक्टरियों में कोई ऐब हो तो बताइये लेकिन इधर उधर की बात तो की गई परन्तु १४ में से ६ फैक्टरियां जो चल रही हैं उन के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया कि इन में क्या दोष है। अगर समालोचना करनी हो तो कांस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) समालोचना होनी चाहिये। आप को यह समझ लेना चाहिये कि देश की रक्षा जैसे सेना करती है उसी तरह से देश वालों को भोजन केवल उत्पादन से ही प्राप्त होगा, केवल कहने से ही प्राप्त नहीं होगा। हमारा आप का सब का एक कर्तव्य है कि आज हम हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियल रेवाल्यूशन (औद्योगिक क्रान्ति) की तरफ आप ठोस क़दम उठायें। यदि हम हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने से सफल नहीं होते तो मैं आज कहूंगा कि जो आजादी आप ने ली है उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है।

एक बात मैं आप से और कहूंगा कि जहां तक प्रोडक्शन मिनिस्ट्री (उत्पादन मंत्रालय) का सम्बन्ध है इस के ज़िम्मे जितनी प्रोडक्शन की चीजें हिन्दुस्तान में हैं सभी उस के अन्तर्गत आनी चाहियें। यह बात ठीक नहीं है कि १४ फैक्टरियां तो प्रोडक्शन मिनिस्ट्री में दे दें, कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्री (उद्योग) के अन्तर्गत चलायें कुछ डिफैंस (रक्षा) के अन्तर्गत रहें। इस तरह से कोई कोआर्डिनेशन (सहयोजन) नहीं हो सकता। अतएव हमारी यह प्रार्थना है, और सुझाव है कि हिन्दुस्तान में जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है सब विभाग प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आने चाहियें।

श्री एन० आर० नायडू (राजामंड़ी) : सभी यह मानते हैं कि इस समय मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। इसलिये जनता नये उत्पादन मंत्रालय की रचना का स्वागत करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस नये मंत्रालय की रचना की घोषणा तो की गई परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि इस सवाल के प्रति सरकार का रुख क्या है। शायद यह समझा जा रहा है कि मंत्रालय की रचना कर देने मात्र से समस्या का हल निकल आयेगा।

आज भारत में सरकार द्वारा नियन्त्रित उद्योग धन्धों का क्षेत्र कम होता जा रहा है और निजी उद्योगों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति १९४७ में विनियन्त्रण करवाना चाहते थे और सरकार ने उनकी मांग पूरी करने का बहाना भी ढूंढ लिया। इस के फलस्वरूप कपड़े की मिलों के स्वामियों को १०० करोड़ रुपये का नफा हुआ। अभी हाल में वे मोटे कपड़े के दाम बढ़वाना चाहते थे और सरकार ने बिना कोई जांच पड़ताल कराये ही ऐसा कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार अपनी आर्थिक नीति बनाने में बिड़ला हाउस से प्रेरणा प्राप्त करती है। कुछ समय पूर्व 'ईस्टर्न एकनोमिस्ट' ने ग्राम्य समृद्धि का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उसके बाद प्रत्येक वित्त मंत्री उसी की रट लगाने लगा। भारत में कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों को कम मज़दूरी दिये जाने के पक्ष में प्रायः यह तर्क किया जाता है कि एक भारतीय मज़दूर विदेशी मज़दूर के मुकाबले कम कुशल होता है। परन्तु यह बात सच नहीं है और इसका प्रमाण सरकार की श्रमिक जांच समिति, अर्थात् रेगे कमेटी, की रिपोर्ट में भी मिलता है। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन मशीनों की कुशलता और प्रबन्धकों की कुशलता पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। जब मशीनें ही पुरानी हों और प्रबन्ध ठीक न हो तो उत्पादन में वृद्धि होना कैसे सम्भव हो सकता है ?

हम में से कुछ यह आशा कर रहे थे कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जिनका कि उत्पादन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, प्रकाश डालेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ; इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया। मेरे ख्याल में सरकार की मूल्य सम्बन्धी नीति तथा वितरण व्यवस्था का उत्पादन पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इस बात की निष्पक्ष जांच करवाई जाये कि भारत में मजूरी और कच्चे माल की कीमत कम होते हुए भी उत्पादन परिव्यय इतना अधिक क्यों है; व्यापारियों द्वारा लिये जाने वाले नफे की प्रतिशतता क्या है; मशीनों की कितनी उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ? मैं माननीय उत्पादन मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगली रिपोर्ट में कम से कम वह तो ये सूचनायें सदन को दे ही दें।

जहां तक राज्य-नियन्त्रित उद्योगों का प्रश्न है, मुझे यह कहना पड़ता है कि इनके सम्बन्ध में बड़ी धांधलियें चलती हैं। सिन्दरी की रासायनिक खाद तैयार करने वाली फैक्टरी के सम्बन्ध में हमें पता लगा है कि वहां पुलिस जांच चल रही है और उस सम्बन्ध में कई व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं। इसी प्रकार विज़गापटनम के जहाज़ बनाने वाले कारख़ाने का हाल है। यद्यपि यह मुख्यतः एक रक्षा उद्योग था, तथापि सिंदिया कम्पनी को इस के चलाने का एकाधिकार दे दिया गया। समाचार पत्रों में खबर थी कि उस ने हिसाब किताब में गोल-माल की ताकि उसे सरकार से अधिक सहायता मिल सके। अब हमें पता लगा है कि इस कारख़ाने का विकास करने के लिये

किसी फ्रेंच सार्थ से कहा जा रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि हम अपनी विदेश नीति में कैसे तटस्थ रह सकते हैं, जब कि हमारी सेना एक अंग्रेज द्वारा, हमारा जहाज बनाने का कारखाना एक फ्रेंच व्यक्ति द्वारा और हमारे तेल के कारखाने अमेरिकी लोगों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं :

किसी स्पष्ट तथा निश्चित नीति के अभाव में उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। यह याद रखना चाहिये कि उत्पादन की प्रवृत्ति एक बड़ी सीमा तक सरकार की मूल्य तथा श्रम नीति पर निर्भर है।

श्री जी० आर० दामोदरन (पोल्लाची) : मैं उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मैं सरकार को इन सरकारी उद्योगों को चालू करने का श्रेय देता हूं। इन अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक मशीन और औज़ार बनाने का कारखाना है जो शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ करने वाला है। सरकार ने इस कारखाने को चालू करने का निर्णय करके बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है क्योंकि इससे हमें देश के समस्त उद्योगों को विकसित करने में तथा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलेगी। एक ऐसे कारखाने के अभाव में हमें बाहर से मशीनें और औज़ार मंगाने पड़ते हैं और इस प्रकार हमें काफ़ी विदेशी मुद्रायें व्यय करनी पड़ती हैं इस कारखाने द्वारा मशीनें और औजार बनाये जाने पर हमें यह चीजें बाहर से नहीं मंगानी पड़ेंगी और इस प्रकार हम विदेशी मुद्राओं की काफ़ी बचत कर सकेंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण फ़ैक्टरी पूना के निकट पैनिसिलीन फैक्टरी है। उसके बारे में भी मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि इस फैक्टरी को चालू करने के लिये हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो आर्थिक सहायता मिल रही है उसके मैं विरुद्ध हूं। परन्तु मुझे तो इस में कोई हानि नहीं दिखलाई पड़ रही है।

हम टेलीफ़ोन आदि के लिये तार तैयार करने का कारखाना खोलने का विचार कर रहे हैं। यह भी एक महत्वपूण कारखाना होगा। इस से भी हमारे विदेशी विनिमय में बचत होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस सम्बन्ध में मैं सम्बन्धित मंत्रालय को एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरी राय में इस फ़ैक्टरी में टेलीफ़ोन के तारों के अतिरिक्त बिजली के तार भी बनाये जायें। पंचवर्षीय योजना में बिजली के विकास की कितनी ही योजनायें शामिल हैं। अतः मेरा खयाल है कि यदि इस कारखाने में बिजली के तारों का भी निर्माण होने लगे तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

नये कारखानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चे लोहे का कारखाना होगा। सभी जानते हैं कि हमारे देश में कच्चे लोहे की कमी है जिससे अन्य उद्योगों के विकास में रुकावट पहुंचती है। इसके लिये देश में पूंजी प्राप्त न होने के कारण विदेशी पूंजी आमंत्रित करने का निश्चय किया गया है।

यहां मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार मूल विद्युत उपकरण के निर्माण के लिये भी एक कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार करे। हमारे विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में मूल विद्युत उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे कारखानें के संचालन में हमें अमरीका जैसे देश की सहायता लेनी पड़ेगी। परन्तु ऐसे कारखानों की स्थापना से हमारे बिजली उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी और देश में टैक्निशियनों और इंजीनियरों को रोज़गार मिलेगा।

[श्री जी० आर० दामोदरन]

माननीय वित्त मंत्री के भाषण में मशीन बनाने वाली एक राष्ट्रीय फैक्टरी की ओर निर्देश किया गया था, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वह वास्तव में किस प्रकार की होगी और क्या बनायेगी ।

सभी जानते हैं कि हाल में दक्षिणी भारत में उद्योगों आदि को दी जाने वाली बिजली में काफी कमी कर दी गई है। वर्षा न होने के कारण बिजली ५० प्रतिशत कम कर दी गई है।

१ प० म०

भारत की बिजली विकास योजनाओं के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि दक्षिणी भारत में तापीय विद्युत केन्द्र (थर्मल पावर स्टेशन) स्थापित किये जायें। इस से दक्षिण में बिजली की वर्तमान कमी दूर की जा सकती है। इससे बेकारी भी कम होगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, १९ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—HS—363 PSD—13-7-53—285